खण्ड-323, अंक-9
शनिवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1898
(11 दिसम्बर, 1976 ई0)

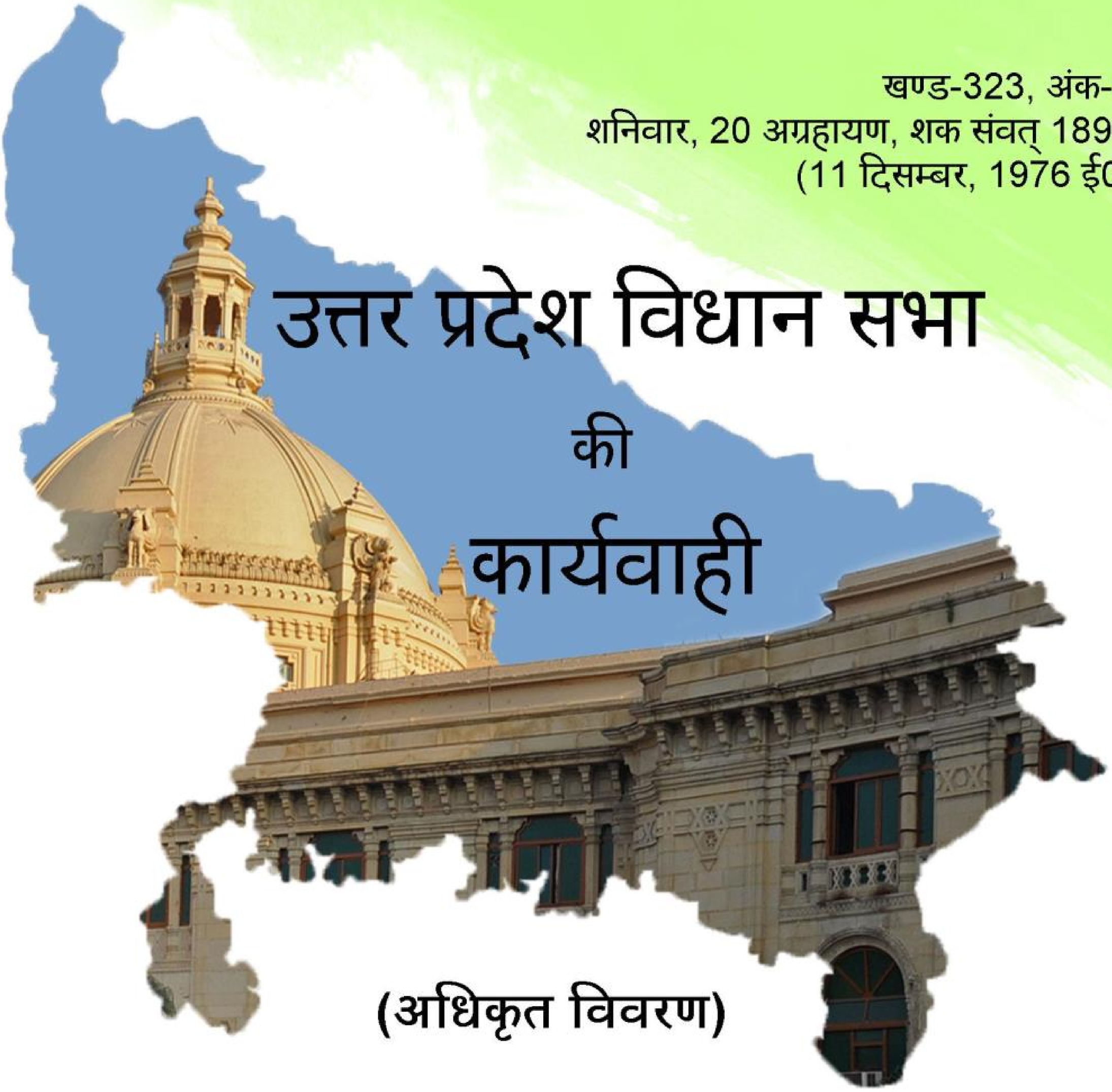

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1081–1085
श्री शिवपाल सिंह द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना ..	1085
ग्राम्य विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1085
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (पारित)	1085–1146
सदन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 11 दिसम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 4 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—369

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुर रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
कान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री

गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलियाजिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण वन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवीं सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नरायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फरज द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनीं, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूलचन्द्र राजपूत, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री

रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जन्म राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नरायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ नाम मणी जी)
लक्ष्मी नरायन पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालम शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री

सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास, राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

श्री शिवपाल सिंह द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचित करना है कि विधान सभा के सदस्य, श्री शिवपाल सिंह ने अपने दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना दी है कि वे लोक पक्ष से अब निर्दल हो गए हैं।

ग्राम्य विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की 2 सूचनाएं हैं, जो माननीय रफी साहब ने ग्राम्य विकास मन्त्री जी के विरुद्ध दी हैं। वह इस समय हैं नहीं, अतः मैं इनको मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं और वह इन पर अपना स्पष्टीकरण देंगे।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत)†

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो यह संविधान संशोधन कल इस सदन में पेश किया गया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह संशोधन हमारे इस संविधान में जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा एक एतिहासिक संशोधन है और माननीय नेता विरोधी दल ने भी इसके गुण व अवगुण पर कल कुछ कहा तो.....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि इन्होंने मेरे लिए शब्द 'माननीया' का प्रयोग किया।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक 'माननीय' और 'श्री' का सम्बन्ध है मै समझता हूं कि यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लगाया जा सकता है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीया तो केवल स्त्री के लिए लगाया जा सकता है।

---

†10 दिसम्बर, 1976 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

यह जो संशोधन बिल पश किया गया है इसकी अहमियत हम लोगों को समझनी चाहिए। जैसा कि नेता विरोधी दल न कहा कि यह राजनीतिक प्रश्न ह। यह राजनीतिक प्रश्न न होकर के राष्ट्रीय प्रश्न ह। म वकील तो नहीं हू और कानून की पेंचीदगियों को तो नहीं जानता हू परन्तु मैं यह जानता हू कि यदि हमको अपने राष्ट्र को बढ़ाना है, अपने राष्ट्र को जीवित रखना है तो उसकी अखंडता का प्रश्न और उसकी वधानिक मान्यताओं का और उनके आदर का प्रश्न सबसे पहले उठता है। मान्यवर, यदि राष्ट्र नहीं होगा, लोकतान्त्रिक मान्यताओं का सीधे-सीधे उल्लंघन होगा तो देश कहां जायगा और संविधान संशोधन पर बोलने का अवसर हमको कहां होगा? मैंन देखा कि सरहदी गांधी इस देश म आए थे और यह कहा कि वह गांधी के देश में राम राज्य देखने आए थे लेकिन यह देख कर उनको दुख हुआ कि देश चौपट हो रहा है। मुझे भी उनकी यह बात सुन कर दुख हुआ था।

1801 में अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलें चलाई और 1947 तक देश में वह राज्य करते रहे लेकिन 146 वर्ष में उन्होंने रेल के इंजन का कोई कारखाना देश में नहीं लगाया। 1950 में यहां चितरंजन नामक रेल के इंजन का कारखाना स्थापित किया गया और हमारी यह कायशाला दश की जरूरतों के अलावा विदेशों को भी इजन दे रही है। मैं यह मानता हू कि किसी भी लोकतान्त्रिक देश में विरोध करने का अवसर हर व्यक्ति को प्राप्त है किन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि हम उसकी, अच्छाइओं, प्रगति और तौर तरीकों की अवहेलना कर दें और केवल उन बातों की ओर इशारा करें जो कमियां हैं। मुझे उन दिनों की याद आती है जब बिहार में समानान्तर सरकार बनाई जा रही थी। हमार संविधान में जो सरकार बनी हुई है उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वह हमारी सरकार हो अथवा दूसरे दल की सरकार हो, कि लोकतान्त्रिक तरीके से उस सरकार के खिलाफ विधान सभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाकर विभाजन में उसे परास्त करके ही उस सरकार को गिराया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने उस विधान सभा का निर्माण किया और जनता ने जिनको वहां चुन कर भेजा उस सरकार को गिराने के लिए कुछ लोगोंन क्या-क्या नहीं किया यह हम सभी को मालूम है? प्रश्न उठता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का संविधान क्या रह जायगा? आप जो विचार करें इन बातो पर। मैं इस विधान सभा में चुन कर आया हूं। 10, 20 आदमी मुझे हजरतगज में पकड़ लें और छूरा दिखा कर इस्तीफा लिखा लें तो संविधान कहां रह जायगा? (व्यवधान) अस्पताल में बीमार विधायक को खींचा जाय और पकड़ कर इस्तीफा लिखा लिया जाय तो कहां रहेगा हमारा संविधान। मैं समझता हूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर लोकतन्त्र के मानने वालों को, कानून के ज्ञाताओं को और संविधान की बात करने वालों को विचार करना होगा। गुजरात विधान सभा को दबावमें आकर भंग किया गया। पहले वर्ष और फिर दूसरे वर्ष कहा जाता है उसे शुरू करो। पहले एक चीज को तोड़ा गया, तोड़ने के लिए संघर्ष किया गया और उसे तुड़वा दिया और फिर दूसरे वर्ष संघर्ष किया जाता है कि उस चीज को जोड़ा जाय। मैं तो लोक तन्त्र का मानने वाला हूं। विरोध पक्ष तथा उसके नेताओं की मैं इज्जत करता हूं। ऐसे बुजुर्ग लोग जिन्होंने पार्लियामेन्टरी सिस्टम को चलाया, जो उसके फाउन्डर थे, वही लोग दूसरे साल कहते हैं कि वह मर जायेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अगर विधान सभा शुरू नहीं किया गया। मान्यवर, हमारी प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हमारी सारी मशीनरी गुजरात में जो सूखा पड़ा हुआ है उसका मुकाबला करने में लगी हुई ह इसलिए चार महीने बाद अक्तूबर में चुनाव करा देंगे लेकिन नहीं माने। मान्यवर, लोकतन्त्र की मान्यतायें होती ह। अगर चार महीने के लिए समझौता कर लेते तो क्या बात होती? हमारे भाई नहीं माने।

श्री अध्यक्ष—

यह सब बातें आपातकालीन स्थिति की घोषणा से सम्बन्धित हैं। आप संविधान संशोधन पर आवें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

कल सवाल उठा था मान्यवर, जब माननीय काशी नाथ मिश्र बोल रहे थे।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, इसका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है। यह नहीं जानते हैं कि संविधान का क्या मतलब है, इनको ज्ञान ही नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, मैंने यह बातें इसलिए कहीं कि कल प्रश्न उठा था, काशी नाथ मिश्र जी जब कह रहे थे तो उस पर कुछ बातें कही गईं, उससे यह रिलेट करती हैं। माननीय नेता विरोधी दल की ओर से चर्चा हुई। तो उनका जवाब मैं दे रहा हूं, उसी पृष्ठभूमि में संविधान में इस तरह का परिवर्तन लाना पड़ा। जो विधान सभायें काम कर रही हैं उनको वैधानिक रूप से चलने दिया जाय। जहां तक मैंने अध्ययन किया है इसमें ऐसी व्यवस्था है। कोई आदमी या कोई दल अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे विधान सभा बनवा दे और जब चाहे विधान सभा को तुड़वा दे। यह नहीं होना चाहिए।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान के 44वें संशोधन में जो मूल परिवर्तन किया जा रहा है इसका उससे क्या मतलब है? यह केवल आलोचना कर रहे हैं। और कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डी0 आई0 आर0 में जो तमाम शेरों को बन्द कर दिया गया है और गीदड़ जो हैं वह खाने में लगे हुए हैं। तो क्या यही डिमोक्रेसी है? क्या यही अहिंसा में आप विश्वास करते हैं। कोई शान्ति भंग होने का अन्देशा नहीं है फिर भी आप हमारे दल के लोगों को बन्द किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

एक बात और आई कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा आपके विधान सभा और संसद के अधिकारों के बारे में सन्देह हुए। मान्यवर, संसद या विधान सभायें अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती हैं और उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों पर सरकार चलती है। जुडिशियरी का काम यह होता है कि जो बुनियादी रूप से कानून बनाए गए हैं उनके अनुकूल कार्यपालिका चल रही है या नहीं यह उसका काम होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ मान्यवर, कि जिस व्यवस्था के अनुकूल कानून बना कर हम देश की जनता को समाजवादी समाज देना चाहते थे, जिन पुरानी परम्पराओं और प्रथाओं और कुरीतियों को हम समाप्त करना चाहते थे उनमें बाधा डाली गई। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। राजाओं का प्रीवीपर्स का सवाल आया करीब 630 या 633 कुल राजा थे उनके प्रीवीपर्स में हमारा करोड़ों रुपया चला जाता था। मान्यवर, जब बिहार में सूखा पड़ा उसके लिए इंगलैण्ड के विद्यार्थियों ने एक दिन का उपवास करके, खाना न खाकर इस प्रकार बचत करके हिन्दुस्तान को पैसा भेजा लेकिन हमारे यहां अनाज था, लोग उसे दबाए हुए थे

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

मान्यवर, यह संशोधन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

इस बात को नहीं समझा कि हमारे देश के इन्सान भूखे मर रहे हैं और हमने गल्ला बन्द कर दिया है। देश के बहुत से गोदामों में लाखों टन गल्ला बन्द था, लेकिन हिन्दुस्तान के आदमी भूखों मर रहे थे। राजाओं के प्रीवीपर्स को बन्द करने के लिये इन्होंने नहीं सोचा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया वह यहां इसलिए नहीं किया गया कि इससे किसी एक दल का फायदा होगा। उसके पीछे सरकार का उद्देश्य साफ है। उसके कारण

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

हमारे देश में आर्थिक प्रगति हुई है, यह मैं मानता हूं। इस राष्ट्रीयकरण के रास्ते में कितनी बाधाएं आईं, यह हम सब जानते हैं। कुछ लोग इन पर हावी थ। यह हम नहीं चाहते थ कि कुछ लोग इस देश के अर्थ पर, खेती पर और उद्योगों पर खड़े रहे और उसे जिधर चाहें ले जाएं। इसे इस देश की जनता, हमारी पार्टी और समाजवादी विचार धारा बिलकुल पसन्द नहीं करती हैं और बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसको देखते हुए जो बैंक अर्थ व्यवस्था को अपने हाथ में रखे हुए थे, उसे दूसरे ढंग से हम इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन कोर्ट के कारण और न्यायालयों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण हमारे सामने बड़ी विपरीत स्थितियां आईं। इसलिए अब यह साफ कर दिया गया है कि यदि जनता के हित में सरकार कोई आर्थिक या समाजकि कानून बनाना चाहती है तो उसमें वह बाधा नहीं पैदा कर सके। हम भारतवर्ष में एक दिन ऐसा देखना चाहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अधिक सम्पत्तियों का सम्पत्ति वाला न हो—सब ईक्वल सम्पत्ति और साधनों के मालिक हों।

श्री अध्यक्ष—

यह सब इसमें नहीं है, आपने अध्ययन नहीं किया है तो क्यों कह रहे हैं? आप बैठिए या जल्दी खत्म कीजिए।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

हम इस दिशा में जा रहे हैं और समाजवाद में यही होता है। हमारी विचार-धारा जो है समाज के हित और अहित से जुड़ी हुई है। जहां समाज का अहित होता है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं और जहां हित होता है उसे स्वीकार करते ह। संविधान संशोधन इस दिशा में एक कदम है और उस कदम को हम स्वीकार ही नहीं करते ह, उसकी संस्तुति और पूजा भी करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारी 60 करोड़ जनता के लिए यह संविधान बने। इसके पीछे एक भावना यह भी है कि हमारे देश में कुछ लोग तस्करी करके इस देश की अर्थ व्यवस्था को लड़खड़ा रहे थे। नैपाल में इस देश का गेहूं और चावल ले जाकर कितनी चोरबाजारी होती थी, इसके हमारे पास रिकार्ड स हैं और बहुतों के पास होंगे, कि इस देश की फारेन करेंन्सी की बहुत चोरबाजारी होती थी। उनके पास वायु की गति से भी तेज चलने वाली नौकायें थीं।

श्री अध्यक्ष—

आपने संविधान संशोधन पढ़ा नहीं है। इसी से इधर उधर बहक जाते हैं। मैंने आपको समय दे दिया, अब आप क्यों सदन का समय नष्ट करते हैं? अब आप बैठ जाइए।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। संविधान में यह सारी बातें रखी गयी हैं। मैं यह देखता हूं कि यह संविधान संशोधन·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शोर बहुत हो रहा है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

इस दृष्टि से भी रखा गया ह कि उसके द्वारा हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकें, गरीब मजदूर लोगों को न्याय दे सकें, राष्ट्र के सामने जब कभी ऐसा प्रश्न आए इसकी अखंडता और प्रभुसता को खतरा है तो न आ सके। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि एकमत हो कर सदन इस संविधान संशोधन का अनुमोदन करेगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो संकल्प रखा गया है एक बार फिर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 24 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

*श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 44वां संविधान का संशोधन हुआ है, जिसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल एक प्रस्ताव पेश किया अनुसमर्थन म, मैं उसके विरोध में बोलना चाहता हूं।

मान्यवर, अधिनियम की मूल धाराओं पर बहस करने से पहले एक पृष्ठ भूमि के तौर पर मैं पहले कुछ कहना चाहता हूं। मेरा उन लोगों से ज्यादा कुछ कहना नहीं, जिन लोगों के अन्दर कोई राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं हुई और अब तक भी जागृति नहीं हुई है। करोड़ों इन्सान इस मुल्क में हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं जिनका जीवन इतने तक सीमित रहता है कि सुबह को उठे, रोजगार धंधे में लग गए, रोटी खाने को मिल गया, कपड़ा मिल गया, अच्छा मिला तो खुश हो जाते हैं, उनसे कुछ कहना नहीं है। मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं जिनके अन्दर डेमोक्रेटिक सेन्स पैदा हो गया है, जिनके अन्दर राजनीतिक चेतना आ गयी है। वे लोग इस सदन के अन्दर इसके बाहर कहीं भी हों, अगर उन्होंने इन अमेन्डमेन्ट्स के बारे में जरा भी कुछ पढ़ा लिखा है, जो इस मुल्क के विद्वान लोग हैं, कांस्टीट्यूशनल लाइयर्स हैं, उन्होंने कमेंटरीज लिखी हैं, उनको वह देखेंगे तो मालूम होगा कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर केवल संशोधन नहीं है, यह तो एक तरह से बिलकुल रिवीजन कर दिया गया है। सारे कांस्टीट्यूशन को लुंज पुंज बना दिया है, जैसे किसी आदमी के शरीर में जान निकल जाय, लोथड़ा खड़ा रह जाता है। ऐसी हालत इस संविधान की कर दी गई है। कोई यह नहीं कि एकदम दिमाग में फिट आ गया, ऐसा कर दिया गया हो। बड़े इतमीनान के साथ, अपने दिमाग के सामने एक लक्ष्य रख कर, आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क के अन्दर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिनसे इस संविधान के अन्दर संशोधनों की आवश्यकता पैदा हो गयी।

अब एक-एक करके चीजों को देखिए। मुल्क के अन्दर हालात क्यों पैदा हुए जिनसे इमरजेन्सी डिक्लेअर हो। उसे तो सरकार ने नियोजित ढंग से मुल्क के अन्दर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने दिया। आज हमारा देश कहां पर है। मौजूदा मुख्य मन्त्री से पहले जो मुख्य मन्त्री थे, वह तशरीफ नहीं रखते हैं. जब इस गद्दी पर बैठे तो एक रैली की गयी लखनऊ के अन्दर। 40-50 हजार आदमी प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए, बसें फ्री हो गयीं, खाने पीने का इन्तजाम हो गया। आप मुल्क में पिछले 2 साल के भीतर रिकार्ड उठाकर देखें, मुखतलिफ पार्टियों ने जलसे किए, अपनी मीटिंगें कीं लेकिन उस काम को अब सरकारी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया है। मीटिंग करना, जुलूस निकालना उनका कांस्टीट्यूशनल हक है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जब थे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। लाख डेढ़ लाख आदमी उसमें आए होंगे। उस समय सरदार कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पंडित जवाहर लाल जी से कहा कि मैं इसके बदले में इससे भी बड़ा जुलूस निकालेंगे। पंडित नेहरू कहा कि नहीं, आप एक प्रदेशके मुख्य मन्त्री हैं आप ऐसा कर सकते हैं आपके पास साधन है औरउनको जुलूस निकालने से मना कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अब वह काम करने लगी है जो विरोधी पार्टियां करती हैं। सरकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है उसे किस चीज की कमी है, सत्ता उसके हाथ में है और शक्ति उसके हाथ में है।

मैं बताना चाहता हूं कि जब कलकत्ते की सड़कों पर लोगों को नकसलायटों द्वारा घसीट-घसीट कर मारा गया, पुलिस के थाने पास थे लकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोले जब यह सवाल पार्लियामेन्ट में उठाया गया तो उसे टाल दिया गया और कह दिया गया कि लोगोंकी परेशानियां हैं ऐसा कियाही करते हैं। जब नेक्सलाइ ने सरकारी पक्षके आदमियोंको

[श्री राममूर्ति]

मारना शुरू किया तो उनकी आंखें खुल गयीं। इस तरह के हालात आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क में पैदा हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अन्दर इलेक्शन हुए और लाखों रुपया खर्च किया गया। लड़कों ने हल्ला मचाया बसें फूंक दी गयी तो कहा गया कि लड़कों को मत छेड़ो जिन्होंने इसकी शिकायत की उनको समझा दिया।

अब मैं स्मगलिंग का जिक्र कर देना चाहता हूं, उसका जिक्र यहां पर हुआ। स्मगलिंग किस हद तक पहुंच गयी है, सरकार जानती थी, लेकिन रोक नहीं सकी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर ही बोलें।

श्री राममूर्ति--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उसी की पृष्ठभूमि में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

पृष्ठभूमि बहुत लम्बी हो जाएगी तो उस पृष्ठ भूमि में विषय छिप जाएगा।

श्री राममूर्ति--

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यहां पर स्मगलिंग कितनी बढ़ गयी है। हाजी मस्तान ने कहा कि यू0 पी0 के इलेक्शन में उन्होंने पैसा दिया। तो इस स्टेटमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया, बल्कि यह चीज बढ़ती ही गयी। जब ऐसी हालत हो गयी तो दूसरा कोई रस्ता नहीं रह गया सिवाय इमरजेन्सी लागू करने के और इमरजेन्सी लागू कर दी और इमरजेन्सी लागू करने के पहले संविधान की जो बात कही जाती है, उसमें क्या हुआ। नाइन्थ शेड्यूल के अन्दर कहा गया कि जुडीशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई खबर प्रेस में नहीं निकलेगी। (श्री काशी नाथ मिश्र के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप, जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो क्यों बोलते हैं ? आप दूसरों को क्यों ज्ञान सिखाते हैं। जब आपको मौका मिलेगा तब आप ज्ञान सुनायें।

श्री राम मूर्ति--

वर्ष 1942 में 'क्विट इंडिया' आन्दोलन हुआ। उस समय यह तो हुआ था कि जिस खबर को मुनासिब न समझा जाय उसको अखबारों में न छापा जाय, लेकिन वैसे और सारी खबरें अखबारों में बराबर छपती रहीं, किसी को रोका नहीं गया। इस समय हमारे जो साथी हैं वे चाहे सुबह से शाम तक कुछ भी कहें लेकिन अखबार में उनका नाम तक भी नहीं आएगा, उसकी खबर छापना तो दरकिनार रहा। प्रेस का गला घोंट दिया गया है। इसको भी नाइन्थ शैड्यूल में रख दिया गया है।

जो एक साधारण प्रोसीजर था, उसको भी फालो नहीं किया गया। संविधान में संशोधन करने के लिए एक स्वर्ण सिंह कमेटी बना दी गई। जो एमेन्डमेन्ट्स आप करने जा रहे हैं, वे केवल एक पार्टी से तो सम्बन्धित नहीं हैं, इसमें देश के समस्त प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए था लेकिन नहीं, एक पार्टी के प्रतिनिधियों की समिति बन गई। यह भी नहीं किया गया कि इसे ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी को ही भेज दिया गया होता। जो पार्लियामेन्ट प्रोसीजर है, उसको भी नहीं निभाया गया यह सब क्यों हुआ ? हम जब कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई मोटिव होता है। किसी काम को करने के पीछे कोई आकांक्षा होती है, बिना मोटिव फोर्स के कोई काम नहीं किया जाता है। 5 साल गुजर गए और इस अवधि में कभी इस बात का सवाल पैदा नहीं हुआ कि इतने ड्रास्टिक एमेंड्मेंन्ट्स किए जाएं। जब 5 साल का समय खत्म हुआ तब यह

बात दिमाग में आई। आप किसी भी दुनिया के मुल्क को देखें, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो, इस अवधि के अन्त में सरकार को नई पालिसी की घोषणा नहीं करती, कोई नया काम नहीं करती। इस सदन में बैठने वाले लोग भी जानते हैं कि 5 साल खत्म होने के बाद इम्पोर्टेन्ट फाइल्स पर दस्तखत तक नहीं होते हैं। मुझे भी प्रदेश की सरकार में रहने का कुछ दिनों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जानता हूं कि चुनावों के दिनों सरकारी मोटरों तक का इस्तेमाल छोड़ दिया जाता था प्राइवेट कामों के लिए सिर्फ सरकारी कार्य के लिए ही उनका उपयोग किया जाता था।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

माननीय गुप्ता जी के जमाने में क्या होता था ?

श्री राममूर्ति—

गुप्ता जी ने एक मिनट में कुर्सी छोड़ दी, एक नहीं, दो बार, तीन बार। सरेश लगाकर कुर्सियों पर चिपके नहीं रहे। अगर वे कुर्सी पर बैठना जानते थे तो छोड़ना भी जानते थे।

मैं यह कह रहा था कि 5 साल समय के बाद इतना इम्पोर्टेन्ट बिल लाया गया, ऐसा संसार के किसी मुल्क में नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों किया गया ? हमारे देश हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बे पढ़े लिखे हैं। वे जानते ही नहीं हैं कि राजनीति है क्या। वे रेडियो भी खोलते हैं तो गाने सुनने के लिए, उन्हें राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। वर्ष 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, जहालत मिटाओ नारा दिया उस नारे से हिन्दुस्तान के लोग बह गए। जब से देश में स्वराज्य आया किसकी हुकूमत थी ? 15-16 साल उन्हीं के पूज्य पिता जो दिल्ली की सरकार को सुशोभित करते रहे और स्वर्गीय लाल बहादुर जी तो थोड़े ही दिनों बैठे। उनके पिता जो प्राइममिनिस्टर रहे और उनके वरिष्ठ साथी जिन्होंने देश की आजादी लड़ी.....

एक सदस्य—

इन्हें तो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंन्ट पर बोलना है। क्या हम लोगों को भी इजाजत मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान संशोधन पर आइए तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, एक जौनपुर के शायर हैं उन्होंने अपनी भाषा में एक शेर पढ़ा कि —

नासिहा मत कर नसीहत, जी मेरा घबरायें है,
वह मुझे लगता है दुश्मन, जो मुझे समझाए है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्दिरा गांधी जी ने इक्लेशन जीत लिया और बड़ी भारी मेजारिटी में जीत लिया और 5 साल तक जो वादे किए थे उनमें कुछ कामयाबी होती नजर नहीं आयी और हो भी कैसे सकती थी ? क्या नारा लगाकर गरीबी दूर हो जाएगी ? वह तो तब होगी जब आत्म-संयम होगा, डिसिप्लिन होगी। जितने डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हैं, इंगलैन्ड, जर्मनी, जापान, उनकी हिस्टरी देखिए कि वे अपने मुल्क के अन्दर फारिगुलावाली लाए तो किस तरह से लाए। जब सरकार की वह आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए....एक बात और हो गयी। वसे खतरा उन को नहीं था। इत्तफाक से वह काम हुआ जिसको लोग सोच नहीं सकते थे कि प्राइममिनिस्टर के खिलाफ भी ऐसा जजमेंट हो जायगा कि उनकी पेटीशन रद्द हो जाय या 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाय। तो एक तो वह हुआ और इत्तफाक से उसी दिन जनता फ्रन्ट ने गुजरात के अन्दर इलेक्शन जीत लिया। वह दो वाकए हुए

श्री उपाध्यक्ष--

राममूर्ति जी यह तो माननीय सदस्य सब जानते हैं। 30 मिनट हो गए।

श्री राममूर्ति--

इस पृष्ठभूमि के बाद आ रहा हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने घबरा कर, क्योंकि ऐसा तो वह जानती थीं कि मैं जीतूंगी नहीं और अगर जीतूंगी तो मैजारिटी नहीं आएगी इसलिए उन्होंने इस संविधान के अन्दर ऐसे अमेन्डमेन्ट किए और ऐसे प्रावीजन रखे जिससे मैं कुछ भी न रहूं तो भी हमेशा मेरे ही हाथ में सब कुछ रहे और मेरे ही हाथ में न रहे, मेरे वंश के हाथ में रहें। इसका भी इन्तजाम है। आपने पढ़ा नहीं अखबार के अन्दर कि जब गौहाटी में ए0 आई0 सी0 सी0 हुई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि युवक कांग्रेस ने हमारी कांग्रेस को फीका कर दिया। यह सब इन्तजाम हो रहा है कि वंश परम्परा क्या होगी, कैसी होगी ?

अध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद मैं मूल अधिनियम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसको हम 6-7 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। या 6-7 पहलू से देख सकते हैं। पहले आप प्रिसिपल को देखिए। उसमें एक लफ्ज सोशलिज्म बढ़ा दिया गया है और एक "सेकुलर" बढ़ा दिया गया। अवाडी की कांग्रेस हुई। उस वक्त से सोशलिज्म हिन्दुस्तान की सरकार का लक्ष्य बन गया। कौन आदमी ऐसा है जो—नेता जी बैठे हुए हैं चौधरी (चरण सिंह) साहब, ये तो अलबत्ता सोशलिज्म की ज्यादा बात नहीं करते हैं बाकी सब लोग तो सोशलिज्म का बिल्ला लगाए रहते हैं। सोशलिज्म तो आज कुम्हार की गढी हुई मिट्टी है। चाहे जिधर तोड़-मोड़ दो। चाहे कुल्हड़ बना दो या मटका बना दो या मटकी बना दो, जो चाहे बनाओ। रश्या का भी अपना सोशलिज्म है। यूगोस्लाविया के टीटो साहब का भी अलग पैटर्न है, चीन का है सब अलग-अलग किस्म के सोशलिज हैं। इस में कहां डिफाइन किया गया है कि उसका क्या मतलब होगा ? ये हमारे भाम बैठे हुए हैं नेगी साहब। कभी इनका बोल-बाला हुआ तो ये भी कुछ अपनी रंगत दिखला देंगे ई

यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट है जिसका सब काम सोशलिज्म की बेसिस पर हो रहा है। इसके कहने की क्या जरूरत थी, दूसरी चीज देखिए, सोशियो एकोनामिक मैटर कैसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। पार्लियामेन्ट की सुप्रीमेसी, हरिजनों, ट्राइबल्स की तरक्की के लिए, गरीबों को उठाने के लिए रईसों की जायदाद हटाना ऐसे-ऐसे बढ़िया लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। फन्डामन्टल राइट्स हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़े बन कर खड़े हो गए हैं, इसलिए कांस्टीट्यूशन का बदलना बहुत जरूरी है, यह नारा लगाया गया। देखने की चीज है कौन रोड़ा है। पहला रोड़ा गोलकनाथ केस में हुआ। उसकी अपील हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट दिया कि नहीं, फन्डामेन्टल राइट्स बदले जा सकते हैं और यह भी कह दिया कि फन्डामेन्टल राइट्स में प्रापर्टी नहीं आती। कांस्टीट्यूशन को बदला जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ? हमारे मित्र प्रभु नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं। उन्होंने जिक्र किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ? हमारा कांस्टीट्यूशन फेडरल कांस्टीट्यूशन है रूल आफ ला। जितनी बातें भी हमारे मुल्क के अन्दर हों उनका जुडिशियल रेव्यू हो सकता है। अगर आप किसी ट्रस्ट के मालिक हैं, कोई भी नागरिक आपके खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है। उसका जुडिशियल रेव्यू हो सकता है। यह रूल आफ ला है।

तीसरे, हमारी सरकारों की लिमिटेड पावर है। असेम्बली चुनी जाती है, पार्लियामेन्ट चुनी जाती है, पांच साल का टाइम दिया जाता है। जो कानून बनता है उसका जुडिशियल रेव्यू इसलिए होता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी गयी है जो संविधान के विपरीत पड़ रही हो। यह जुडिशियल रेव्यू है। जुडिशियरी सुप्रीम बनायी गयी है। स्टेट्स और यूनियन के कुछ रिश्ते हैं जो बताए गये हैं। हमारी रिपब्लिक फार्म आफ गवर्नमेन्ट है। यही बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ-साथ कितनी और

चीजें हैं। देखने की चीज यह है कि क्या फन्डामेन्टल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में कुछ झगड़ा है जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है। कल बात कही जा चुकी है लेकिन उसको फिर दोहरा रहा हूं। जब केशवानन्द भारती का केस हो गया उसके बाद फिर गवर्नमेन्ट ने सुप्रीम कोर्ट में उसका रिवींजन कराया और जैसा कि कल कहा गया, 13 जजों की एक बेन्च बैठी। बहस के दौरान प्वाईंटेडली चीफ जस्टिस ने एटार्नी जनरल से पूछा कि आप यह बतायें कि कौन सा आपका प्रस्ताव या बिल ऐसा है जो इन फन्डामेन्टल राइट्स की वजह से रुकावट में आ गया है? दो दिन की बहस के अंदर कोई चीज जब नहीं बता सके तो बेन्च डिजाल्व कर दी गयी और कहा कि आप हवाई किले बना रहे हैं। ये सब लिखी पढ़ी चीजे हैं और आप सब लोग इसको जानते हैं। इतना होने के बाद भी बराबर इस बात का नारा लगाना कि सोशियो एकोनामिक प्रोग्रेस रुकी पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, फन्डामेन्टल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिन्सिपल किसी एक ही चीज के दो पहलू हैं। उनके अन्दर हारमनी है, कहीं भी टकराव नहीं है। हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, तो इस तरह से कुछ बेसिक अधिकार मिले हुए हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को गाली देने लगें अखबार वालों को अधिकार है, मगर यह अधिकार नहीं है कि वे यह छाप दें बड़े-बड़े शब्दों में, हेड लाइन्स में कि राममूर्ति बेईमान हैं। जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे सभी मर्यादित हैं, उनमें कहीं भी डायरेक्टिव प्रिन्सिपल से टकराव नहीं है, उनमें हारमनी है। टकराव तो इन कम्युनिस्ट लोगों का है। यह तो यही कहते हैं कि व्यक्ति स्टेट के कामों में रुकावट डालता है। प्रजातन्त्र कभी इस बात को नहीं कहता।

प्रजातन्त्र में तो अगर फन्डामेन्टल राइट्स नहीं है तो फिर इन्सान के लिए कोई इनीशिएटिव रहेगा ही नहीं। उसके अन्दर कोई उत्साह रहेगा ही नहीं। इसलिए इन अधिकारों का रहना निहायत जरूरी है। इसके बिना तो सारा समाज ही लुंज-पुंज हो जाएगा उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। हमको आज अगर सड़क पर चलने का अधिकार है तो उसका कभी अर्थ यह नहीं है कि हम सड़क पर साइकिल लेकर खड़े हो जायं और किसी और को निकलने ही न दें। उसका सीमित दायरा बना हुआ है। कहीं कोई टकराव है ही नहीं। फन्डामेन्टल राइट्स डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में हारमनी है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह जो कहा गया कि यह हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहे थे, यह कहना बिल्कुल गलत है। कहीं भी फन्डामेन्टल राइट्स की वजह से रुकावट नहीं आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रापर्टी राइट के बारे में कहा गया। सरकार चाहती तो इसके लिए भी कानून ला सकती थी, उसको खत्म करने के लिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने यह बुद्धिमानी की बात की। मैं यह नहीं चाहता कि प्रापर्टी राइट्स को खत्म किया जाय। मगर यह जो सोशियो एकोनामिक वाला संशोधन किया गया है यह बिलकुल ही बे बुनियाद है और इसका कोई औचित्य नहीं है, "यह केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ही किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, खेर साहब जब असेम्बली के स्पीकर थे तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों न हो अगर हमारा इन्टेन्शन और हमारी स्प्रिट अच्छी नहीं है तो कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, अगर नीयत अच्छी है तो हम अच्छा काम कर सकते हैं और अगर किसी चीज की कमी भी है तो हम उसको भी पूरा कर लेंगे, उससे कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारी नियत ठीक होना चाहिए। अगर वह है तो कानून कोई रुकावट नहीं डाल सकता। गांव में एक कहावत है—"नाच न आवे आंगन टेढ़ा"। आपका काम करने का कोई इरादा ही नहीं है, संविधान व दूसरी चीजों को दोष देते हो।

[श्री राममूर्ति]

अध्यक्ष महोदय, आपके ही प्रदेश का करीब 1 हजार कुछ करोड़ का बजट है। इसमें से 780 करोड़ रुपया केवल वेतन और डी0ए0 आदि कामों में खर्च हो जाता है। जो शेष दो ढाई सौ करोड़ बचा उससे आप पूरे प्रदेश में, सहारनपुर से लेकर मुगलसराय तक अर्थात् चारों तरफ तरक्की के काम करना चाहते हैं। इतने बड़े एरिया में इतने रुपयों से क्या हो सकेगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान को बने आज 27-28 वर्ष हो गए, क्या आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आया है या नहीं ? और क्या संशोधन की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

आप सब कुछ जानना चाहते हैं और पढ़ते-लिखते हैं नहीं, खा--म-खां बीच में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। अरे भाई, यह सब तो किताबों में लिखा पढ़ा है, किसी भी किताब को खोल लीजिए वह सब मिल जाएगा, पूछने की क्या जरूरत है ?

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात पर आता हूं। इस संविधान संशोधन विधेयक में 5वां अमेन्डमेन्ट है जिसमें पालिटिकल मैटर्स में, पावर्स लेने की बात है। अब पार्लियामेन्ट ने यह पावर सारी ले ली है कि वह एन्टी नेशनल सारे कानूनों को बनाएगी। और वे कानून जुडिशियल रेव्यू के अन्दर नहीं आयेंगे। माना हमने एक जुलूस निकाला सरकार की ज्यादती के खिलाफ या लेबर और मिल मालिकों का झगड़ा हुआ, उसके खिलाफ निकाला। तो अब न तो दिल्ली की सरकार उसमें आएगी न कोई मिनिस्टर देखने जाएगा वहां तो उस जुलूस में होंगे दरोगा जी, सिटी मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी लोग। हमारे जुलूस को देखते ही वह कहेंगे कि यह तो ऐन्टी गवर्नमेन्ट हैं और हमको जेलखाने में बन्द कर देंगे। अब हम घूमते फिरेंगे बस्ता लिए हुए कचहरी, वकीलों के यहां, जमानत आदि के लिए। आप जरा इस पर सोचिए। फर्ज कीजिए कि सूबे में सरकार एक पार्टी की है और केन्द्र में दूसरी पार्टी की है। तब क्या नतीजा होगा ? स्टेट की सरकार सदा डिपेन्डेन्ट रहेगी केन्द्र पर क्योंकि स्टेट की तो लिमिटेड पावर्स होती हैं, सेन्टर की जहां त्योरी बिगड़ी इनका काम तमाम।

अभी दो साल पहले आपने देखा यहां हमारे प्रदेश में कितना बड़ा फ्लड आया और हमें तो मिला 3 करोड़ रुपया, मद्रास में यहां का 1/8 हिस्सा भी फ्लड नहीं आया, मगर चूंकि केन्द्र की सरकार वहां से खुश थी, मद्रास को 18 करोड़ दिया फ्लड सहायता के लिए। तो हर बात के लिए प्रदेश की सरकार को केन्द्र की सरकार की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार हर बात के लिए उनके नीचे हैं। अगर दो मुख्तलिफ पार्टियों की सरकारें हैं तो पार्लियामेन्ट वहां की सरकार को हटा सकती हैं। इतनी बड़ी ताकत है इन अमेन्डमेन्टों के अन्दर। यह अमेन्डमेन्ट बहुत ही खतरनाक है और इसकी दो धारें हैं। जो बैठे हुए हैं, कभी कश्ती उलट गयी तो इन्हीं के गले काट देगी। दूसरी चीज कौंसिल आफ मिनिस्टर्स यह है अमेन्डमेन्ट नं0 30, आर्टिकल 74। अभी तक यह है कि पार्लियामेन्ट में मजारिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके लिए कौंसिल आफ मिनिस्टर्स बनाए, जो सलाह दिया करेंगे, उसके मुताबिक प्रेसीडेन्ट कार्य किया करेंगे और अब उसके अन्दर तब्दीली की गयी है कि जो कैबिनेट होगी वह सलाह दिया करेगी प्रेसीडेन्ट के लिए। लेकिन जो प्रेसीडेन्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स थीं, जो रेस्ट्रेंस थे, जो वेक्स एण्ड बैलेंसेज थे वह ताकत उनसे ले ली गयी है। हिन्दुस्तान की जितनी भी डिमोक्रेसी है, इंग्लैन्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड, कनाडा उन सब के अन्दर यह है कि वहां

के जो हेड्स हैं वह कांस्टीट्यूशनल हेड्स हैं वे, जो प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं, कैबिनेट सलाह देते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वे ले ली गयी हैं।

प्रेसीडेन्ट फौजी फोर्सेज के सुप्रीम कमांडेन्ट हैं। प्रेसीडेन्ट अगर जानते हैं कि किसी कैबिनेट के सदस्य ने कोई काम किया है, गलत हो गया है तो वह पूरी कैबिनेट के लिए रिफर कर सकते हैं। प्रेसीडेन्ट यह भी कर सकते हैं कि कोई कानून बनाया गया है, अगर वह देखते हैं कि उसमें कोई बात गैरमुनासिब है, तो वह फिर पार्लियामेन्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको दुबारा देख लिया जाय। इस तरह की कितनी चीजें हैं, जो पार्लियामेन्ट इग्जीक्यूटिव के ऊपर रिस्ट्रेन हैं, वह कोई यह नहीं है कि प्रेसीडेन्ट उसको दबा देंगे, रोक देंगे, बल्कि थोड़ा उसके अन्दर मुलायमियत ला देंगे। इस अमेन्डमेन्ट के बाद, पास होने के बाद, वह पावर्स उनकी जाती रहेंगी। प्रेसीडेन्ट कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कितने मौके होते हैं, जब एक पार्टी की मैजारिटी नहीं होती है, तो वह प्रेसीडेन्ट का काम है, कांस्टीट्युशनल हेड का काम है कि वह देखे, अपने मालूमात की बुनियाद पर से कि किसी उपुयुक्त आदमी को प्रधान मंत्री बनाए। यह उसका काम है देखने का। जो पार्टी पावर में है अगर उसके ऊपर नो कांफीडेन्स आ गया है, तो उसके बाद किस आदमी को बुलाया जाय दूसरी सरकार बनाने को।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठने का कष्ट कीजिए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री राममूर्ति—

अरे आप बैठ जाइए, हमे बोलने दीजिए। मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। मेरी तो ऐसी सादी बातें हैं, इसमें क्या स्पष्टीकरण करने की जरूरत है ?

एक आवश्यक बात और है। एक और डिफिकल्टी पैदा होगी और वह कब पैदा होगी, जब कि सेन्ट्रल में कोई पार्टी इन पावर में है, उसको नो कांफिडेन्स मोशन से हटा दिया, तो अब प्रेसीडेन्ट के पास यह ताकत नहीं है कि वह दूसरे आदमी को गवर्नमेन्ट बनवाने के लिए बुलाए। प्राइम मिनिस्टर कह सकती है कि नहीं जरा ठहिरिए, हम हार गए तो क्या है, लेकिन हमारी मेजारिटी अभी भी है और इस तरह से हार्स ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ? प्रेसीडेन्ट के डिस्क्रिशन पर अब यह नहीं रह गया कि वह अपनी ताकत से उसे हटा दे। उसकी ताकत में वह चीज नहीं रह गयी है। मालूम नहीं आगे चल कर इसका नतीजा क्या-क्या होगा ?

डेमोक्रेसी में जो बुनियादी चीज है वह इलेक्शन है। फ्री और फेयर एलेक्शन बुनियाद है डेमोक्रेसी में। उसके लिए एक इंडिपेन्डेन्ट एलेक्शन कमीशन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्री टी0 एन0 सिंह हार गए थे फिर भी आपने उनको मुख्य मन्त्री बनाए रखा था।

श्री राममूर्ति—

श्री टी0 एन0 सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया था। अगर दो-चार दिन रुक ही गए तो कौन सी ऐसी बात हो गयी ? और वे तो पार्लियामेन्ट के चुने हुए सदस्य थे। वे 5 कांस्टीट्यूएंसी से खड़े हुए थे और एक से हार ही गए, तो भी चार से तो वे जीत कर आए थे। इसलिए ऐसी क्या बात हो गयी ?

[श्री राममूर्ति]

मैं यह कह रहा था कि एलेक्शन कमीशन एक इन्डिपेन्डेन्ट बाडी है। वह एलेक्शन को कन्डक्ट करता है? एलेक्टोरल रोल बनवाता है और जो डिफिकल्टीज होती हैं एलेक्शन के दौरान उनको तय करता है। यह तो आपने देखा होगा और माननीय सदस्य जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स एलेशन के दौरान न्यूटरल तरीके से काम करते हैं; वे यह नहीं देखते कि कौन मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टिर नहीं है। पार्लियामेन्ट और विधान सभा के सभी सदस्य जानते हैं कि आफिस आफ प्रोफिट क्या है? अगर आफिस आफ प्राफिट साबित हो जाए तो मेम्बरी खारिज हो जाएगी। यह 19वां अमेन्डमेन्ट जो है वह आफिस आफ प्राफिट का है। इसे पार्लियामेंट तय करती है यह पहले से जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा कि जो लोग रिसोर्सफुल होंगे और वे पार्लियामेन्ट में चुन कर आवेंगे तो वे हजारों तरीके से अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे मेम्बरों को तरह-तरह के प्रलोभन आदि देकर के। इस तरह से आफिस आफ प्राफिट का कोई प्रतिबन्ध नहीं रह गया है। जिसको पार्लियामेन्ट कह दे वही आफिस आफ प्राफिट है वरना नहीं है। जनता को उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से यह जो 19वां अमेन्डमेन्ट है यह बहुत ही खतरनाक अमेन्डमेन्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जुडिशियल रिव्यू की बात है, उसके बारे में कल बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। केवल एक बात कहूंगा। हमारे मुल्क में रूल आफ ला है। अगर आज कोर्ट गवर्नमेंट की कोई फाइल मंगवा कर देखना चाहें तो उसे देख सकती है.....

(इस समय 12 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब मिनिस्टर साहब, सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों को स्वछन्दता है कि अगर हाई कोर्ट को फाइल न दिखाना चाहे तो इन्कार कर देंगे। जो चाहे कर सकते हैं। पूरी आजादी है। मैं पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से, अध्यक्ष महोदय, कि डेमोक्रेसी में अगर यह प्रथायें चलेंगी, चीजों को छुपाकर रखा जायगा उनका जुडीशियल रिव्यू नहीं हो सकता है तो फिर जो इक्जीक्यूटिव हैं, उसके अधिकारी हैं वह दिन पर दिन अथारिटेरियन बनते चले जायेंगे। इक्जीक्यूटिव की टेंडेंसी होती है अथारिटेरियन बनने की। कांस्टीट्यूशनल बैलेन्स इसीलिए लगाया जाता है कि वह डिक्टेटर न बन जायं। इस कांस्टीक्ट्यूशनल एमेंडमेंट के जरिए से यह ताकत छिन गयी है, हर अधिकारी और हर मिनिस्टर जो चाहे कर सकता है उसको रोका नहीं जा सकता है। चेक जो था वह हट गया है।

एक बात और है। जूडीशियल रिव्यू के बारे में। अभी तक हाईकोर्ट के दायरे में ट्रिब्यूनल बने हुए थे। अब वह ताकत हट गयी है। अब ट्रिब्यूनल अपनी जगह पर एक पेरेलेल हाईकोर्ट बन गए हैं। सरकर समझ रही है कि ट्रिब्यूनल बना देने से सारे मुश्किलात हल हो जायेंगे। यह सरकार का भ्रम है। सरकार ने एक विजीलेन्स कमीशन बनाया है। 10-10- साल हो जाते हैं केसों का निपटारा नहीं हो पाता है। अगर एक आदमी का केस पहुंच गया तो, राम नाम और शिव शंभू जब तक न हो जाय तब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। जूडीशियल रिव्यू इतना इम्पारटेंट आइटम है डेमोक्रेसी का कि उसको निकाल देने से जो डिक्टेटोरियल नहीं है उसकी टेंडेंसी भी डिक्टेटोरियल की हो जाएगी। इस ताकत को इस संशोधन के जरिए से निकाल दिया गया है। अब अध्यक्ष महोदय, एक बात और है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कब तक बोलेंगे?

श्री राममूर्ति—

बलिया के मेम्बर साहब क्या फरमा रहे हैं जरा जोर से कहें ; दूसरी बात यह है कि पार्लियामेन्ट लोक सभा और राज्य सभा को मिलाकर बनती है। पार्लियामेन्ट को सुपरमेसी का बड़ा जिक्र किया गया है कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है। कैसा स्लोगन है? बड़ी खुशी की बात हुयी। सुप्रीम चीज क्या होती है? अगर पार्लियामेन्ट सुप्रीम है तो यहां पर रेटीफिकेशन का बिल काहे को आया है? अगर आधी से ज्यादा स्टेट्स रेटीफिकेशन, इस बिल के हक में वोट न दें तो वह अधिनियम गिर जायगा। तो फिर सुपरमेसी क्या रहेगी! सोवरनटी की बात तो समझ में आती है। सुपरमेसी क्या हुयी? यू0 पी0 गवर्नमेंट के तमाम विभाग हैं। पी0 डब्ल्यू0 डी0 सुप्रीम है, इरीगेशन सुप्रीम है या एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 सुप्रीम है? यह तो एक अंग है, एक शरीर के अंग हैं। सबके अन्दर हारमोनी की जरूरत है। सुपरमेसी क्या चीज होती है? इक्जीक्यूटिव, जुडीशियरी यह तो अंग हैं इनको अलग-अलग हक दिए गए हैं कानून में। इसलिए दिए गए हैं कि एक दूसरे को मदद करें। अगर डेमोक्रेटिक सेंस है उनके चलाने वालों में तो वह इसलिए नहीं है कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें। बल्कि पहले उनके अन्दर हारमोनी पैदा करें और सब लोग मिलजुलकर काम करें। इसलिए यह सुप्रीमेसी का गलत आइडिया है। यदि पार्लियामेन्ट का इस तरह के बेसिक फीचर को मिटाने का इरादा है तो फिर डिक्टेटरशिप और डिमोक्रेसी में फर्क क्या रहा? इसलिए यह कहना कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है यह कोई माने नहीं रखती है।

पार्लियामेन्ट का अपना फन्कशन है, उसकी लिमिटेड पावर है और वह 5 साल के लिय होती है। वह सावरेन है। उसकी लिमिटेड पावर है जिनके अन्दर उसको काम करने का राइट है। इस माने में वह अपना काम करने में सुप्रीम है। उसको संविधान में बदलने का राइट है लेकिन मर्यादित ढंग से जिससे संविधान के जो बेसिक फीचर हैं उनसे टकराव न हो जाय। यदि ऐसा होता है तो पार्लियामेन्ट अपनी जगह सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह नहीं है कि अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि जो पार्लियामेन्ट पास करे उसको वह रद्द कर दे। उनको देखना है, सिर्फ इन्टरप्रेटेशन देना है कि संविधान के अनुसार कानून बनाए जा रहे हैं कि नहीं। इक्जीक्यूटिव अपनी जगह सुप्रीम है और जो कुछ काम करती है वह मर्यादित ढंग से करती है! इस माने में पार्लियामेन्ट के जो कार्य हैं, जो उसके अंग हैं उन सब के अन्दर हारमोनी होनी चाहिये और टकराव नहीं होना चाहिए। इसलिए यह जब कहा जाता है कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है तो यह लोगों को गुमराह करने के लिये कहा जाता है। उनको बेवकूफ बनाने के लिये कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट यदि जो फन्डामेन्टल राइट्स है उन पर अटैक करती है तो उसके माने उन हकूक पर अटैक न करके जो चुनकर लोगों को भेजा गया है, उस पर हमला है जो अच्छी चीज नहीं है। इस माने में कांस्टीट्यूशन के जो 6-7 पहलू आपके सामने रखे हैं उसमें एक बात और हमारे संविधान में है कि कुछ ऐसी स्वतन्त्र बाडी बनायी गयी है जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कम्पट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल आदि हैं, तो यह क्या हैं? यह चेक एन्ड बैलेन्स हैं। यदि किसी की गलती है तो उनको इनके द्वारा चेक किया जाता है। अतः यदि इनको हटाकर ट्रिब्यूनल्स को दिया जाएगा और वह सरकार के इसारों पर रहेंगे तो उनको आजादी नहीं रहेगी। इस प्रकार जो कांस्टीट्यूशन के राइट मिले थे उसमें एक बात यह होगी कि जो पार्टी ताकत में होगी वह पार्टी उनका दुरुपयोग कर सकती है और बनाते वक्त कानून के बनाने वाले यह कहते हैं कि जो कानून बनाया जा रहा है इसका दुरुपयोग नहीं होगा। यह मीसा जब यह कानून बना था जिसका जिक्र कल किया गया था मुझे याद है मोरार जी भाई ने खड़े होकर यह क्वेश्चन किया था कि मीसा का मिसयूज हो सकता है। लेकिन ये कहेंगे कि मीसा का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मीसा का क्या हो रहा

[श्री राममूर्ति]

है? आज यह मीसा तलवार बन कर लटक रही है और इस मीसा की बदौलत जो लोग ताकत में हैं, सी० आई० डी० में हैं, पुलिस में हैं, हजारों इन्सानों को ऐसे दुहते हैं जैसे गाय को दुहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि शिकायत कर सकें। मीसा इतनी बड़ी रिवाल्वर है कि इसको निकालने से पहले ही आदमी घबड़ा जाता है। इस तरह से जितने भी कानून हैं जिनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं है उनके बनाने वाले कहते हैं कि इनका दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन तजुर्बा यह बतलाता है कि इनका दुरुपयोग होता है। ताकत में जो लोग बैठे हैं वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपनी बनायी हुई स्कीमों को कामयाब करने के लिए जो भी अड़चनें उनके रास्ते में आती हैं हर तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बात की जरूरत है डैमोक्रेटिक सेटअप में कि चाहे कोई व्यक्ति हो, एक दूसरे के ऊपर सुपरवीजन हो ताकि उनकी गलती पकड़ी जा सके और उनको कुछ डर हो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इन 6–7 कांस्टीट्यूशन के पहलुओं पर अपनी राय जाहिर की उससे यह मैंने स्पष्ट किया है कि इस कांस्टीट्यूशन में जो अमेन्डमेन्ट हुआ है उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका प्रोसीजर भी ठीक फालो नहीं किया गया है। यह महज रूलिंग पार्टी ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने भविष्य के लिए, मजबूती और प्रोटेक्शन के तौर पर यह कानून बनाया है ताकि वह हमेशा ताकत में बनी रहे। कहती रहे कि लोग हमारे मालिक हैं, जनता हमारी मालिक है लेकिन जनता को उसकी कोई हैसियत इस संविधान में जो अमेन्डमेन्ट हुआ है उससे नहीं है। जो लोग पब्लिक लाइफ में एहसास करते हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, दूसरे की तकलीफ को देखकर जिनके दिल में टीस उठती है उन्हें इसे पढ़ कर बड़ी तकलीफ होगी। यह जो अमेन्डमेन्ट किया गया है इससे डिमोक्रेसी का गला घोंटा है और इसके बाद किसी सेल्फ रेस्पैक्टिंग आदमी के साथ सद्व्यवहार करने की बिल्कुल गुंजायश नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुसमर्थन प्रस्ताव जो पेश किया गया है, की मुखालफत करता हूं।

(न्याय मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—
श्रीमन्, मुझे बोलना है.....

श्री अध्यक्ष—
माननीय सदस्य पक्ष में बोलना चाहें तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि पक्ष में बोलने के लिए स्वयं मन्त्री जी खड़े हो गए हैं तो उनको बैठना चाहिए।

*न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण) —
मान्यवर, चूंकि मुझे काउन्सिल की डिबेट में भी फाइनल रिप्लाई देनी है इसलिए मैंने इसी अवसर पर इसे बहस में भाग लेना उचित समझा। मान्यवर, विरोधी पक्ष की तरफ से इस संशोधन विधेयक पर बहस प्रारम्भ करते हुए यह बात कही गयी कि आपात्कालीन स्थिति के जो गेन्स हैं वह गेन्स इस वजह से हैं चूंकि फसल अच्छी हुई थी और उसकी वजह से दाम गिर गए थे जिसकी वजह से यह गेन्स की बात आती है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल से इतना ही कहना चाहता हूं कि इमरजेन्सी जब नहीं लागू थी उसके 3 महीने पहले जो इक्नामिक ग्रोथ रेट था इस देश का वह केवल .5 था। अप्रैल, मई, जून में इमरजेन्सी के पहले जो गेन्स थे उनका रेट केवल .5 था। लेकिन इमरजेन्सी लगने के बाद जो 9 महीने मिले उस 9 महीनों में इस देश का ग्रोथ रेट जो था वह 10 फीसदी हो गया। इस बात से स्पष्ट है कि इमरजेन्सी के लगने के कारण प्रोडक्शन के मामले में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। इस सिलसिले में दो राय नहीं हो सकती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और माननीय नेता विरोधी दल ने कही कि जो फारेन एक्सचेन्ज अरनिंग के मामले में, फारेन ट्रेड के मामले में जो बढ़ोत्तरी हुई 2 हजार करोड़ के करीब थी वह केवल इस वजह से हुआ कि स्मगलिंग की कार्यवाही पहले से चल रही थी। मैं मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि इमरजेन्सी के पहले जो कार्यवाही चल रही थी वह उतनी प्रभावकारी नहीं थी जितनी प्रभावकारी स्मगलिंग रोकने के लिये होनी चाहिए थी और इसी वजह से कई केसेज हुए कि कई स्मगलर इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छोड़े गए। गोविन्द सिंह और शंकर लाल गुप्ता का केस जो बम्बई का है जो डिटेन्शन में रखे गए स्मगलिंग के सम्बन्ध में लेकिन हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। घमंडी राम गोस्वामी जिसके ऊपर 10 हजार घड़ियों की स्मगलिंग का आरोप था, हाई कोर्ट से छोड़ दिए गए। लक्ष्मी गोविन्द के मामले में डिटेन्शन में वह भी छोड़ दिए गए जब तक कि इमरजेन्सी के सिलसिले में कानून में तब्दीली नहीं की गई। तो यही मामले एकाध नहीं हैं कई मामले गिनाए जा सकते हैं और....

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से बहुत से मुकदमें मर्डर के भी छूट जाते हैं तो फिर मर्डर केसेज में हाई कोर्ट की पावर को ले लेना चाहिए, इसका यह मतलब हुआ ?

श्री प्रभुनारायण—

माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही कि बहुत से मुकदमें हाई कोर्ट से छूट जाते हैं और चूंकि मुकदमे छूट जाते हैं इसलिए हाई कोर्ट की पावर को ले लेना चाहिए यह बात व्यंग में कही गयी है। लेकिन मैं तो हाई कोर्ट की पावर लेने की बात नहीं कह रहा था मैं तो इस बात को कह रहा था कि जो नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि स्मगलिंग के मामले में जो कार्यवाही पहले से चल रही थी उसकी वजह से ही फारेन एक्सचेन्ज में इतना गेन हुआ है। तो मैं यह तर्क दे रहा हूं कि एमरजेन्सी के आने के बाद स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्यवाही हुई वह इतनी इफेक्टिव थी, एमरजेन्सी के पहले पोजीशन यह थी कि स्मगलर्स हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से छूट रहे थे तो....

चौधरी चरण सिंह—

अगर कानून में कोई खराबी थी तो उसमें एमेन्डमेन्ट करते ?

श्री प्रभुनारायण—

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि केवल यह नहीं कि इमरजेन्सी के आने के बाद ऐक्ट चला था उसके अन्दर जो कार्यवाही हो रही थी वह उतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी कि इमरजेन्सी के बाद स्मगलिंग की रोक के लिए इफेक्टिवनेस आयी। मैं नेता विरोधी दल को यह बात याद दिलाना चाहूंगा कि प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट इस देश में आज नहीं, आज से 10, 15 वर्ष पहले से लगा हुआ था और टेक्निकल बातों को छोड़ कर कोर्ट को उस मामले में इन्टरवीन करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहना कि इमरजेन्सी लगाने से कोई गेन नहीं हुए, गलत है। हो सकता है कुछ मामलों में पोलिटिकली दो राय हों लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि इमरजेन्सी लगने से मुल्क आगे बढ़ा है, मुल्क की माली हालत में स्टेबिलिटी आई है।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

अगर इमरजेन्सी के पहले आपके शासन में बुराइयां थीं और इमरजेंसी में ही आपका शासन अच्छा चल सकता है तो यह आपकी नालायकी का द्योतक है।

श्री प्रभुनारायण—

मैं अपने लायक दोस्त को समझाने की बुद्धि नहीं रखता लेकिन उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इमरजेन्सी से किसी को खुशी नहीं है। लेकिन जब इमरजेन्सी के लिए

[श्री प्रभु नारायण]

वातावरण पैदा किया जायगा, जब एनार्की तथा कयास पैदा होगा तो डेमोक्रेटिक राइट्स का कर्टेलमेन्ट होता ही है। अपोजीशन का यह फर्ज है वह देख और देश में ऐसी सिचुएशन पैदा न करे जिससे इमरजेन्सी लागू करने के लिए सरकार विवश हो जाय। प्रधान मन्त्री ने जो शब्द राज्य सभा में कहे थे उनको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। "इस सम्बन्ध में इमरजेन्सी लगाने की जो बात है वह खुशी की बात नहीं है लेकिन यदि मुल्क में कयास और डिसआर्डर का वातावरण क्रिएट किया जायगा और हमारे फ्रेम वर्क को संविधान के मुताबिक चलने नहीं दिया जायगा तो ऐसी सूरत में एमरजेन्सी लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है।" जब चुने हुए प्रतिनिधियों से कहा जाय कि जबरिया इस्तीफा दो—गुजरात और बिहार में ऐसा किया भी गया। ....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—
केरल में भी यही हो रहा है।

श्री प्रभुनारायण—
केरल में यही हुआ तो अनुचित हुआ। यदि मैं सत्य प्रकाश मालवीय को जबरिया बैठा कर कहूं कि इस्तीफा दो तो क्या ऐसी स्थिति में रूल आफ ला रहेगा और इसको रूल आफ ला कहा जायगा? अगर आप रूल आफ ला चाहते हैं और इमरजेन्सी नहीं चाहते तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको रूल आफ ला के प्रति निष्ठा दिखानी होगी और अगर निष्ठा दिखाकर कार्य नहीं करेंगे तो फिर इमरजेन्सी के मुताबिक कार्यवाही होगी, क्योंकि आप स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि इमरजेन्सी लगाई जाय। इमरजेन्सी के मामले में सरकारी पक्ष पर जो जिम्मेदारी डालने की बात आप करते हैं मैं आपसे कहूंगा कि उससे ज्यादा जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की है क्योंकि उसने देश में ऐसी स्थिति पैदा की जिससे इमरजेन्सी लगाने की नौबत आई।

श्री राम प्यारे तिवारी—
जब हाई कोर्ट से हार गई।

श्री प्रभुनारायण—
मान्यवर, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि माननीय कैलाश प्रकाश जी से (व्यवधान) मैं गलत समझा मेरा मतलब माननीय राममूर्ति जी से है, उन्होंने कहा कि इसमें फन्डामेन्टल राइट्स को बिलकुल क्रश कर देने की बात हो रही है और इसके बाद फन्डामन्टल राइट्स रह नहीं जायेंगे। उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फन्डामेन्टल राइट्स से ऊपर करने की बात हो रही ह इससे फन्डामेन्टल राइट्स बिलकुल खत्म हो जायेंगे। मान्यवर, बड़ी दुहाई दी गई सुप्रीम कोर्ट की, बड़ी दुहाई दी गई हाई कोर्ट की। इस सन्दर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में श्री शमशेर सिंह के केस में फैसला दिया कि जहां तक डायरेटिक्व प्रिंसिपल्स का प्रश्न है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फन्डामेन्टल राइट्स से इनफीरियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। केशवानन्द भारतीय के केस में भी साफ तौर से कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वह फन्डामेन्टल राइट्स से हमेशा सुपीरियर समझे जायगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फन्डामेन्टल राइट्स में जो झगड़ा था जो विवाद था वह समाप्त हो गया; डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए हैं कि जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन हैं उनको कांस्टीट्यूशनली मदद दी जाय। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हम वीकर सेक्शन की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन उस सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया कि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वह सोसाइटी के ऊपर है। लेकिन हमने इस संशोधन से कहा कि नहीं, कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर इन्डिविजुअल राइट नहीं

हो सकते। हम कहते हैं कि कम्युनिटी विल प्रिवेल ओवर इन्डिविजुवल। हमारे माननीय राममूर्ति जी चाहते हैं कि इंडिविजुवल प्रिवेल करे सोसाइटी पर।

श्री राममूर्ति—

नहीं, मैं यह नहीं चाहता हूं।

श्री प्रभुनारायण—

सोसायटी जो है वह इंडिविजुवल से पीछे है यह कहते हैं, इंडिविजुवल इतना इम्पार्टेंट है कि वह सोसायटी की परवाह न करे। तो मान्यवर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कम्युनिटी को ऊपर उठाने के सिलसिले में है हम यह कहते हैं और यह परिवर्तन हम कर रहे ह। केवल हम इस बात का अधिकार देना चाहते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसको लीगल राइट्स म प्रोटेक्शन मिले उसके लिए हमने लीगल एड की बात की है।

इसके साथ-साथ हम यह भी करना चाहते हैं कि लेबर को मैनेजमेन्ट में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार हो। यह हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से करना चाहते हैं। मैं राममूर्ति जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि फन्डामेन्टल राइट्स को उस जमाने में इम्फैसिस दिया गया था जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब कोई फन्डामेन्टल राइट्स थे ही नहीं और इसी तरह से राइट आफ एसोसिएशन भी नहीं था, राइट आफ फ्रीडम आफ स्पीच नहीं था। उस वक्त हमको कोई राइट नहीं थे। इसलिए फन्डामेन्टल राइट्स को इम्फैसिस दिया गया था। लेकिन आज 27 वर्षों की आजादी के बाद जब मुल्क प्रगति के पथ पर ह उसे आग ले जाने की बात है तो सोसायटी के राइट को प्रिफरेन्स देने की बात हम कर रहे हैं। आज सोसायटी के राइट को प्रिफरेंस देने की बात है। आज इस अवसर पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जिक्र किया गया।

हाई कोर्ट का बड़ा जिक्र किया गया है, जिसको सम्मान और मान्यता देने की बात कही गयी है, उसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सन् 1956 में एन्टी टामस के मामले में यह कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के बारे में कि फन्डामेन्टल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मध्य यदि कोई परस्पर विवाद होगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिवेल करेंगे। तो जब एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे कह दिया है मान लिया है, तो अब उसे क्यों नकारा जा रहा है? राममूर्ति जी मीठा-मीठा हप और कड़ुवा कड़ुवा थू करना चाहते हैं। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक फन्डामेन्टल राइट्स का प्रश्न है, उसको छूने की इसके द्वारा कहीं कोई कार्य नहीं किया गया है कहीं बंदिश लगाने का कार्य नहीं किया गया है। लेकिन हमने यह जरूर किया है कि स्टेट के निर्देशन के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके इम्पलीमेन्टेशन के मार्ग में फन्डामेन्टल राइट्स भी आड़े आएंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही प्रिवेल करेंगे और ये राइट्स सेकेन्ड स्थान पर हो जायेंगे।

कल चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया कि हम लोग तो यह चाहते हैं कि प्रापर्टी राइट को छीनने वाली बात हो जाए, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं था। जबकि वह सोशल ओनरशिप के खिलाफ है, जबकि वे कम्युनिटी के ओनरशिप के खिलाफ हैं जबकि वह कोआपरेटिव मूवमेन्ट के खिलाफ हैं। तो भी उन्होंने यह बात कही। क्यों कही? यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कही कि जो छोटे किसान हैं, दो-एक बीघे के किसान हैं, 5–7 बीघे के किसान हैं, वे भड़क जाएं और वे यह समझने लगें कि जब प्रापर्टी का राइट ले लिया है तो हमारी जमीन भी चली जाएगी और हमसे एक-आधा बीघा जमीन पर झोपड़ी बनवाने का अधिकार भी छिन जाएगा। इस तरह से वह उनको बरगलाने का एक अच्छा अवसर खोज रहे थे। तो एक जगह के ऊपर पोलेटिकल इन्ट्रेस्ट में बात करना उचित नहीं है। यदि सचमुच वह ऐसा सोचते हैं और आवश्यक समझते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने मेनिफेस्टो में समाजवाद शब्द लाने का कार्य कर दें।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

आपके अस्पताल खराब पड़े हैं, उनकी हालत खराब है, उनको देखिए....

(व्यवधान)

श्री प्रभु नारायण—

आज रामअधार राय जी चाहते हैं कि उनकी करनी का भी विश्लेषण हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जिनके साथ आप बैठे हैं, उन्होंने समाजवाद शब्द को ही तिलांजलि दे दी है। ऐसी हालत में श्री नेहरू जी के लखनऊ अधिवेशन में दिए गए उस भाषण से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था कि—

"मुझे विश्वास है कि दुनियां की समस्याओं और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। जब मैं 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं एक अस्पष्ट लोकोपकारी तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक भावना से उसका प्रयोग करता हूं। किन्तु समाजवाद आर्थिक सिद्धान्त की अपेक्षा से कुछ अधिक है। यह जीवन का दर्शन भी ह और इसलिए मुझे पसन्द है। मुझे भारतीय जनता की गरीबी, अत्यधिक बेरोजगारी, अधःपतन और दासता को समाप्त करने का रास्ता समाजवाद के अलावा और कोई नजर नहीं आता। इसके लिए ही अपने राजनैतिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे, भूमि और उद्योग में निहित स्वार्थों को आज सामन्तशाही और निरंकुश राज्यतन्त्र को भी समाप्त करना होगा।"

मान्यवर, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं अपने समाजवादी मित्रों से जो समाजवाद का समर्थन कर रहे हैं। आज जब समाजवाद की भावना चरितार्थ हो रही है, जब सारे देश में हम इस राह को पकड़ने जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से इस भारत को समाजवादी भारत बनाना है तो ऐसी सूरत में जब संविधान के संशोधन की बात आए तो कम से कम उनके मनों में यह बात जरूर होनी चाहिए कि इसके समर्थन में वह अपनी राय का इजहार करें। लेकिन वह इसलिए ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ दिया है। सोशलिज्म के नाम पर केवल डेमोक्रेसी ही करना चाहते हैं। डेमोक्रसी के नाम पर सोशलिज्म को तिलांजलि देना चाहते हैं। इस देश का इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने संघर्षों के बीच में मोड़ ली है। उसको भी देखना जरूरी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सोशलिज्म छोड़ दिया है। उन्होंने सोशलिज्म के नाम पर शोषणलिज्म बना लिया है।

श्री प्रभुनारायण—

मैं इस मौके पर अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं। 1885 में कांग्रेस के सृजन के बाद तिलक के आने के बाद कांग्रेस में तब्दीली हुई। कांग्रेस में दूसरी मोड़ आयी 1921 में जब कि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सिविल नाफरमानी का आन्दोलन शुरू किया। तीसरी मोड़ आयी 1930–31 में उस रात को जब कि रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पूर्ण आजादी चाहिए। जब जवाहरलाल ने उस सम्मेलन में कहा था कि मैं समाजवादी हूं। उसके बाद 1969 में मोड़ आयी जब कि कांग्रेस में यथास्थितिवाद को हार खानी पड़ी और कांग्रेस इन्दिरा जी के नेतृत्व में समाजवाद के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो पायी। इस मौके पर मैं अपने माननीय दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस में इन्दिरा जी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, तो उस ऐतिहासिक अवसर पर जो लोग दूसरे दल में बैठे हुए हैं और अपने को समाजवादी कहते हैं उन्होंने भूल की और इतिहास उस गलती को क्षमा नहीं करेगा। कांग्रेस हमेशा परिवर्तन के साथ आगे बढ़ती रही। जो आज संविधान संशोधन है इसके माध्यम से देश की प्रगति को आगे बढ़ाने का कार्य करने की बात हो रही है।

आज इस बात को कहा जाता है कि इन्डियन ब्रांड आफ डेमोक्रेसी और सोशलिज्म लाने की बात की जा रही है। इसमें दो रायें हो सकती हैं। लेकिन जो फ्रेन्च कांस्टीट्यूशन है, अमेरिकन कांस्टीट्यूशन है, इंग्लैन्ड का कांस्टीट्यूशन है सब में भिन्नता है। सब में अपनी-अपनी स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान को लिखित संविधान के रूप में परिवर्तित करने की बात हुई। जो देश की अपेक्षा है, उसके अनुसार देश में नयी दिशा देने के लिए समाज में जो परिवर्तन जरूरी है वही इन्डियन डेमोक्रेसी है। ऐसी सूरत में यह कहना कि यह परिवर्तन इन्डियन डेमोक्रेसी के नाम पर किया जा रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर युग की आकांक्षा होती है, हर युग के मूल्य होते हैं, युग और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार संविधान में परिवर्तन अनिवार्य है। संविधान, कोई स्टैटिक, स्थायी चीज नहीं है। युग और जनता की आकांक्षाओं के साथ आज संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक देश में समाजवाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इससे हमने साफ तौर से कहा है जो भारतीय समाजवाद है और जो भारतीय संस्कृति है उसे रखना होगा लेकिन जो संस्कृति गल गयी है उसे छोड़ना होगा और उसका जो उत्कृष्ट अंश है उसको अपनाना होगा। यह तभी संभव है जब हम थोड़े बहुत परिवर्तन उसमें लाएं। ऐसी हालत में जब प्रधान मन्त्री ने यह बात कही तो उसे उस परिप्रेक्ष में ग्रहण करना चाहिए।

मान्यवर, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात उठायी गयी। माननीय राममूर्ति जी ने उस पर बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहीं हैं। कल चौधरी साहब ने भी इस पर बहुत कुछ कहा था और आज राममूर्ति जी ने बहुत कुछ कह डाला। लेकिन मान्यवर, चौधरी साहब और राममूर्ति जी ने बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनीशन दी है उसको सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? गोलक नाथ के केस में 5-6 में फैसला हुआ और केशवानन्द भारतीय के केस में 6-7 में फैसला हुआ। केशवानन्द भारतीय के केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात छोड़ दी गयी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसमें असरटेंटी बनी हुई है। हम हमेशा कोर्ट की मरसी पर प्ले करते रहे हैं। आज कोर्ट की मरसी पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात है जो वह कह दें वही बेसिक स्ट्रक्चर है।

मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के मामले में जो तब्दीली का प्रश्न है वह पार्लियामेन्ट के अलावा और कोई तय नहीं कर सकता है। मैं माननीय राममूर्ति जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह कांग्रेस में थे और जो कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनी थी वह लिमिटेड फ्रेन्चाइज के आधार पर बनी थी और आज मैं कहना चाहता हूं कि वह एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर बनी है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि जो कांस्टीटुएन्ट असेम्बली का निर्माण है जो एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर है उसके राइट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है और न उसके राइट को क्वेश्चन करने का किसी को अधिकार है। जहां तक संविधान में परिवर्तन का सवाल है वह एक राजनैतिक सवाल है, पोलिटिकल सवाल है। हमारा कांस्टीट्यूशन क्या होगा यह पोलिटिकल फैसला है। यह जनता नहीं कर सकती है, जनता के प्रतिनिधि कर सकते हैं। पार्लियामेन्ट सुप्रीम है। उसकी सुप्रेमेसी को क्वेश्चन करने का कार्य नहीं हो सकता है। यह वही कर सकता है जो विल आफ दि पीपुल को रिप्रजेन्ट करता है। हाई कोर्ट को ऐसा अधिकार नहीं है। यह अधिकार पार्लियामेन्ट को है। ऐसी हालत में कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन का पूरा हक पार्लियामेन्ट को है। इस अवसर पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने मैनडेट की बात कही थी और कहा कि उसके न रहते हुए संविधान में परिवर्तन किया गया है। इस सिलसिले में 1971 के घोषणा-पत्र को पढ़ देना चाहता हूं जिसमें जनता के सामने मैनडेट लाने की बात हुई थी, उस घोषणापत्र में यह कहा गया है कि—

"फिर भी हाल ही में दिए गए कतिपय न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप संविधान के कतिपय निदेशक तत्वों को प्रभावी ढंग से लागू करना असम्भव गया है ...

[श्री प्रभुनारायण]

राष्ट्र की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। लोकतन्त्र की यह मांग है कि वह जनता की आवश्यकताओं और लालसा को पूरा करे। हमारे संविधान में, आर्थिक विकास के हित में, पहले भी संशोधन किया गया है।

हमारा यह प्रयास होगा कि हम ऐसे संवैधानिक उपाय और संशोधन करें जो सामाजिक न्याय के पथ में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हों।" इसको लेकर....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हमारे पास जो मैनीफेस्टों है, उसमें यह बात नहीं है ?

श्री प्रभुनारायण--

मैं आपको यह किताब भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह असली कांग्रेस का मैनीफैस्टो है, इसके प्रकाशक हैं भारतीय राष्ट्रसंघ, नई दिल्ली।

श्री प्रभुनारायण--

आप किस को असली कांग्रेस समझते हैं, यह आपकी बात है। मान नीय राममूर्ति जी उधर बैठे हैं जो अपने को असली कांग्रेसी समझते हैं।

सन् 1971 के घोषणा-पत्र में साफ शब्दों में दिया हुआ है। इन बातों को लेकर हमारी कांग्रेस चुनाव में गई कि हम को संविधान में तब्दीली करनी है। उस समय राजाओं के प्रिवी पर्स और बैंकों के ने शनलाइजेशन के सिलसिले में जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए, जो दिक्कतें इन मामलों में पैदा हुईं उनके कारण संविधान में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। इस घोषणा-पत्र को लेकर चुनाव में जाने के बाद, इतना बड़ा मैनडेट मिलने के बाद भी आप मैनडेट की बात कहते हैं।

आप इंग्लैन्ड के संविधान की बड़ी दुहाई देते हैं। वहां पर अनरिटिन संविधान है। उसमें वर्ष 1911 में बहुत बड़ी चेन्जेज हुई फिर भी क्या उन्होंने कोई मैनडेट लिया ? तो ऐसी सूरत में ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो संविधान लिखित नहीं है, उसमें कैसे संशोधन हो सकता है ? ब्रिटेन का अनरिटिन संविधान है, तो जो संविधान लिखित ही नहीं है, उसमें संशोधन कैसे होगा ? आप सारे सदन को इसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

वहां भी मैनडेट किसी-किसी मुद्दे पर लिया जाता है। पार्लियामेन्ट डिजाल्व करके जनता में जाया जाता है।

श्री राम मूर्ति--

अमेरिका में गेलप पोल लेने का तरीका है।

श्री प्रभुनारायण--

इस अवसर पर ऐन्टी नेशनल और ऐन्टी सोशल के सिलसिले में एक सवाल उठाया गया। जो अधिकार लिया ा रहा है उसके बारे में बहुत ही भ्रम रखा गया है कि क्या एन्टी नेशनल है और क्या एन्टी सोशल है। अभी तो पार्लियामेन्ट में कानून बनाने के अधिकार की बात हो रही है। इस अमेन्डमेन्ट में केवल कानून बनाने का अधिकार लेने की बात हो रही है। तो उसमें प्रश्न उठाना कि क्या लाया जा रहा है, क्या नहीं लाया जा रहा

है, वह बेकार है। उस अधिकार के लेने के सिलसिले में जो आपने यह बात कही कि ऐन्टी नेशनल की डैफिनीशन क्या होगी तो इस पर राज्य सभा में प्रधान मन्त्री ने जो तीन जुमले कहे हैं वह म पढ़े देता हूं —

"The practising of dismemberment of India is anti-national. Inciting communal or provincial hatred and violence is anti-national. Indulging in the destruction of national installations is anti-national. We are not against trade-union activities."

तो ऐसी स्थिति में "एन्टी-नेशनल" की डेफिनीशन इतनी मुश्किल नहीं है जो न हो सके। इस सम्बन्ध में कानून बनते समय यह देखा जा सकता है कि जो एन्टी-नेशनल, एन्टी सोशल कामों को रोकने के लिए कितने अधिकार लिए जा रहे हैं और कितने नहीं। उसी अवसर पर इस बात को तय किया जा सकता है कि ऐसा कोई काम न हो जिसमें कि जो डर और भय आज प्रशासन का है उसको दूर करने के लिए क्या स्टेप लिए जायं। इस वक्त आपको जरूरत नहीं है।

श्री राममूर्ति—

मैं पूछ सकता हूं कि एन्टी-नैशनल और एन्टी-गवर्नमेंट एक्टिविटी को यहां बैठकर डिसाइड करेंगे या मौके पर दरोगा जी करेंगे? हमें याद है कि जब हमने सत्याग्रह किया तो भारत माता और महात्मा गांधी की जय बोली थी और "इनकलाब-जिन्दाबाद" कहा था और कहा था कि इस इमरजेन्सी को हटाइए, इन लीडरों को छोड़ दीजिए। तो इतनी बातों पर जेलखाने में बन्द कर दिया।

श्री प्रभुनारायण—

मैंने राममूर्ति जी को इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के वाक्य सुना दिए जिससे उनका भ्रम दूर हो जाय। वह तो बिलकुल स्पेसिफिक लिखने की बात है कि यह एन्टी-नैशनल और एन्टी-सोशल एक्टिविटी है। वह दरोगा पर छोड़ने की बात नहीं है। बहुत सी जगह मिसयूज होता है और एग्जिक्यूटिव करेंगे। इसलिए उस मौके पर आप इस सवाल को उठा सकते हैं। इस समय कोई ताकत नहीं ली जा रही है जिससे लगता हो कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेज करने जा रहे हैं। जब कानून बनायें और उससे संतुष्टि न हो तो उस वक्त अवसर होगा आपको अपनी बात कहने का।

एक बात और हुई कि जुडीशियरी को हलाल किया जा रहा है, परसनलिटी को गिराने का काम किया जा रहा है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक मौजूदा सरकार का प्रश्न है, हम जुडिशियरी की परसनलिटी को बहुत आघात नहीं पहुंचाना चाहते, उसकी रेस्पेक्ट को कम करना नहीं चाहते, उसके व्यक्तित्व पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। लेकिन जिन मामलों में डिसीजन नहीं है, सफाई नहीं है, स्पष्टता नहीं है उनको स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा कि जब 5 जज बैठेंगे तो 4 का फैसला एक तरफ आना पड़ेगा? यदि 7 बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 का एक तरफ आना पड़ेगा। जरूर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? इसलिए कि हम डेमोक्रेसी के माध्यम से आज बात करना चाहते हैं। जो भी कानून लेजिस्लेचर में बने, जो जनत, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बनायें या संसद में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि बनायें उसको क्या कामा और फुलस्टाप के नाम पर अल्ट्रा वायरस कर दिया जाय और क्या एक और दो के जजमेंट में उसको खत्म करने की बात हो जाय? दो जजेज बैठकर उसका फैसला कर दें तो डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस नहीं हो सकती है।

यदि डेमोक्रेसी के माध्यम से सोशलिज्म आना है तो जो कानून लेजिस्लेचर या पार्लियामेन्ट बनाए उनकी मान्यता का फैसला कलेक्टिव विजडम आफ दि कोर्ट के इस्तेमाल से होना चाहिए, इंडिविजुवल व्हिम से नहीं। यदि कलेक्टिव विजडम कहती है कि सही नहीं बना, कांस्टीट्यूशन के खिलाफ बना, पार्लियामेन्ट की मंशा के खिलाफ बना तो हम मान

[श्री प्रभुनारायण]

लेंगे, लेजिस्लेचर मान लेगा। पीपुल्स की जो सावरेंटी है उसके मुकाबले में इंडिविजुवल व्हिम को, इंडिविजुवल के जजमेंट को आप प्रधान बनाना चाहते हैं और हम जो जनता की विल है, जो उसकी सावरेंटी है उसके मुकावले में जुडिशियरी को अधिकार देते हुए भी . . .

श्री राम मूर्ति—

और आपका जो जजमेंट है 51 और 50 पर यह आपकी विजडम पूरी हो गयी और उनकी अधूरी रह गयी।

श्री प्रभुनारायण—

हम इंडिविजुवल के व्हिम पर नहीं छोड़ना चाहते हैं कानून का अल्ट्रा वायरस होना। जो विल आफ दि पीपुल है, जिसको यह लेजिस्लेचर और पार्लियामेन्ट रिप्रेजेन्ट करते हैं उसने जो कानून बनाया हुआ है यदि कोई कोर्ट कलेक्टिव विजडम से कह दे कि यह गलत है तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन यदि 1 या 2 जजेज बैठ कर फैसला कर दें तो प्रोग्रेस नहीं हुआ करती है। जमींदारी ऐबोलिशन का इतिहास अच्छी तरह मालूम है। इसी उत्तर प्रदेश में किसानों का बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हुआ जबकि उन्हें खूंटा गाड़ने का अधिकार नहीं था, चरनी लगाने का अधिकार नहीं था, मकान बनाने का अधिकार नहीं था। उस जमींदारी को तोड़ने के लिए भी हाई कोर्ट ने इन्टरवीन किया कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट आप नहीं बना सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय न्याय मन्त्री जी जो कुछ कह रहे हैं वह कल ही अखबार में छप चुका है। यह किस जादूगरी से छप गया ?

श्री अध्यक्ष—

छप गया है, वह दूसरी जगह बोले हैं। विधान परिषद् में भी मन्त्री जी जाते हैं यह आपको जानना चाहिए। अगर आज जो बोल रहे हैं, वह कल ही छप गया है तो आपको इसमें क्या आपत्ति ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं वह एक नहीं छपी और ये जो आज बोल रहे हैं वह कल ही छप गया।

श्री प्रभु नारायण—

असल में कथा वाचकों का जहां तक सम्बन्ध है वह भूत, भविष्य और वर्तमान, सभी कुछ जानते हैं, इसलिए मेरी कुछ दिक्कत है, मैं क्या करूं ? कलेक्टिव विजडम आफ दि कोर्ट की जो बात हो रही थी और चौधरी साहब ने जो बातें उठाई, मैंने कई बार कहा कि मेजारिटी डेसीजन से नहीं होगा, दो/तिहाई मेजारिटी से होगा। इस पर मैं उदाहरण दे रहा था कि जमींदारी एबालिशन कानून राममूर्ति जी ने इस हाउस में पास किया यह समझ कर कि गरीब किसानों को राहत देनी है और हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो रोज कानून इस लेजिस्लेचर में पास हों और रोज कोर्ट उसे खत्म कर दे तो फिर डैमोक्रेसी के माध्यम से सोशलिज्म नहीं आ सकता। जो कानून लेजिस्लेचर बनाएगा उसको कायम रखना पड़ेगा। हमने जुडिशियरी की पर्सनालिटी पर कोई हमला नहीं किया बल्कि जुडिशियरी के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हमने यह कहा कि यदि जुडिशियरी क्लेक्टिव विजडम से कहे कि यह कानून सही नहीं है तो लेजिस्लेचर मान लेगा।

आज प्रश्न यह उठाया गया कि स्टेट की पावर्स कम की जा रही हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक फोर्स एम्प्लाय करने की बात है यह तो पहले से संविधान में मौजूद है। यदि कहीं संविधान ठीक तरह से वर्क नहीं करता है, यदि कोई इन्टरनल डिस्टर्बेन्स की पोजीशन पैदा होती है तो सेन्टर को इन्टरवीन करने का हक संविधान

में पहले से है। यह तो उसी को और डिफाइन कर देने की ही बात की गयी है। उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि अधिक पावर्स ले ली गयी हों। उनको प्रीसाइज करने की बात हुई है।

इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट का सवाल उठाया गया। मान्यवर, वह दसियों साल से बना चला आ रहा है। वह कोई नया ऐक्ट नहीं है। वह ऐक्ट पार्लियामेन्ट का है और उसमें उसको परिवर्तन करने का अधिकार है। अगर उसको कांकरेंट लिस्ट में रख दिया गया तो क्या फर्क हो गया ?

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)

इस इमरजेन्सी का फायदा उठा कर किया।

श्री प्रभुनारायण—

यह गलत है। जब वह बना था तो चौधरी साहब इधर ही पावर में थे। पार्लियामेन्ट ने जो किया है वह उसकी पावर में है।

जहां तक मान्यवर, स्टेट और सेन्टर की पावर्स का सम्बन्ध है वे पूरी तरह से डिफाइन्ड हैं। कहीं भी स्टेट पावर्स का एन्क्रोचमेंट नहीं किया गया है इस संविधान संशोधन के माध्यम से। ऐसी स्थिति में इस तरह का भ्रम फैलाना कि "फेडरल स्ट्रक्चर को ही समाप्त किया जा रहा है, गलत है। हां, मुल्क को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय राममूर्ति जी बैठे हैं, वे थोड़े परेशान भले हों क्योंकि प्रिवी पर्स के मामले में भी इन्होंने राजाओं के साथ खड़े होकर उनकी हमदर्दी दिखायी थी। मगर जो समाजवादी सदस्य बैठे हैं उनको तो इसकी सराहना ही करना चाहिए। इस समय वे उनके साथ बैठे हैं, भले ही कुछ राममूर्ति जी का असर हो जाए, मगर होना नहीं चाहिए।

मान्यवर, जुडिशियरी में इन्टरवीन करने की बात कही गयी। आपको याद होगा कि जब बैंकों के राष्ट्रीकरण की बात आयी उस समय जुडिशियरी ने इन्टरवीन किया, और भी जो समय-समय पर उसने इन्टरवीन किया। इससे काम में रुकावट आयी। आज इसीलिए जुडिशियरी के जूरिस्डिक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। उसको प्रीसाइज कर दिया गया है। बिना ऐसा किए हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पायेंगे। हम किसी भी तरह से जुडिशियरी की रेस्पेक्ट को कम नहीं करना चाहते।

एक बात और रिट के बारे में कही गयी। उसकी पावर को छीनने की बात कही गयी। यह भी मान्यवर, गलत है। इसको सही तरीके से रखने का काम नहीं किया गया। पोजीशन केवल यह है कि आर्टिकल 226 और 32 में से केवल "फार एनी अदर रीजन्स" शब्दों को निकाल दिया गया है। मगर इसकी जगह जो बढ़ाया जा रहा है वह बहुत स्पेसिफिक रखा जा रहा है। अगर इन्जरी आफ सब्सटैन्शियल नेचर हो, तो उसको भी रिट का अधिकार दिया गया है। जहां पर इल्लीगल्टी अकर इन सब्सटैंशियल फेल्योर आफ जस्टिस हो वहां पर भी अधिकार दे दिया है पूरी तरह से 226, 32 में। लेकिन फार एनी अदर रीजन निकाल दिया गया है, तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। किसी का ट्रान्सफर हो जाय, तो रिट हो गयी। किसी के डिमोशन होने की बात है, तो रिट हो गयी। किसी को एक जगह से दूसरी जगह बैठने की बात हो गयी, तो रिट हो गई।

रिट जो है वह एक्सट्रा-आर्डिनरी पावर है। रिट का जो प्राविजन था उसको एक आर्डिनरी प्राविजन बना दिया गया। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़े-बड़े वकीलों की जेबें भरी जरूर हों, लेकिन समाज की प्रगति में, आर्थिक प्रगति के मामले में रिट 226, 32 के अन्दर उससे समाज को धक्का पहुंचेगा। तो ऐसी हालत में हम फन्डामेन्टल राइट्स में कोई इन्क्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। सब्सटैंशियल इनजरी हुई हो, वहां कहीं हम इन्टरवीन नहीं कर रहे हैं। इसमें माननीय सत्य प्रकाश जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए बड़े-बड़े वकील खरे साहब, कक्कड़ साहब को परेशानी हो सकती है। लेकिन आज जो हमारे

[श्री प्रभु न रायण]

स्माल काजेज कोर्ट्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उनके लिए परेशानी की बात नहीं है। यदि स्पेशलाइज्ड ट्रिब्युनल्स की बात होती है, तो क्या बुरी बात है ? आज हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट्स में केसेज की भरमार होती चली जा रही है। यदि हम ट्रिब्युनल्स बना कर स्पेशलाइज्ड तरीके से कार्य करते हैं, तो क्या बुरी बात है ?

श्री मधुकर दिघे—

उसमें कंटेंट्स जजेज को न भेजा करिए।

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, माननीय मधुकर दिघे साहब का सुझाव बहुत सही है। उनके सुझाव पर जरूर ध्यान दिया जाएगा।

श्री मधुकर दिघे—

वह तो आपने, उसकी जगह बना दिया।

श्री प्रभुनारायण—

जो मौजूदा संविधान संशोधन है, वह समाज को परिवर्तन करने वाला, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली दिशा की तरफ ले जाने वाला है।

आज संविधान की तब्दीली की तरफ, जो आज हमने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, वह इस वजह से किया कि हम पूरे तरीके से इस सार्वभौम भारतीय गणतन्त्र को शोषण-विहीन राज्य में देखना चाहते हैं और ऐसी हालत में जब प्रिअम्बुल में यह बात कही गयी तो उसका सीधा मतलब यह था कि आज जो है संविधान के संशोधन के माध्यम से मुल्क को एक दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमेशा जो भी प्रगति होगी इस मुल्क में बिना सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती है। आज सोशलिज्म और सेकुलरिज्म आने से 60 करोड़ का मुल्क मजबूत होगा। एक तरफ सामाजिक क्रांति और बढ़ेगी और दूसरी तरफ एकता बढ़ेगी। हमारा वह देश जो थोड़ी कट्टरता में विश्वास करता रहा है, उनको थोड़ा बुरा लगा होगा। जब उदारता और कट्टरता में संघर्ष हुआ है, तो हमेशा जो कट्टरता की जीत हुई है और हमेशा उदारता की हार हुई है, चाहें वह रामायण हो या महाभारत हो। भारत की सभ्यता में उदारता आगे बढ़ी है, कट्टरता हमेशा पीछे रही है। ऐसी हालत में सेक्युलरिज्म की बात जो इसमें रखी गयी है, उसको लेकर हमारे कुछ दोस्त जो 5 वर्ष पुरानी रूढ़ियों को लेकर उसे पीछे घसीटना चाहते हैं वे कृपया उस कार्य को न करें। इसके जरिए उनके हाथ और मुंह को बांधने की बात जरूर की गयी है। सेक्यूलरिज्म के शब्द को लाकर इस देश में फिरकापरस्ती और साम्प्रदायिकता को पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की गयी है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को इसका श्रेय है। क्योंकि उन्होंने जो देश को नेतृत्व दिया है वह सही नेतृत्व है। 1969 में अगर हमारे दोस्तों ने भूलें न की होतीं तो उनकी भी यही राय बनती। ऐसी हालत में इस परिवर्तन के पीछे जो नेतृत्व है उसके लिए हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी बधाई की पात्र हैं, प्रशंसा की पात्र हैं। इन चन्द शब्दों के साथ जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

1975-76 के बीच में संविधान में कौन-कौन ऐसे संशोधन किए गए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है ?

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैंने एक प्रिविलेज का सवाल दिया था कल।

श्री अध्यक्ष—

उस पर तो मैंने निर्णय दे दिया। आप गैरहाजिर क्यों थे ?

श्री मोहम्मद रफी खां—

अचानक मेरी मां की तबियत खराब हो गयी जिससे मुझे चले जाना पड़ा उनको देखने।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आपकी जो सूचना थी, उसको मैंने माननीय मन्त्री जी के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, आज जिस माहौल में अपनी बात रख रहा हूं, वह थोड़ा बदला हुआ माहौल है। इस विधान सभा के अन्दर भी और इस इमारत के बाहर भी। इस इमारत के बाहर जितना डर, जितना खौफ और जितनी असुरक्षा है, उससे थोड़ा बहुत कम इस इमारत के अन्दर भी है।

श्री अध्यक्ष—

इस इमारत के अन्दर आप जो कुछ बोलना चाहें, बेखौफ होकर, बिना डरे हुए बोल सकते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, अभी कुछ देर पहले इसी विधान सभा के अन्दर मीसा के अन्दर किसी माननीय सदस्य को बन्द करा देने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष—

बाहर जो कुछ भी हो, लेकिन इस सदन में और इसके परिसर में आपको डरने की कोई बात नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं इस निश्चित राय का हूं कि यहां विधान सभा और लोक सभा बनी रहे। क्योंकि ऐसा समय भी हो सकता है जब विधान सभा और लोक सभा का वजूद ही इस देश के अन्दर न रह जाय। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा समय आवे। (व्यवधान) लेकिन गर्ग साहब, ऐसा समय आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि जिस जनता के द्वारा हम यहां चुन कर आए हैं, उनकी भलाई के लिए जो कुछ हम यहां बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, उनको उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इस इमारत के अन्दर ही हमारी बातें गूंज कर रह जाएंगी। लेकिन जिन लोगों के लिए हम बोलते हैं, जिनको तकलीफ है, जो बड़े-बड़े जुल्म और आतंक के शिकार हैं, उन लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पावेगी। यह मुझे एक तब्दीली इस विधान सभा में आज देखने को मिली और बड़े अफसोस की बात है कि अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए इस अधिकार की रक्षा नहीं हुयी है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे रहते हुए, यहां आप स्वतन्त्र ह जो चाहें कह सकते हैं। मैं इस विषय में जो बाहर का कानून है, इस पर जो पार्लियामेन्ट का कानून है, उस पर कोई मेरा वश नहीं है। लेकिन इस सदन में और सदन की जो परिसर है, उसमें आप कह सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि आप भी बेबस हो गए हैं।

(अनेक सदस्यों ने एक साथ बोलना शुरू किया)

सदन में मेरे सामने जो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, शायद वह भी बेबस हो गए हैं। (शोर)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इसको रिकार्ड से निकाल देना चाहिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आज मैं सारे विरोधी पक्ष की बातों को रखूंगा बल्कि उन लोगों की तरफ से भी कुछ बोलना चाहूंगा जो जेलों में बन्द हैं। 25 जून, 1975 से लेकर आज तक लखनऊ, बनारस और उत्तर प्रदेश की तामाम जेलों में जो बन्द हैं उनमें से इस माननीय सदन के सदस्य भी हैं, उन तमाम लोगों को तरफ से कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। मैं जो ट्रेजरी बेंचेज के लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि शायद मेरी बात उनको बुरी लग जाय लेकिन गम्भीरता के साथ जरा सुनने का माद्दा रखिएगा क्योंकि यह संविधान संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन है उसे सिर्फ दल के नजरिए से देखने की चीज नहीं है। आज इस देश में निश्चित तौर पर आदमी की जवान पर ताला लगा दिया गया है और आज जो स्थिति सामने है उसमें कुछ मूल्यों पर बहुत जबरदस्त चोट आयी। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री जी इस देश के अन्दर एक गरीब आदमी की पेट की लड़ाई को इस संशोधन से जोड़

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

रहे थे। 1947 से लेकर 1974 तक इस देश का जितना आर्थिक विकास करना चाहिए था वह नहीं किया गया। सन् 1975 में अचानक ऐसी स्थिति हो गयी कि सारा ला-एन्ड-आर्डर, सारा प्रशासन और प्रगति रुक गयी और इस देश में आपातस्थिति लागू करनी पड़ी। इससे पहले कि मैं 44वें संविधान संशोधन पर अपनी बात रखूं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1967 में इस देश की लोक सभा में एक बहुत बड़ी गलती की गयी और उस गलती की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इस देश के समाजवादी लोगों पर है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनको समाजवाद से नफरत है या एलर्जी है। समाजवाद के जरिए हमारे आदर्शों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेड समाजवाद है, खरीदा हुआ शोसलिज्म या कहीं बाहर से आयातित किया गया समाजवाद हमारा आदर्श नहीं रहा है। यहां इस देश की धरती पर देश की मिट्टी से पनपे हुए समाजवादी को डा0 लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव जी ने रखने को कोशिश की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मौलिक अधिकार हमारे थे वह छीन लिए गए हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि देश के आदमी की आवाज को बन्द किया गया है उसकी शुरूआत 24वें संविधान संशोधन के वक्त से हो गयी थी, मुझे याद है 24 जुलाई, 1967 को डा0 लोहिया ने कहा था, नाथपाई जी ने जब इस बिल को पेश किया था पार्लियामेंट में, तो कहा था कि पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का, किसी भी धारा में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। इस पर डा0 लोहिया साहब ने यह कहा था कि केवल इसमें सम्पत्ति का मामला नहीं है। सम्पत्ति के नजरिए से यह बिल नहीं पेश हुआ और यह बिल पास हो गया तो मेरे जैसे लोग मार दिए जायेंगे और नाथपाई साहब आप भी जेल के अन्दर डाले दिए जायेंगे।

21 जुलाई, 1967 को कही गयी बात आज सही हो रही है और उसके चलते एक बहुत बड़ा अस्त्र इस शासन को मिल गया तो फिर उसकी फिसलन ऐसी हुई कि यह चवालीसवां संशोधन आया है। केन्द्रीयकरण कुछ लोगों के हाथ में संविधान के जरिए पूरे देश में एक फरमान के रूप में फैला दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नाथपाई साहब ने कहा था कि बुनियादी अधिकारों पर आक्रमण हो गया तो मैं उसकी खिलाफत करूंगा। डा0 साहब ने उस समय कहा था कि जब हालत समाजवादी कम्युनिस्टों

की हुई थी वही होगी। उस समय जो आतंक दिखा रहे थे उन लोगों की ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। उस समय प्रगतिशील न्याय विरोधी थी और उन्होंने डा0 लोहिया के विचार नापसन्द किए थे। उन्होंने कहा कि यह कैसे सोच रहे हैं ? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस अन्दाज में उन्होंने सोचा था वही आज हो रहा है। आदमी की जिन्दगी, आदमी की स्वतन्त्रता और वह किसी भी चीज को आज अपने खुद की जमीन पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा ही उदाहरण लोक सभा के अन्दर डा0 लोहिया ने जर्मनी का दिया था जबकि हिटलर के समय में इस तरह के संविधान के संशोधन पास किए गए थे जिसे इनेब्लिंग बिल या आफत को दूर करने वाला बिल कहा गया था। उसमें 5 सेक्शन थे। पहले और पांचवें सेक्शन में सरकार को अधिकार दिया गया था कि 4 साल के लिए वह बनी रहेगी और पार्लियामेन्ट के सहयोग से कानून बन सकता है। आज भी यही अधिकार चवालीसवां संशोधन में राष्ट्रपति को दे दिया कि यदि पार्लियामेन्ट इक्जिस्ट नहीं करती है और यदि राष्ट्रपति चाहता है तो वह संविधान में संशोधन कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

राष्ट्रपति सम्बन्धी उदाहरण किस खंड में है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस संशोधन संविधान के खंड 59 में है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

खंड 59 को मैं पढ़ रहा हूं—यदि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख के पहले जिस रूप में संविधान के उपबन्ध थे, उनसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयां भी हैं) तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत संविधान के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या रूपभेद भी है, जो वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे :

इसे अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं—

"The President may, by order, make such provisions, including any adaptation or modification of any provision of the Constitution, as appear to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty :"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह जर्मनी की सरकार को संशोधन विधेयक द्वारा जो अधिकार दिए गए थे जिसमें पहली और पांचवीं धारा द्वारा जो अधिकार दिए गए थे कि 5 साल के लिए वह सरकार बनी रहेगी और पार्लियामेन्ट के सहयोग से कानून बन सकते हैं। कानून नहीं बना सकते ऐसी बात नहीं है। समय पड़ने पर, महसूस करने पर इस देश के राष्ट्रपति भी बिना संसद के संविधान में संशोधन कर सकते हैं और यह जो उसमें आया है उपाध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रण देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्त्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेगा यानी कि अब संविधान संशोधन करने के लिए मैनडेट की जरूरत नहीं है, लोक सभा की जरूरत नहीं है, विधान सभाओं की जरूरत नहीं है अब संविधान में संशोधन राष्ट्रपति कर सकते हैं और.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं कर सकते।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

और वह मन्त्रि-परिषद् की मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेंगे। एक तरफ तो ट्रेजरी बेन्चेज में बैठने वाले कहते हैं कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है, लोक सभा प्रधान है और जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है वह एक थर्ड हाउस नहीं हो सकता जैसा श्री देव कान्त बरुआ ने दिल्ली में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं इनको पार्लियामेन्ट के मुकाबले हम थर्ड हाउस नहीं बना सकते। निश्चित तौर पर यह जायज बात है कि जो सर्वोच्चता लोक सभा की लोकतन्त्र में होगी वह सर्वोच्चता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की नहीं होगी लेकिन आज तो सर्वोच्चता लोक सभा की भी आवश्यकता नहीं है तथा बिना लोक सभा के राष्ट्रपति संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं।

मान्यवर, इस देश में अब पेन्शन भी दी जा रही है। लोक सभा और विधान सभाओं के सदस्यों का जब कार्यकाल समाप्त हो जायगा तो उनको पेन्शन दी जायगी सरकार की तरफ से ताकि वे सरकार की मुखालफत न कर सकें। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कानून सरकार बनाना चाहती है वह बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि जिस समय हिटलर साहब डिक्टेटर होने चले थे उस समय भी इनेब्लिकम बिल में पांच सेक्शन थे और इतनी चरम सीमा पर बात पहुंच गयी थी कि जर्मन सेना को हिटलर की ओथ लेनी पड़ी थी जर्मन विश्वास को दिखाने के लिए और सारी की सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में आ गयी। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में भी इस संविधान के चलते-चलते सारी की सारी ताकत सिकुड़ कर एक व्यक्ति के हाथ में आ जायगी और ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का कानून बना सकता, किसी भी संविधान का निर्माण कर सकता है कोई भी संशोधन उसमें कर सकता है। मसलन यह जो 44वां संशोधन है इसमें केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध में एक प्राविधान दिया गया है कि अगर ला-एन्ड-आर्डर को मेन्टेन करने के लिये जो स्टेट का फंक्सन है और केन्द्र महसूस करता है तो बिना मुख्य मन्त्री की राय के, मन्त्रि मंडल की राय के वह अपनी फोर्स वहां भेज सकता है। यह काम जो स्टेट का था वह भी अब केन्द्र के हाथ में चला गया। अब दरोगा और आई0 जी0 साहब या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री या मख्य मन्त्री जी या सब लोग जो केन्द्र की ओर देखने वाले हैं अब यदि केन्द्र सेना भेजेगी ला-एन्ड-आर्डर को मेन्टेन करने के लिए, फोर्स भेजेगी तो स्वास्थ्य मन्त्री, मुख्य मन्त्री, मन्त्रि-मन्डल और तमाम लोग न भी चाहें तो भी केन्द्र के ला-एन्ड-आर्डर के नाम पर जो करवाना चाहे करा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि 25 जून, 1975 को इस देश में आपात-कालीन स्थिति लागू की गयी और यह आरोप लगाया गया कि यह जो स्थिति आयी इस देश के अन्दर उसके लाने में विरोध पक्ष के लोगों का पूरा का पूरा हाथ रहा है और लोकतन्त्र पर एक जबरदस्त हमला हो गया है। उस समय विरोधी पक्ष जो लोकतन्त्र का मूल्य था जो लोकतन्त्र का ढर्रा था उस पर यकीन नहीं रह गया था। उस समय जो स्थिति थी महंगाई चरम सीमा पर थी और लोक सभा और विधान सभा जो थी वह निश्चित तौर पर एक आम आदमी की जो इच्छा है उसको व्यक्त नहीं कर पा रही थी और जब लोकतन्त्र के अन्दर जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता की इच्छाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकत तो क्या लोकतन्त्र में किसी भी आदमी को या उस देश की जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की मांग का अधिकार नहीं होना चाहिए या होना चाहिए ? हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन जब संविधान में संशोधन किया जा रहा है मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में नान-एक्जिसटेंट बताकर कुछ भी उसमें जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय यहां पर चुने हुए तामाम लोग चाहे वह कांग्रेस के हों या लोकपक्ष के एम0 एल0 ए0 हों या मन्त्री हों अगर अपने क्षेत्र की जनता से सीधी तरह से बात नहीं करते, उनके दुख में हिस्सेदार नहीं होते तो क्या उस क्षेत्र के लोगों को हक नहीं है कि वह घेरकर सरे बाजार घेरकर रात में पकर नहीं, दिन के उजाले में घरकर, उनसे

पूछें कि हमारी तकलीफें क्यों नहीं दूर की जा रही हैं ? लोकतन्त्र ही एक ऐसा तरीका है जहां पर कि एक आम आदमी अपनी मुट्ठी की ताकत तथा वोट की ताकत से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजता है और जब भेजता है तो उसकी आकांक्षायें भी जागती हैं लेकिन जब ऐसी लोक सभा और ऐसी विधान सभायें होंगी जिसमें कि बैठे हुए लोग निकम्मे होंगे, सरकार निकम्मी होगी, लंगड़ी होगी, लूली होगी, जब सरकार झूठी हो जाएगी और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी, तब उस जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे होगी ? तब केवल लोक सभा और विधान सभाओं के परिवर्तन ही हुआ करेंगे। सन् 1974 की स्थिति ऐसी ही स्थिति हो गयी थी और उस समय भी चाहे वह बिहार का मामला हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वह दिल्ली का मामला, चाहे वह गुजरात का मामला हो, गुजरात के मामले में केन्द्रीय सरकार ने वहां के नौजवानों की वहां की छात्रों की मांगों को स्वीकार किया, बिहार में भी इसी तरह की बात चल रही थी लेकिन लोकतन्त्र में जो संकट पैदा हो गया था उसको हल करने की दृष्टि नहीं थी बल्कि दुर्भावना से ग्रसित मांगें थीं। तो 1973 से चलते 1975 की 12 जून, 12 जून से फिर 23-24 जून और अन्त में 25 जून की रात को इमरजेन्सी लगा दी क्योंकि लोकतन्त्र पर हमला हो गया था। लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष के लोगों ने विधान सभाओं में कार्यवाही नहीं चलने दी ऐसा आरोप लगाया गया लेकिन मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं.....

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, 25 जून को आपातस्थिति लागू की गयी, क्यों लागू की गयी ? यह नहीं कहा गया कि पुलिस और मिलिटरी को अनुशासन में नहीं रहना चाहिए, कहा गया, यह नहीं कहा गया कि प्रधान मन्त्री के केस में चीफ जस्टिस को अनुपस्थिति रहना चाहिए, कहा गया, यह नहीं कहा गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठिए, आप तो भाषण देते चले जा रहे हैं। आप कृपया बैठने का कष्ट करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नौजवान दोस्त ने अभी सदन के सामने इस बात को रखा 25 जून को क्या जयप्रकाश जी ने तथा विरोध पक्ष ने इस देश की सेना से इस हुकूमत के कानूनों को न मानने के लिए अपील नहीं की थी ? इस देश के इतिहास को जरा पलट कर देखें। महात्मा गांधी का नाम बहुत लिया जाता है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए क्या उस समय देश की सेना से अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों को न मानने के लिये अपील नहीं की थीं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

इस तरह की बात कहना गलत है। यह इंसाइटमेंट है। यह मैलेशस है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य विषय पर आयें।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

अंग्रेजों के खिलाफ हमें सब कुछ करने का अधिकार था, उस समय हम विदेशी सत्ता से लड़ रहे थे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

महात्मा गांधी की कही हुई बात को उदाहरण स्वरूप देना इंसाइटमेंट करना है, मैलेशस है तो मुझे ताज्जुब होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के इशारे पर बात कह रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

महात्मा गांधी ने तो कम्युनिस्टों को ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का एजेन्ट तक कहा है।

श्री मधुकर दिघे—

संजय गांधी ने भी इनको खिताब दे दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

संजय गांधी कांग्रेस के नेता नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं यह कह रहा था कि 1947 से पहले इस देश में जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, जय प्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं ने देश को बाहरी ताकत से लड़ने के लिए आवाह्न किया था - - - -

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

बार-बार महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है। किन सिद्धान्तों को लेकर उनकी हत्या हुई थी जो बार-बार उनका नाम लिया जा रहा है ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अगर नाम लेने में आपत्ति है तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जनरल डिबेट नहीं है और न आप बनारस के चौराहे पर बोल रहे हैं। आप विषय पर आइए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आपको चौराहे से शायद नफरत हो गयी है। आप भी चौराहे से ही चुन कर आए हैं न कि राज महलों से।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर आइए विषय के बाहर न जाइए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आप लोगों को चुप करा नहीं पा रहे हैं। मुझे अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है। मैं कह रहा था कि बाहरी जालिम से लड़ने के लिए तो मिसाल मिलती है अब अगर उपाध्यक्ष महोदय, देश का राजा जालिम हो जाय और वह लोगों को आतंकित करे तो क्या देश के लोगों को उसके खिलाफ बोलने का हक है या नहीं ? आज यह बुनियादी सवाल है। क्या कोई इस देश के अन्दर केन्द्रीय सरकार के खिलाफ कह सकता है या नहीं, उसकी मुखालफत कर सकता है या नहीं ? या फिर इस देश का नागरिक अगर पैदा हो तो वह सीधे तौर पर पेट से पैदा होने के बाद अपनी जबान को, अपने दिमाग को केन्द्रीय सरकार के हवाले कर दे। आज अगर मैं रूस में पैदा हुआ होता, या यहां की विधान सभा रूस में चलती तो यह बात हो सकती थी। लेकिन इस देश का संविधान भारत के महान लोगों ने बनाया इसे गणतन्त्रात्मक और लोकतन्त्रात्मक बनाया। जनतन्त्र की यहां स्थापना की गई, उसकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि अगर आदमी सरकार से नाइत्तफाक रखता है तब भी उसे बोलने का पूरा अधिकार है, वह सरकार की मुखालफत कर सकता है। लेकिन आज अगर कांग्रेस सरकार का हम विरोध करते हैं केन्द्रीय सरकार का विरोध करते हैं तो हमें बन्द कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब

है ? मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दें मेरे बोलते वक्त बहुत इन्टरप्शन हुआ है। लोगों को शायद खुशी हुई होगी लेकिन मुझे तकलीफ है कि आज जो स्थिति है उसको ये लोग गम्भीरता के साथ नहीं ले रहे हैं। आज तो केन्द्र सरकार का सिर्फ एक शिकायत है कि विरोध पक्ष के लोग कांग्रेस की सारी की सारी विचाराधाराओं से सहमत नहीं हैं।

25 जून, 1975 को आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। वह कोई देश की उन्नति के लिए या देश के विकास के लिए नहीं की गई बल्कि वह प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की गद्दी के वर्चस्व को कायम रखने के लिए की गई। पेट की लड़ाई के लिए अगर कुछ लोग इस देश में कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी जबान को खींचने की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह मंशा पूरी नहीं होगी। हजारों लोग यहां बाहर से आए और हम पर राज कर गए और चले गए। लेकिन आज अगर आप फिर विदेशियों की ताकत से इस देश को चलान चाहेंगे तो यह हम नहीं होने देंगे। (व्यवधान) किसी विदेशी ताकत का सहारा लेकर और यहां पर कंपिल्ट कराकर सरकार चलाना चाहेंगे तो आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। यह देश मार्क्स और माऊ के सहारे से नहीं चलेगा। यह देश गांधी, लोहिया नरेन्द्र देव आचार्य और जय प्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तियों द्वारा दिखाए गए रास्ते से चलेगा। जो भी हुकूमत जवान की लड़ाई को नम्बर दो और तीन का बता कर उसके जवान को खींचना चाहता है वह हुकूमत चल नहीं सकती है। आपके पास ताकत है आप गोली की ताकत रखते हैं। आपके पास फोर्स है लेकिन आप गोली के बदले में बोली का हक तो दीजिए ? इन्सान को आप बोलने का हक तो दीजिए।

आखिर में मैं एक मिनट मूल कर्त्तव्यों के बारे में कहना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में लिखा है :—

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। संविधान में लिखा है कि जो 'संविधान का पालन करे. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब माननीय चौधरी साहब कह चुके हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का आदर करना निश्चित तौर पर हर एक नागरिक का कर्त्तव्य है, लेकिन संविधान को रोज-रोज बदला जाएगा, उसमें तरमीम की जाएगी और ऐसा बदलाव किया जायगा, जिसमें आम आदमी की कोई सहमति नहीं होगी, तो यह कैसे सम्भव हो सकेगा ? आम आदमी सो रहा है, उसे सबेरे पता चलेगा कि संविधान बदल दिया गया है, तो इस तरह से मानमाने ढंग से संविधान बदला जाएगा तो क्या किसी नागरिक की आस्था इसमें रह सकती है। यह ठीक है कि 'स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें', लेकिन मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने अपने दिलों में इन उच्चादर्शों को संजोए रक्खा है, वे सारे के सारे लोग जेलों में बन्द हैं। महात्मा गांधी का नाम लेने पर आपत्ति है। उनके बताए गए मार्ग सत्यागृह को अपनाने पर जेल में बन्द किया जा रहा है, मीसा में बन्द किया जा रहा है। जो लोग राष्ट्रीय मूल कर्त्तव्यों का पालन करते हुए उच्च आदर्शों को रखना चाहते हैं, रखते हैं, देश की प्रगति करना चाहते हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं आखिर में यह कहूंगा

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

कि आज विरोध पक्ष ही नहीं ट्रेजरी बेंचेज को इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि यह रोज का बिल नहीं है। जो आज देश की स्थिति है, वह कभी कोई करवट बदल सकती है। इसको जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण जी की जिस महान् प्रेरणा मे वशीभूत होकर कार्य किया है, मैं सदन के मार्फत से कहना चाहता हूं मोतीलाल नेहरू की पोती और जवाहर लाल नेहरू की बेटी से कि वह ऐसा कोई काम न करें कि जिससे उनकी मृत आत्माएं भी तड़पें, उनको तकलीफ हो। सोचें कि जिस देश को बनाने में हमने अपनी सम्पूर्ण जिन्दगी लगा दी, उसको इस काले कानून के द्वारा बरबाद करने पर वह लगी हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से अपने समाजवादी दोस्तों को सुन रहा हूं मुझे ऐसा लगा है कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर डिबेट आज ही समाप्त हो जाने को है और अभी बहुत से सदस्य बोलने को उत्सुक हैं। इसलिए मिश्रा जी आप समय का ध्यान रखें और थोड़ा कम समय लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद कर रहा था अपने समाजवादी दोस्तों से कि कम से कम वे जो भारतीय लोक दल में बी0 के0 डी0 के लोग हैं, वे इसे गम्भीरता से लेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और जिन नेताओं का उन्होंने बार-बार यहां नाम लिया, उनका एक भी असर उन लोगों पर नहीं पड़ा, ऐसा मुझे लगा है। आप पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो पाएंगे कि समाजवादी लोगों की तरफ से समय-समय पर यह मांग की गयी है कि संविधान में संशोधन किए जायं। स्वर्गीय लोहिया जी ने, जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, कहा था कि संविधान में ठीक से संशोधन कर दिया गया होता तो दक्षिण की जो पार्टियां हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें अलग कर दिया जाए, उनकी अलग प्रभुसत्ता होनी चाहिए, आज वे यह मांग न करते। तो उन्हीं बातों को लेकर जो पार्लियामेन्ट में समय-समय पर सुझाव आते रहे, उनके प्रकाश में स्वर्णसिंह समिति ने संविधान में आवश्यक संशोधन करने की संस्तुति की और उनको मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। "सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक" के स्थान पर 'सावरेन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' शब्द रख दिए जायं, यह संशोधन किया गया है। तो क्या आपको इस बात से कोई एतराज है ? (व्यवधान)

मैं सत्य प्रकाश मालवीय और मधुकर दिघे जी से जानना चाहता हूं कि क्या पहले ये शब्द—सावरेन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक—थे ? और नहीं थे, तो क्या इसके लिए आपके मुंह से एक भी प्रशंसा का शब्द निकला ? 'यूनिटी आफ दि नेशन' शब्द निकाल कर 'यूनिटी ऐन्ड इन्टेग्रिटी आफ दि नेशन' शब्द रख दिये जाएंगे, तो इनके चलते कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि हमको कहीं से अलग कर दिया जाए। देश की अखन्डता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिये जो प्रिएम्बल में परिवर्तन किया गया है, जो देश की आजादी और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होगा, क्या इस संशोधन का कोई विरोध कर सकता है ?

क्या इस संशोधन का विरोध कर सकता है ? कौन नहीं चाहेगा कि देश की अखंडता और प्रभुसत्ता बनी रहे ? साथ ही साथ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी शब्द भी लगा रहे हैं। कल चौधरी चरण सिंह बोले। ठीक है। वह समाजवाद के खिलाफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। माननीय राममूर्ति जी विरोध करें तो ठीक है। (व्यवधान) दो सौ एकड़ जमीन रखने वाले विरोध करें तो ठीक है। लेकिन माननीय शतरुद्ध प्रकाश, मधुकर दिघे और सत्य प्रकाश मालवीय जो समाजवाद की बात करते रहे हों, वह विरोध करें, तो आश्चर्य होता है। राममूर्ति जी ने फरमाया कि जुडीशल प्रोब का अधिकार ले लिया गया है। संविधान को बनाने का अधिकार किसका है? जनता के चुने हुये नुमाइन्दे संविधान को बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि संविधान में दखल दे। संविधान के मातहत जो कानून बनते हैं उसमें दखलअन्दाजी कर सकते हैं। लेकिन संविधान में जुडीशल प्रोब नहीं कर सकते। किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में जुडीशियरी को संविधान में दखलअन्दाजी करने का अख्तियार नहीं दिया गया है। गोलकनाथ के केस में देख लीजिए, केशवानन्द भारतीय के केस में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील गर्ग साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, बीसों नाम लेते हैं जिनमें एक तरफ 5 जज, एक तरफ 6 जज, एक तरफ 6 जज; दूसरी तरफ 7 जज। बेसिक स्ट्रक्चर आफ दि कांस्टीट्यूशन कहीं देखना चाहें तो नहीं मिल सकता। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द कहां से आया? यह जजों के दिमाग की जो अय्याशी का दिमाग रखने वाले हैं, उस अय्याशी के दिमाग की उपज है।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय शब्दों का प्रयोग करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इंटलक्चुअल जगलरी की बात है। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का क्या हमारे संविधान को बनाने वालों ने इस्तेमाल किया? राजेन्द्र बाबू, पं0 जवाहरलाल नेहरू, ऐसे विद्वान लोग थ। डाक्टर अम्बेदकर, जिन्होंने खुद लिखा उसको, क्या बेसिक स्ट्रक्चर कहीं आया है? बेसिक स्ट्रक्चर हैज नाट बीन डिफाइन्ड एनी व्हेयर इन दि कांस्टीट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द ही नहीं आया। जजों ने अपने दिमाग से निकाल दिया। सम्पत्ति के अधिकार पर, माननीय रामचन्द्र बक्श सिंह बोल रहे थे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिस देश में 90 सैकड़ा लोगों के पास सम्पत्ति के नाम पर एक बीघा जमीन न हो, बसने के लिए झोपड़ी न हो, वहां पर सम्पत्ति का मौलिक अधिकार कहते हो? मौलिक अधिकार है क्या? इसकी तरफ ध्यान दीजिए। संविधान बनाने वाले कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में, कांग्रेस के लोगों को छोड़ कर सारे पूंजीपति, प्रापटंडेंड क्लास के लोग थे, ऐसे साम्प्रदायिक लोग थे जो देश के बंटवारे की आवाज उठाते थे। इन तमाम लोगों के बनाए हुए संविधान से हिन्दुस्तान की 90 फीसदी जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है जो 25-26 वर्ष से चला आ रहा है। (व्यवधान) 25वां संशोधन हुआ, हमने प्रापर्टी को भी टच किया है, वह व्यक्तिगत सम्पत्ति आज या कल हट कर रहेगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति की थीसिस हिन्दुस्तान में नहीं चल सकती है, वह हटेगी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

कब हटेगी?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं कहता हूं हटकर रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी यह परम्परा अच्छी नहीं है। आप बीच-बीच में व्यवधान न करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जब मैं बोल रहा था तो उस तरफ से यही हो रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

विषय की गम्भीरता को देखते हुए गम्भीरता बनाए रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो मैं कह रहा था, आज संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि Participation of workers in management of industries होगा। अब इस चीज की व्यवस्था की गयी है कि जो गरीब मजदूर हैं जो अभी तक बेचारे केवल काम ही करते थे उनको उसमें साझीदार बनाया जाएगा। इससे उनको भी उसका लाभ मिलेगा। यह हमने लिखकर दे दिया है। हमारे माननीय सदस्य राम चन्द्र बक्श ने कहा कि अभी संविधान में तब्दीली करने की जरूरत है और आप सैंक्टिटी की बात करते हैं।

अभी माननीय सदस्यों ने आर्टिकिल 226 का हवाला दिया। आर्टिकिल 226 है क्या? माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि उसका इस्तेमाल पूंजीपतियों ने किया। पूंजीपतियों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, यह भी मैं बता देना चाहता हूं। टैक्स उनका बकाया है, वसूली की कार्यावाही की जाती है तो आर्टिकिल 226 के अन्तर्गत हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है इनकम टैक्स की वसूली में इसका प्रयोग किया जाता है और जिस व्यक्ति के पास 200 एकड़ जमीन है, जो वह उसे हड़पे हुए है, इस आर्टिकिल का प्रयोग करता है। हमने उसमें कलम लगायीं। हम इस तरह का पावर हाई कोर्ट को नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल 226 का प्रयोग जनहित में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के 100-200 लोग आर्टिकिल 226 का प्रयोग कर रहे हैं। जस्टिस के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वह अमीर हो और चाहे वह गरीब हो। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय मिल सके। अभी तक हाई कोर्ट के अधिकार आर्टिकल 226 के अन्तर्गत अनलिमिटेड थे। जब राजाओं के प्रीवी पर्स का मामला आया, बैंकों के नेशनलाइजेशन का मामला आया तो उन लोगों ने आर्टिकल 226 के अन्तर्गत हाई कोर्ट की शरण ली। इसका उन लोगों ने दुरुपयोग किया। तो अगर हम उसको तब्दील नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

अभी विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने धारा 59 का बहुत जिक्र किया। यह Power of the president to remove difficulties से सम्बन्धित है। इसमें इस चीज की व्यवस्था की गयी है कि Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of such assent, अगर इसमें कोई डिफीकल्टी महसूस होती है तो यह अधिकार हमने राष्ट्रपति को दिया है कि वह उनको दूर करें। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेकर कहना चाहता हूं कि जो लोग समाजवादी हैं उनको संविधान संशोधन पर बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह को इससे बौखलाहट है क्योंकि अब वे एक दल नहीं बना सकेंगे। जब तक यह संविधान रहेगा साम्प्रदायिक तत्वों के साथ वह मिल कर एक दल नहीं बना सकेंगे। कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है। उधर के जो समाजवादी लोग हैं उनको इस संविधान संशोधन से कोई बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी जगह वहां नहीं है, यहां है।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, आप विरोध पक्ष वालों को इस पर बोलने का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आपको भी मौका मिलेगा। अभी तक कांग्रेस दल को 2 घंटे 25 मिनट का समय मिला है जब कि लोक पक्ष को 3 घंटे 57 मिनट और कम्युनिस्ट पार्टी को 2 घंटे का समय मिला है। इसलिए अनिवार्य हो गया है कि उनको समय दिया जाय।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने हमारे मुख्य मंत्री द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत है, उसका समर्थन करते हुए अपनी लोक प्रिय श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं, उनको बधाई देती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं कि उनके नेतृत्व में जो संविधान में संशोधन हुआ है, उसने हमारे गरीब वर्ग को, निम्न वर्ग को, शोषित वर्ग को सहारा दिया है, उनके दिमाग में जो ऊपर उठने का शब्द आलोकित किया है, उनके लिए मैं उनकी आभारी हूं।

मान्यवर, संविधान संशोधनों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में यह कहना चाहता हूं कि उस तरफ जो यह आवाज उठी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी प्रधान मंत्री क्यों हैं? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन ह कि वे अपने मन से हमारी प्रधान मंत्री नहीं हैं। वे 60 करोड़ जनता की आवाज से बनाई हुई प्रधान मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में जो हमने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है, समाजवाद की ओर और धर्म निरपेक्षता की ओर उससे हमारे निम्न वर्ग की आशायें आलोकित हुई हैं।

मान्यवर, संसार में 2 प्रकार की विचारधारायें हुआ करती है। एक वह विचाराधारा है जो देश और काल से ऊपर उठकर अन्तर दृष्टि से अवलोकन करती हैं, जो परिवर्तनशील है, जो सर्ववेत्ता है और सर्वगुण सम्पन्न है। दूसरे प्रकार की विचार धारा वह है जो देश काल की परिधि में रहकर अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करती ह। हमारे संविधान ने जो देश और काल की परिधि में रहकर एक विचारधारा का निर्माण किया है अपने प्रजातंत्रवाद के उसूलों को लेकर देश की व्यवस्था का प्रबन्ध किया है, यह विचारधारा शास्वत नहीं है, परिवर्तनशील है। युग के युग बदला करते हैं, विचार धारायें बदला करती हैं, परिस्थितियां बदला करती हैं। हमारे प्रजातन्त्रवाद की यह खूबी है कि बड़ी से बड़ी क्रान्ति भी बिना रक्तपात के सम्भव है। आप इतिहास का अवलोकन करें, जब भी संसार में कोई परिवर्तन हुआ है, उसमें निम्न वर्ग को रक्त बहाना पड़ा है लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में क्रान्ति हो वह रक्तहीन हो और शान्तिपूर्ण तरीके से हो। 1947 में हमने साम्राज्यवाद की कड़ियों को तोड़ कर, जंजीरों को तोड़कर अपने देश में स्वराज्य स्थापित किया लेकिन आज हम पूंजीवाद की जंजीरों को तोड़ कर समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

आदरणीय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के जमाने में जबकि "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी" को कांग्रेस ने अपनी आधारशिला बनाया था, यह देखा गया कि जब भी हम कोई कदम सोशलिज्म की तरफ उठाते हैं, हमें अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—चाहे जमींदारी अबालीशन हो, चाहे प्रीवीपर्स का मामला हो, चाहे बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो, भूमि का आबंटन हो, स्मगलर्स को खत्म करने की बात हो, लैन्ड रिक्वीजीशन की बात हो, चाहे बड़े-बड़े जमींदारों को समाप्त करने की, किसानों को ऊपर उठाने की, निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने की बात हो, देश में समानता लाने की बात हो—हम देखते हैं कि उसमें बार-बार हमको वैधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह इसलिए हुआ क्योंकि विधान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं थीं। उनको स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया। जैसे प्रिएम्बिल में नए तरीके से "धर्म निरपेक्षता" और "समाजवाद" को स्पष्ट तरीके से रखा गया है। अब जब हमने मान लिया कि इस उसूल को लेकर आगे चलना है तो कोई दुविधा की बात नहीं रह जाती। आज प्रापर्टी के राइट्स आज जायं या कल जाएं, यह तो मैटर आफ टाइम है, क्योंकि हमको यह देखना है कि किस आदर्श को लेकर हमें आगे चलना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

तो इस आदर्श को अपनाया है, इसलिए ताकि हमारी 90 प्रतिशत जनता जो आज सैकड़ों वर्षों से पीड़ित और शोषित और दुखी रही है उसको ऊपर उठने का मौका मिल सके। इसके लिए मैं देश की महिलाओं की ओर से जो सैकड़ों वर्षों से पीड़ित रही है, मैं अपनी प्रिय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देती हूं।

मान्यवर, अभी आपके सामने फन्डामेन्टल राइट्स और बेसिक प्रिंसिपिल्स की बात उठायी गयी थी। मैंने आपसे निवेदन किया कि इस परिवर्तनशील जगत में उस शाश्वत् सत्य के अतिरिक्त कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं जो कि परिवर्तनशील न हो। जो हमारे फन्डामेन्टल राइट्स और बेसिक प्रिंसिपिल्स हैं चाहे कुछ भी हो, वह भी परिवर्तनशील है, एक जरूर उसके अन्दर खास बात गौर करने की है कि जब फण्डामेन्टल राइट्स और बेसिक प्रिंसिपिल्स चाहे व्यक्ति से या समाज से सम्बन्धित हों, जब देश-काल से परे उठकर उस शाश्वत सत्य को अंगीकार कर लेते हैं, उसका स्वरूप ले लेते हैं, उस अनन्त ज्योति का साक्षात्कार करके उसके द्वारा देश-काल से ऊपर उठ जाते हैं और समस्त विश्व को अपने हृदय के अन्दर समेट लते हैं तब वह बेसिक प्रिंसिपिल्स, वह फन्डामेन्टल राइट्स हमारे आधारशिला बन सकते हैं, वरना कोई भी फन्डामेन्टल राइट शाश्वत नहीं है। आप देखें कि प्राचीन काल में जब राज-सत्ता थी तो क्या एक राजा के लड़के को फन्डामेन्टल राइट नहीं था कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वह राज्य का अधिकरी हो? जिसके पास सम्पत्ति थी, क्या उसके बेटे को अधिकार नहीं था कि वह अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सके? मैं स्त्री के नाते पूछती हूं कि क्या अभी तक पुरुषों को यह अधिकार नहीं था कि वह एक से ज्यादा कई स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं और अनेक स्त्रियों को पत्नियां बनाकर रख सकते हैं?

इस फन्डामेन्टल राइट को जवाहर लाल जी ने तोड़ा और स्त्रियों को उनका अधिकार दिया। गुलामी की प्रथा में क्या मालिक का यह फन्डामेन्टल राइट नहीं था कि अपने गुलाम से सख्त से सख्त तरीके से सेवा ले सके? तो कहां गए वह सब फन्डामेन्टल राइट्स? स्वप्न हो गए। पंछी की तरह से उड़ गए। इसलिए वही फन्डामेन्टल राइट शाश्वत है जो कि शाश्वत सत्य को लेकर चलता है और वह शाश्वत सत्य व्यावहारिक भाषा में वह अनंत मानव-प्रेम है जो प्रेम का समुद्र कि मानव स्वयं अपने हृदय में लेकर चलता है। मान्यवर, यह जो संशोधन प्रधान मन्त्री जी की प्रेरणा से हुआ है, इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें तो आप देखेंगे कि शोषित और कमजोर वर्ग, मजदूर और किसान, जिनके पास भूमि के नाम पर एक बिस्वा जमीन है उनको ऊपर उठाने के लिए यह संशोधन उन्होंने किया है।

न्यायपालिका का जहां तक सवाल है, यह सही है कि हमारी डेमोक्रेसी के तीन अंग हैं—न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद और इन तीनों में से कोई भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम वह जनता है जिसने इन तीनों को बनाया है। इसलिए यह कहना कि न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए गए यह बिलकुल गलत है। मैं तो समझती हूं कि न्यायपालिका के हाथों को मजबूत किया गया है। जब समाजवाद की तरफ हमने कदम बढ़ाया तो न्यायपालिका ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। वह देने के लिए वह मजबूर थी। उसके हाथों को मजबूत किया गया है। उसके सामने एक साफ चीज रख दी गयी ह कि यह है हमारा संविधान। आप ही लोगों ने संविधान को बदलने के लिए क्या कसर बाकी रखी? जय प्रकाश जी के नेतृत्व में आप लोगों ने संविधान के अनुकूल चुनी हुई सरकारों को नष्ट करने के लिए कितना आन्दोलन किया? इसी हमारी असेम्बली में हमारे अध्यक्षजी को कितना अपमानित किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया? उस वक्त आपको संविधान की याद नहीं आयी। उस वक्त संविधान का प्रेम आपके मन में नहीं उभरा, आ। आपको प्रेम उभरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपना और अपने दल का मत इस बिल के बारे में सदन के सामने रखूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस बिल के पार्लियामेन्ट में पेश होने के बाद से और आज इस पर यहां विचार होने तक कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे यह आशा की जा सकती है कि इस देश का प्रजातन्त्र ज्यादा मजबूत होगा, इस देश की जनता समाजवाद की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ेगी। संविधान देश के सामने कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। तो जनता को प्रेरणा मिलती है उन लक्ष्यों तक आगे बढ़ने की। आज यह खुशी की बात है कि उन दलों के नेता इस सदन में जो है जो पार्लियामेन्ट में उस वक्त मौजूद नहीं थे जब इस बिल पर विचार हो रहा था। हो सकता था कि अगर वे लोग अपने विचार लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत करते तो यह बिल और मजबूत होकर सामने आता। लेकिन उसके बाद हमारे प्रदेश के नेता विरोधी दल ने आवाहन किया विरोधी दलों का कि आओ मिल कर एक कोड आफ कांडक्ट बनायें ताकि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी जिसको इस संशोधन के बावजूद मान्यता दी गयी है, जिसको मजबूत बनाने की कोशिश जारी है उसको हम फिर से मजबूत बना कर संसदीय प्रणाली को आगे चलायें। अभी तक उसका कोई जवाब दूसरे विरोधी दलों से नहीं आया है।

श्री राममूर्ति—

आप सबको जेल में बन्द कर दीजिए और कहिए कि जवाब दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप तो बाहर हैं। आपके और हमारे कर्तव्य एक नागरिक की हैसियत से बराबर हैं। नेता विरोधी दल ने एक आवाहन किया है, मैं उसका आदर करता हूं। आपको इसमें आपत्ति है तो नेता विरोधी दल से कहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल मिल कर संसदीय प्रणाली के लिए एक कोड आफ कांडक्ट बनायेंगे तो बहुत से लोग जो आज जेलों में बन्द हैं वह जेलों से छूट जायेंगे। जो लोग जेलों में बन्दी है उनके लिए सहानुभूति हर आदमी को होनी चाहिए और वह हालत देश में पैदा होना चाहिए कि वे लोग छूट कर बाहर आयें। उनके भी विचार जनता तक जाएं और जनता फैसला ले, उनके विचारों को माने या ठुकरा दे। इसके बिना न देश एक रह सकता है और न जनतन्त्र बच सकता है। मगर आप वैसी परिस्थिति तो लायें। हमारा एक गरीब देश है और आज दुनिया आगे बढ़ रही है। आज इस देश की 60 करोड़ जनता का मत जिस तरफ होगा देश उस ओर जाएगा। हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि विश्व के इतिहास में हमारे देश का क्या रोल है? हम अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? उसके लिए अगर संविधान में संशोधन होता है, समाजवाद की ओर बढ़ने का कदम उठाया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह जानते हुए भी कि समाजवाद की ओर जाने में पुलिस और फौज का भी इस्तेमाल होगा, अगर हमारा लक्ष्य और राष्ट्र का लक्ष्य समाजवाद की ओर जाने का है तो उसका हमें स्वगात करना चाहिये क्योंकि 90 प्रतिशत देश की जनता का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है।

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पूंजीवादी ढांचा टूट रहा है। आज इस देश की 60 करोड़ जनता अपनी पार्लियामेंट के जरिए जनतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाने की घोषणा करती है तो वह उस युग में करती है जब कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली पूंजीवादी देश का प्रधान, राष्ट्रपति जेल जाते जाते बचता है इसलिए कि उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

माफ कर दिया जाता है वहां के राष्ट्रपति द्वारा। उसने क्या-क्या नहीं किया ? विरोधी दलों के कागजों की चोरी उसने की, सी0 आई0 ए0 का इस्तेमाल किया, यहां तक कहा कि जो हमारी नीतियों के अनुकूल नहीं चलेगा उसे गिराने का अधिकार हमें है, आदि-आदि बातें किससे छिपी हैं। आज वह पूंजीवादी ढांचा टूट रहा है . . . (व्यवधान) अगर आप (विरोध पक्ष) अमेरिका के साथ हैं तो यह होने वाला नहीं है।

एक सदस्य—

आपने तो एक जगह की एजेन्सी ले रखी है (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

एजेन्सी वगैरह लेने का या खोलने का काम आपका होगा। (व्यवधान) आपके सिद्धान्तों में और आपकी नीतियों में अगर समाजवाद होगा तो हम आपके साथ हो सकते हैं। आप इस पर विचार करें कि आज कुछ शक्तियां ऐसे प्रयास में हैं कि हिन्दुस्तान के टुकड़े हो जायं और इसकी आवाज बन्द कर दी जाय। आपको मालूम है कि इस आपातकालीन स्थिति के दौरान मुझे भी जेल भेजा गया। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह संघर्ष और तेज होंगे। मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर कांग्रेस की कोई देन है तो वह यह है कि उसने जनतांत्रिक तरीके से देश को एक रखा है आज तक। आज दुनिया के करीब 86 देश एक होकर दुनिया के साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे हैं। उसके मुकाबले के लिए यदि कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है तो वह बधाई की पात्र है। यह बिल जो पेश किया गया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। जब यह बिल पास हुआ आप तो जेलखाने में थे, आपने तो फैसला कर लिया था कि हम लोक सभा और राज्य सभा से बाहर रहेंगे। और फिर प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से आवाज उठी कि यह बिल पास न हो, उसको ठुकरा करके इस बिल को पास किया।

खुशी की बात है कि मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश इस बिल के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि इस बिल में वह स्थापनायें हैं जिससे देश के गरीबों की गरीबी दूर होगी, जनतन्त्र आगे बढ़ेगा। तो आज जब इन लक्ष्यों के सिलसिले में हम बातें करते हैं तो हमको यह सोचना चाहिए कि इस बिल के द्वारा अपनी जनता को समाजवाद की तरफ लाने में, सरकार की नीतियों की आलोचना करने में क्या हमको एक माध्यम नहीं मिल रहा है ? क्या हमको यह मौका नहीं मिल रहा है कि हम पूछें कि आपने वर्किंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात कही है तो वर्किंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कब आएगा ? मुनाफा पर रोक कैसे लगेगी ? पूंजीवादी को बढ़ावा कब तक दिया जायगा ? पब्लिक सेक्टर का आधार क्या होगा और इससे आगे बढ़कर पूछना पड़ेगा कि क्या बिड़ला जी के मोटर को जोड़कर समाजवाद आएगा और अगर हरगिज नहीं, तो शतरुद्ध प्रकाश जी, काशीनाथ मिश्र जी सब मिल कर युद्ध करेंगे कि इनके खिलाफ लड़ना होगा और यह हमारी मर्यादा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् 1942 में हमारा विरोध हुआ और उस विरोध में मैं नहीं कहता कि मैंने गलती नहीं की। लेकिन हमारा लक्ष्य वही था जो पंडित जवाहर लाल नेहरू का था। जब बम्बई में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आजाद हिन्द का नारा लगाया तो वहां कम्युनिस्ट था, जब फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में हिन्दुस्तान की जनता जो आजादी चाहती थी। संविधान की बात जो आप करते हैं, कहीं कोई जाने वाला नहीं है।

आपको कांग्रेस के बारे में भ्रम हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी को तो कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। लेकिन साफ बात है कि संविधान में संशोधन हर हालत में हो रहा है। जब इस देश के ढांचे को तोड़ने के लिए जो इस देश को चलाने वाले इन्स्टीट्युशन्स हैं, उन पर हमला हुआ और सम्मिलित प्रयास में आज संसदीय प्रणाली की

बात कहते हैं, अगर असेम्बली के मेम्बरों से इस्तीफा दिलवाये जाते हैं, तो यह संविधान टूट जाता है, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं, आपको उन नई चुनौतियों का मुकाबिला करने के लिए । दुश्मन के नए तरीकों को समझना होगा। आप आगे बढ़े। क्या यह बात सही नहीं है कि जिस जूडिशियरी की आप बात कर रहे हैं उस जूडिशियरी के न्यायाधीश के ऊपर हमला हुआ और आज मुजरिम सजा पाकर जेल में है ? मैं नाम नहीं ले रहा हूं। इसकी शुरुआत उस दिन पैदा हुई जिस दिन वह विषैला वातावरण पैदा हुआ और वह विषैला वातावरण, शक्तियां पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को खरीदती हैं। नेताओं को पैसे पहुंचते हैं। आज जो कम्युनिज्म है, उसकी मदद से आप इस देश बैठे हुए हैं। हमारे दुश्मन इस देश को टुकड़े-टुकड़े करके खत्म कर देंगे। आप अहसान फरामोश हैं जो सत्य से इन्कार कर रहे हैं। हमने बराबर कहा है कि हम स्टेलिन के गुलाम नहीं है। (व्यवधान) तारीफ तो मैं आपकी कर रहा हूं आप चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली रहे लेकिन साथ-साथ आप चाहते हैं कि मुल्क के अन्दर न्यायाधीशों पर कातिलाना हमला करने का अधिकार भी रहे। आप चाहते हैं कि यदि हमारे देश की प्रधान मन्त्री अदालतों में गवाह के तौर पर जायं तो वहां पिस्तौल वाला आदमी भी जाय। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसी सदन में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि अगर बैलट से हुकमत नहीं बदली तो उसे बुलेट से बदलेंगे। उस वक्त लड़खड़ाहट थी, एक कम्पन था, डर था लेकिन फिर भी जनता ने इस देश में आपके अन्दर आस्था रखते हुए यह फैसला किया कि यहां डेमाक्रेसी, यहां सेक्युलरिज्म रहे और इस देश में सोशलिस्ट राज्य बन सके। इस बिल में वे धारायें भी मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि जनतांत्रिक स्थापना में विश्वास डगमगाता सा मालूम होता है। फौज और पुलिस में विश्वास रखने की चेष्टा की गयी है।

मेरा दल, इस तरह के कम्पेन का विरोध करता है और जनता में फिर भी अपना विश्वास होने का ऐलान करता है और सत्तारूढ़ दल से भी कहता है कि आप सत्ता में विश्वास न कीजिए, जनता पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जनता ही देश के ऊपर खतरा होने पर एक होकर खड़ी होगी जब कि देश को तोड़ने वाले लोग श्री जय प्रकाश का नाम लेकर आयेंगे या डाक्टर लोहिया का नाम लेकर आयेंगे, तो देश के लोग उनको पहचानने में देर नहीं करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर जनतंत्र प्रणाली के द्वारा अख्तियारात श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास नहीं पहुंचे और अगर वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जायेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल की रिपोर्ट पर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। (व्यवधान)

एक सदस्य—

आज वही हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मेरे विरोधी दल के दोस्त जुडिशियरी की बात करते हैं लेकिन उन अधिकारों को नहीं मानते, जिनका मानना जरूरी है। संविधान में जो यह परिवर्तन किया जा रहा है वह बहुत जरूरी है। संविधान में यह अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई नागरिक कभी किसी अदालत का दरवाजा खटखटावे तो उसके लिए वह दरवाजा बन्द नहीं होना चाहिए। वरना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस0 पी0 लोग लोगों को पकड़-पकड़ कर बन्द करने लगेंगे और सत्ता के प्रति लोगों में एक भ्रम पैदा हो जायगा कि लोगों को इसी तरह से बन्द किया जा रहा है और इस तरह से आपकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। जिन अंग्रेजों ने हाई कोर्ट बनवाया था उन्होंने 150 वर्ष तक यहां राज्य किया लेकिन हिटलर 15 वर्ष भी राज्य नहीं कर सका। जब आप संविधान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो पंडित नेहरू की इस बात को याद रखें कि डेमोक्रेसी का आधार ही पार्लियामेन्ट है। पार्लियामेन्ट में दूसरे की बातों को सुन कर और विचार कर अपने कांशसनेस के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसा कि स्वरूप कुमारी जी ने कहा कि संविधान का यह परिवर्तन देश को आगे

[श्री रा न्द्र मा गर्ग]
बढ़ने वाला है और जनता में इससे विश्वास पैदा होगा जिसके आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए यह किया जा रहा है। इसका ाधार सब के लिए याय और बराबरी है। उसके लिए लोग दुनिया में गोलियों का निशाना बन कर संघर्ष कर रहे हैं और फौज और पुलिस का भी मुकाबला कर रहे हैं।

इस वक्त हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रति बहुत गहरी साजिश चल रही है। प्रेसीडेन्ट क पावर्स को कन्ट्रोल करना जरूरी था। लेकिन उन तमाम व्यक्तियों को जो आपकी नीतियों से मतभेद रखते हैं, यह कह कर कि आज शान्ति भंग होने का खतरा है, आपकी योजनाओं की पूर्ति करने का हथियार नहीं है, हमें लोकतन्त्र को बचाना है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
श्रीमन्, इनका लोकतन्त्र साइबेरिया के बन्दी शिविरों में सिसक रहा है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—
मैं गुजारिश करूंगा कि देश के भविष्य को सामने रखते हुए, उसमें आस्था रखते हुए, मैं जानता हूं कि देश की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कौन यह प्रयास कर रहा है इसको आप समझते हैं। हमको अपनी एकता और लोकतन्त्र कायम रखना है। धन्यवाद।

*गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से इस संविधान 44वें संशोधन पर सदन के विद्वान अनुभवी, देशभक्त भी कह सकता हूं जिनको देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, अपने विचार रखे हैं। मान्यवर अभी हमारे विद्वान सदस्य गर्ग जी ने बड़े सुन्दर ढंग से उस विचार धारा की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है जिस विचार-धारा को आधार में लेकर आपने और यहां सबने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यशाही की नींव को उखा कर देश को स्वतन्त्र कराया था। इस संविधान संशोधन के पीछे केवल उसकी कुछ धाराओं से आपको संदेह नहीं रहना चाहिये बल्कि उसके पीछे उसमें जो भावना निहित है, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो भावना उसमें निहित है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह संविधान संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि उसमें आप और हम 2 राय नहीं रखेंगे? 27-28 वर्षों के अन्दर जबसे भारत स्वतन्त्र हुआ, देश ने जो उपलब्धियां प्राप्त कीं आर्थिक क्षेत्र में गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाए रखने में, देश को शक्तिशाली बनाने में ह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी हम सन्तुष्ट नहीं हैं हमें बहुत दूर तक अभी जाना है। हमारे सामने बहुत से काम हैं और खास तौर से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बराबर हमारे नेता विरोधी दल और हमारे भाई राममूर्ति जी भी उसमें संघर्ष करते रहे। आज से 5-7 साल पहले एक ही मंच से वह तमाम समाजवादी प्रस्तावों को हमेशा दोहराया करते थे कि इन चीजों को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। इस बात की जोरदार चर्चा होती थी, दबाव डाला जाता था कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकारें जिन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बचनबद्ध हैं उनको पूरा करने में शिथिलता कर रही है, उसे जल्द से जल्द करें और इन्हीं बातों को लेकर इतना ब ा ऐतिहासिक बंटवारा कांग्रेस का हुआ। बंटवा के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने जो लक्ष्य था उनको पूरा करते हुए हम आगे ब े। लेकिन इन 5-7 सालों के अन्दर हमें अनुभव हुआ कि जो वायदे जनता से किए गए थे, इस देश की लाखों करो ों जनता को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नयी जिन्दगी देने के लिए जो वायदे किए गए थे, उनको पूरा करने में कठिनाइयां आ रही हैं यह कठिनाइयां थीं कि येनकेन प्रकारेण कहीं तो न्यायालयों के माध्यम से और कहीं जन समूह के आन्दोलन के माध्यम से रुकावटें पैदा की जाती थीं। तो 27-28 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। पिछले इन वर्षों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी है। जबकि हमारी समस्यायें आगे बढ़ती गयीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस संशोधन को लाने का निर्णय इन्दिरा जी ने किया और जिसे पार्लियामेन्ट ने पास किया जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा कि जब से यह प्रगतिशील प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है तबसे विरोधी दल के लोगों ने शासन के पक्ष से आए हुए प्रस्तावों को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ जनता में फैला रहे हैं जिससे कि जनता में भ्रम फैले। इससे लगता है कि जनता में भ्रम फैलाना इनका लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य के इस ऐतिहासिक मौके पर जबकि पार्लियामेन्ट ने यह फैसला किया है तो इन लोगों ने संसद के अधिवेशनों को बहिष्कार किया। संसद की बैठकों में आने से अपने को अलग रखा। जब संसद और विधान सभा इतनी बड़ी है कि लाखों जनता आपको चुनकर भेजती है कि यहां बदलते हुए कानूनों में अपने विचार रखें और उसमें भाग लें तथा उसके बाद जो निर्णय हों उसे स्वीकार करें। आप संसद में आए नहीं। विधान सभाओं का बहिष्कार किया और उसके साथ ही साथ संविधान की गौरवशाली जो परम्परा रही है जिसको स्थापित और मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं उसकी ओर ध्यान न दें सिर्फ इसलिए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी यह प्रस्ताव लायी हैं, कांग्रेस पार्टी यह प्रस्ताव लायी है। इसलिए विरोध करने का कभी-कभी औचित्य नहीं होता है।

श्रीमन्, मुझे दुख होता है कि कुछ मेरे साथियों ने मान्यताओं को बनाए रखने के लिए आस्थाओं में तालमेल न होते हुए भी गठबन्धन करके जनता को भ्रमित किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने विचारों को बदलें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमेशा सांठ-गांठ करके हमेशा प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने के लिए जैसे उन्होंने कसम खा रखी हो। आप जनतन्त्र की दोहाई देते हैं लेकिन अभी आपने इन नीतियों को स्वीकार नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह जी कल कह रहे थे कि इन्दिरा जी की लोकप्रियता में मुझे सन्देह है, सन्जय की लोकप्रियता में सन्देह है। लेकिन उनको जो सूचनायें मिलती हैं उससे उनके हृदय पर पानी फिर जाता है जब वह देखते हैं कि लाखों की तादाद में जनता उनके साथ है। मैं केवल उपस्थिति की बात नहीं कहना चाहता हूं बल्कि नेता की लोकप्रियता देश की जनता की आस्था के साथ होती है। लाखों जनता का विश्वास यदि इस देश में किसी को प्राप्त है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को है। और यदि वह शक्ति प्राप्त है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को है। उनके पास वह शक्ति है जनता की शक्ति है और वह शक्ति को ले कर उन्होंने देश की गरीब जनता को जो सैकड़ों हजारों वर्षों से गुलामी की जंजीर में जकड़ी रही उसे मुक्त करने का कदम उठाया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखें और जा कर उन गांव वालों से पूछें जो हजारों सालों तक गुलामी करते रहे और उनको एक इंच भी जमीन नहीं मिली। और आज एक युग का परिवर्तन हो रहा है—मैं वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं—एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं — जो लोग हजारों वर्षों से पीड़ित थे, जिन्हें एक इंच भी जमीन नहीं मिली थी। आज इन देश के पिछड़े वर्ग को, हरिजन वर्ग को जमीन दे दी गयी है और वह कह सकता है कि हम भी इस धरती के रहने वाले हैं। हम सभी इस देश के मालिक हैं। आप कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो इस देश के अन्दर परिवर्तन हो रहा है उसे आप समझने की कोशिश नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा चौधरी साहब ने कहा कि चुनाव क्यों नहीं करा देते, बहुत अच्छी बात कही हमारे विरोधी दल के नेता ने।

हमने चुनाव कराए हैं और चुनाव का सामना किया है। सन् 1947 से लेकर 1952 से लेकर 1974 तक हमने चुनाव कराए जनता से मैन्डेट लिया, आप भी गए, हम भी गए लेकिन आप की मन्शा यह नहीं है कि आप चनाव करा कर देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन

[श्री धर्मवीर]

लाना चाहते हैं। आपकी भावना देश में विघटन पैदा करने की है, तोड़-फोड़ करने की है, देश की राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की है और देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ने की रही है। हमने देश में जब मौका मिला चुनाव कराए हैं। हमने संसद का समय बढ़ा दिया यह कोई अनोखी घटना नहीं है। सन् 1971 में जब संसद को भंग करके इन्दिरा जी ने देश से मैन्डेट लिया उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि आप समय से पहल चुनाव कराने जा रहे हैं पांच साल के अन्दर कराए जाने चाहिए। इसलिए कि आप परिवर्तन की स्थिति में नहीं हैं। किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता आप में नहीं है। आगे बढ़ने की, प्रगति करने की विचार धारा आपकी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव का सामना किया है और हर दफे इस देश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया। आज भी यदि चुनाव सुव्यवस्थित तरीके से, प्रजातान्त्रिक ढंग से, अहिंसा से हो तो इस बार भी जनता आपका साथ देने वाली नहीं है। हमारे सामने लक्ष्य है। देश का लक्ष्य है। देश की गरीब जनता को खुशहाली देने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, इस लिए हमने चुनाव एक दो वर्ष के लिए पीछे हटा दिए हैं, ताकि देश की एकता अखंडता, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। देश की जनता बार-बार कहती है कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए जिससे हम मेहनत कर के जीवन निर्वाह करें।

हम चुनाव की भावना का आदर करते हैं, जम्हूरियत में चुनाव की भावना होती है लेकिन आपका जनता विश्वास नहीं करती है क्योंकि आप में एक तरफ समाजवादी विचार धारा के लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ जनसंघ के लोग हैं, एक तरफ एक दम रिएक्सनरी लोग हैं दूसरी तरफ स्वार्थी लोग हैं। आपकी क्षमता आदर्श में में नहीं है, आपका नेतृत्व नहीं है कि आगे चल कर देश का नेतृत्व करेंगे।

श्रीमन्, एक बात मैं संविधान संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। संविधान में अधिकार है कि चुनाव हो। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार जो निर्णय लिया गया जनता ने उसे स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जनता की आकांक्षाओं की बात करते हैं या चुनाव की बात करते हैं। दुनिया के अन्दर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसका शासन करने वाले जनता से चुन कर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड, और उपराष्ट्रपति उनकी जनता ने कभी नहीं चुने लेकिन उनके संविधान में मान्यतायें हैं जिनको जनता ने स्वीकार किया संविधान के अन्दर एक शक्ति है। जनता ने उसे शक्ति दी है। संविधान के अन्दर प्राविजन है। हम प्राविजन के अनुसार संविधान में संशोधन करके जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह कौनसी डैमोक्रेसी है जिसकी आप बराबर यहां पर चर्चा करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले की। मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे लाखों करोड़ों जनता के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। आप लोग तो केवल इस प्रकार की बात करते हैं कि इन्दिरा जी कैसे हटें, कांग्रेस कैसे हटे, आप में जनता के दुख-दर्द दूर करने की भावना नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जनता के भाग्य का फैसला करने का अधिकार नहीं है। हिन्दुस्तान के भाग्य का फैसला करने का अधिकार जनता के पास है। जनता को इन्दिरा जी पर विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास है, आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश न करें। राष्ट्रीय कार्य-क्रमों में आपका क्या योगदान है? आप समर्थन करते हैं 20 सूत्री या 25 सूत्री कार्य क्रम का? आप इनके कानूनों को लेकर इनका विरोध करते हैं। किसी अच्छी बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप बुराइयों को ढूंढते रहते हैं अच्छाइयों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है।

मान्यवर, मैं आपके सामने एक बात और कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं कि आज आप इस देश की जनता की भावना को समझने की चेष्टा करें और व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर इस देश के भविष्य को न बरबाद करें। समाजवाद को लाने में कई कठिनाइयों का सामना हमें करना है आप उसमें हमें सहायता दें, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप तो सदैव कूपमंडूक बने रहते हैं कि इन्दिरा जी हटें, कांग्रेस हटे ताकि देश

में दूसरी पार्टी आए ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम सफल न हो। जनता चाहती है कि समाजवाद हो, धर्म निरपेक्षता हो। क्या आपने कभी इस प्रकार के परिवर्तन की मांग की है? आप तो केवल अपनी मांगें पूरी करने के लिए कहते ह। आज यह भारत माता म ग करती है, आज देश की मांग है कि आज हम सब मिल जुलकर इन्दिरा जी के हाथों को मजबूत करें ताकि देश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना हो सके और लाखों और करोड़ों लोगों को नयी जिन्दगी मिल सके। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप इसका समर्थन करें।

(व्यवधान)

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2 दिन के अन्दर इसमें काफी बहस और काफी बातें आ रही हैं और उन बातों में हमारे विरोधी दल की ओर से जो कुछ बातें कही गयीं उनको सुनकर काफी अफसोस हुआ। उन बातों में माननीय नेता विरोधी दल—चौधरी साहब की जो कठिनाइयां या मुश्किलें हैं उनको तो मैं समझ सका हूं और माननीय राममूर्ति जी की जो कठिनाइयां हैं वह भी समझ में आती हैं लेकिन उन भाइयों की जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं और जो समाजवाद की दुहाई देते हैं उनकी कठिनाइयां समझ में नहीं आतीं कि जब इस देश के अन्दर हमारा लक्ष्य समाजवादी भारत की रचना करना है तो वह किस आधार पर इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर लोहिया के स्वप्नों की देन है जो वह देख रहे थे। जो वह देखा करते थे। उन्होंने बार-बार कहा था कि इस देश के अन्दर एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसके अन्दर एक आदमी को तोड़फोड़ का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे बातें जो वह बार-बार समाजवादी होने के नाते कहते थे आज जब उनके ऊपर अमल करने का समय आया तो कुछ लोग अपने को उनसे अलग किए दे रहे हैं।

दो बातें बार-बार दोहराई गयीं। एक प्रजातन्त्र की, दूसरे कानून व हाई कोर्ट के फैसले की। प्रजातन्त्र का जहां तक सवाल है, बनारस के एक साथी ने कहा कि प्रजातन्त्र नहीं रहा है, उसे बचाना चाहिए। हम लोग जब पहली बार सदन में चुन कर आए और गवर्नर महोदय यहां आए तो पहला प्रजातन्त्र का नमूना जो मैंने देखा वह यह था कि एजेन्डे को फाड़कर गवर्नर पर फेंक दिया गया सदन को चलने नहीं दिया गया, मेजों पर खड़े हो गए। दूसरा प्रजातन्त्र का नमूना यह देखा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि ये चुनाव बेकार हैं, इनमें जालबट्टा किया गया है और इस देश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट के बजाय बुलेट चलना चाहिए लेकिन आज वह कहते हैं कि चुनाव पहले होना चाहिए, चुनाव के बगैर काम चलने वाला नहीं है। यह अजीब बात है।

दूसरी बात हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कही गयी। हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया तो अपील करने का मकसद क्या है? हिन्दुस्तान के कानून के अन्दर एक मामूली आदमी को हैबिचुअल क्रिमिनल कौंसिल हाउस के सामने हजारों आदमी के सामने मार देता है तो क्या उसको कानून के मुताबिक फांसी पर लटका दिया जाता है? उस पर मुकदमा चलता है। उसको इस बात का अधिकार है कि वह वकील करे, अपनी सफाई पेश करे हालांकि उसने कत्ल हजारों आदमियों के सामने किया है। सेशन ने उसे मौत की सजा सुना दी फिर भी उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अगर वहां से भी फांसी हो जाती है तो वह प्रेसीडेन्ट के सामने मरसी की अपील कर सकता है। हिन्दुस्तान के हर नागरिक को अपील करने का अधिकार हो सकता है लेकिन प्रधान मन्त्री को अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या यही प्रजातन्त्र है जिसे विरोधी दल के लोग यहां बैठकर हमें सिखाना चाहते हैं? ठीक है, यह कोई निराला प्रजातन्त्र हो सकता है? हमारी समझ में तो उनका यह प्रजातन्त्र नहीं आता।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

आज गरीब की बात कही जाती है। धारा 226 के अन्तर्गत देश के कितने किसान और मजदूर हैं जो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करके स्टे आर्डर ले आते हैं? कितने केसेज हैं जिनमें मजदूर ने अपने डिसमिसल के खिलाफ 226 के अन्तर्गत स्टे लिया है? केवल उन्होंने लिया है जो चोरबाजारी करते है, अफीम का धन्धा करते हैं, सोने की तिजारत करते हैं या जो गरीब की जमीन दबाए बैठे हैं। जब सरकार ने उसके हित में कानून बनाया तो ऐसे लोगों ने स्टे का सहारा लेना शुरू कर दिया और देश को प्रगति करने से रोका। इन्सान के आगे बढ़ने के खिलाफ कानून और प्रगति के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही है। वह अदालत ही थी जिसने क्राइस्ट को सलीब पर लटका दिया। वह अदालत ही थी जिसने गेलीलियो को आग में जलने की सजा दी और जौन आफ आर्क को मौत की सजा दी। क्या अदालतें हमेशा ठीक फैसला ही दिया करती हैं? अगर यह मान लिया जायगा तो इन्सान आगे बढ़ने से रुक जाएगा। इस देश को आगे को बढ़ना है। कान्स्टीट्यूशन कोई हिमालय पहाड़ नहीं है और कांस्टीट्यूशन कोई समुद्र भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि समुद्र और पहाड़ भी टूट रहे हैं, वह भी बदल जाते हैं तो फिर कांस्टीट्यूशन की बात कौन करे। मान्यवर, मैं हाई कोर्ट की आपको याद दिलाना चाहता हूं। डाक्टर मालवीय ने कहा जज साहब आप मुझ से कानून की बात कह हैं। आपके कानून में क्या लिखा है, मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक दिन इस देश में आएगा जब कानून का क्या संविधान भी बदल दिया जाएगा। तो आज वह समय आ गया है जब कानून बदला जा रहा है, जब हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इस बदलती हुई परिस्थितियों में जो लोग समाजवादी विचारधारा रखने वाले हैं इस तरफ आ जायं और उनका साथ छोड़े, उन अमेरिकी शक्तियों का साथ छोड़े जिनका न तो विश्वास और न आस्था समाजवाद और प्रजातन्त्र में है।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं इस मौके पर जो 44वां संशोधन विधेयक आया है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राजब्रजराज सिंह के खड़े होने पर) क्या जनसंघ हाउस में अपना अलग से अस्तित्व रखता है?

श्री रेवती रमण सिंह—

अभी जोरदार शब्दों में कहा गया कि कांस्टीट्यूशन क्या है। कांस्टीट्यूशन तो हम बनाते हैं। लेकिन पार्लियामेन्ट जो है, 'इट इज ए क्रिएश्न आफ दि कांस्टीट्यूशन एण्ड नथिंग एल्स'। पार्लियामेन्ट जो बनी है वह कांस्टीट्यूशन के तहत में ही बनी है और उसी से अधिकार प्राप्त हुआ है। उससे अलग चीज कोई पार्लियामेन्ट नहीं है? जैसा कि आपने बताया था पार्लियामेन्ट सार्वभौम है, सर्वशक्ति सम्पन्न है। लेकिन उसे पावर कहां से आती है। वह संविधान से ही मिलती है। (व्यवधान) यह जो संविधान संशोधन हो रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से वह किया जा रहा है। संविधान में संशोधन तो बहुत हुए। जो 24वां संशोधन हुआ था उससे पार्लियामेन्ट को यह अधिकार मिल गया था कि वह सम्पत्ति के अधिकार को फन्डामेन्टल राइट से खत्म कर दे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं अपने इन साथियों से कि क्या आपने उसका उपयोग किया? आप सोशलिज्म की बात बड़ी तेजी से कर रहे हैं और हर बार जब चुनाव होते हैं तो ऐसा मौका आता है कि आप उसका ढिंढोरा पीटते हैं। एक नयी बात आप छेड़ देते हैं। आज आप कहते हैं कि प्रिएम्बल में हमने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को और जोड़ दिया है। तो यह कौन सी नई बात आपने की है? यह तो सन् 1926 में ही हो चुका था जब जवाहर लाल जी कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग के अध्यक्ष थे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लोहिया उसके सचिव थे। उस वक्त का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। उसमें यह बात कही गई थी—'नागरिक स्वाधीनता का सवाल तभी उठता है जब राज्यसभा अपने आचरण या अनाचरण से (कार्यवाही कर या मौन रह कर) नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत नहीं करती।

नागरिक स्वधीनता का उल्लंघन तभी होता है जब राज्य खुद नागरिकों के विचार व मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता और सभा व संगठन की स्वतन्त्रता पर हमला करता है या गुन्डों को ऐसा करने की इजाजत देता है। इस प्रकार की सरकारी हिंसा और गुन्डई के पीछे मुख्य रूप से आलोचना का और मौजदा कानूनों व सरकार के प्रति विद्रोह का भय रहता है। नागरिक स्वाधीनता का उल्लंघन किस प्रकार होता है? अव्वल तो नजरबंदी, घर तलाशी, राजद्रोह और सभा संगठन सम्बन्धी कानूनों और दन्ड विधान से यह उल्लंघन होता है।' आप देखें कि कितना स्पष्ट उल्लेख इसमें किया गया है। यह 1936 की ही बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल जी ने जो कहा था, आज हूबहू वही बातें घटित हो रही हैं। उन्हीं बातों का हमें विरोध है। हमें संशोधन का विरोध नहीं है, उन्हीं मुद्दों का विरोध है। आगे उन्होंने कहा है "इस तरह के उल्लंघनों के चलते नागरिकों को सभा करने, संगठन बनाने और पुस्तकों, अखबारों तथा रेडियो के माध्यम से अपने मत का प्रचार करने के अधिकारों का हनन किया जाता है।" आज क्या कोई दूसरी बात हो रही है, वही बात हो रही है, जिनका उल्लेख सन् 1936 में नेहरू जी ने किया था और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में किया था, जिसे समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज आप में उसे भी समझने की शक्ति नहीं रह गयी है। आप उनको विभिन्न वादों के नजरियों से देख रहे हैं सीधी-साधी बात को। इसका अन्जाम क्या होगा? यह आप सोचें। जब संविधान में 24वां संशोधन हो रहा था, श्री नाथपाई और लोहिया जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसका अन्जाम आज नहीं तो कुछ दिनों बाद भुगतना पड़ेगा।

संविधान बनाने में लगातार तीन साल तक डाक्टर अम्बेदकर, जवाहर लाल जी और बड़े-बड़े विद्वानों ने अपना अमूल्य योगदान दिया था, किन्तु इतने बड़े संशोधन सिर्फ चन्द महीने में कर दिए गए हैं। इसके लिए न कोई कहीं सभा हुई, न कहीं डिस्कशन हुआ और न आम जनता की उसमें कोई सहमति ली गयी। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमारे संविधान बनाने वालों का मत क्या था और आप क्या कर रहे हैं? मैं अम्बेदकर जी की बात बता रहा हूं, उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था—

"The declaration of the rights of man has become part and parcel of our mental make up—These principles have become the silent inaculate promise of our outlook."

अर्थात् "मनुष्य के अधिकार की घोषणा हमारे दिमाग का अविभाज्य अंग है। यह सिद्धान्त हमारे सिद्धान्त की भित्ति है।"

श्री जयराज गौतम—

जो अम्बेदकर जी ने कहा है, वह आप देखें, उन्होंने स्पष्ट कहा है और उन्होंने देश और संसद को सर्वोच्च कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गैर मुनासिब बात है जयराज जी। आप हर एक माननीय सदस्य के बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। इसमें आप सुधार करें। यह गैर मुनासिब बात है। माननीय सदस्य के अपने विचार हैं, आपसे वह विचार नहीं लेना चाहते हैं आप उनको बोलने दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उन्होंने जो कहा है, वह हमें भी मालूम है। 6 नवम्बर, 1948 को जो उन्होंने कहा है, यह यहीं रखा हुआ है।

श्री रेवती रमण सिंह—

"A fundamental right should be looked upon, not from the point of view of any particular difficulty of the moment, but as something that you want to make permanent in the Constitution."

मौलिक अधिकार को किसी समय भी उत्पन्न कठिनाई के वातावरण में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह संविधान की स्थायी व्यवस्था है। यह पंडित जवाहर लाल जी की बात बता रहा हूं। मैं डाक्टर राधाकृष्णन् का भी उल्लेख करना चाहता हूं ....

"We must safeguard the liberty of the human spirit against the encroachment of the State. This declaration which we make today is of the nature of a pledge to our people and a part with the civilized world."

जेड० ए० लारी इसी सदन के सम्मानित सदस्य थे और नेता विरोधी दल थे। उनका कहना था—"संविधान के प्रारूप को आंकने के लिए हमें देखना है कि किस हद तक इसमें मनुष्य के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। ऐसे अधिकार जिनके बिना जीवित रहना व्यर्थ है।"

मान्यवर, अभी भाई धर्मवीर जी ने बड़ी जोरदारी से यह बात कही कि हम संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं जिससे संविधान का दूसरा रूप हो जाय और जनता का अधिकार ही समाप्त हो जाय। क्या हमारे यह अधिकार समाप्त नहीं हो गए हैं? स्वतन्त्रता का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, आवागमन का अधिकार ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं, वह क्या समाप्त नहीं कर दिए गए हैं? क्या आज यह जनतन्त्र बनाए रखने की बात है या जनतन्त्र समाप्त करने की बात है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री रेवती रमण सिंह—

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था—"बंगाल ने बहुत बरसों से अपने हजारों बेटे-बेटियों को नजरबन्दी शिविरों में बिना मुकदमें के कैद रखे जाते हुए और नष्ट किए जाते हुए देखने की यातना को बरदाश्त किया है। उनका जीवन नष्ट कर दिया गया है। उनके परिवार टूट गए हैं। प्रान्त और देश पर अन्तहीन पीड़ा व यातना की छाया घनी होती जा रही है।" जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्री अम्मार रिजवी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं एक मिनट आपका लेना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1971 से 1976 के बीच में कौन से ऐसे संशोधन हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है?

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस समय जो संशोधन पास करने के लिए हैं अगर उनको आप देखें तो मालूम होगा कि वह एक ऐतिहासिक चीज है और यह ऐतिहासिक कार्य है। जिस समय स्वतन्त्रता संग्राम शुरू हुआ और देश के आजाद होने तक यह बात की जाती रही है कि हमारी पालिसी और हमारी गवर्नमेंट को चलाने की प्रथा किसी विशेषधर्म के आधार पर न हो। सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया गया है। आज आप देखें कि इसके प्रिएम्बिल में दो लफ्ज "धर्मनिरपेक्ष समाजवादी" बढ़ा दिए गए हैं। इन दो

लफ्जों के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इनके पीछे एक पूरा इतिहास, एक पूरी कहानी छिपी हुई है। इसके पीछे लोगों के ख्यालात छिपे हुए हैं।

अभी राष्ट्रीय एकीकरण की बात कही गयी। जहां पर नेशनल यूनिटी का सवाल है वहां पर इन्टेग्रिटी के लफ्ज लाए गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल इन्टीग्रेशन को इसी में स्थान दिया गया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सी बातें कही गयी हैं कि इससे स्वतन्त्रता छीनी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर माइनारिटी के अधिकारों का सवाल है जैसे आर्टिकल 25, 26, 28, 29 और 30, उनमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की गयी है।

अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि शिक्षा को 'कान्करेन्ट' लिस्ट में लाया गया है। मैं उन स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो शिक्षा को बिलकुल अलग तरीके से शुरू करने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि शिक्षा को ऐसा रूप दिया जाए जिससे सारे भारत से उसका सिलसिला अलग हो जाए और इन्सान-इन्सान में एक दीवार खड़ी कर दी जाय और इस तरह से भेद भाव और आपस में अलगाव की भावना पैदा हो जाए। इसीलिए शिक्षा को 'कान्करेन्ट लिस्ट' में लाया गया है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है।

इस सदन में मान्यवर, इस बात की बड़ी चर्चा की गयी कि संविधान खतरे में है और पार्लियामेन्ट गलत तरीके से चल रही है। लेकिन मान्यवर, अगर हम उसके फीचर्स को देखें तो यह रिजिड भी है और फ्लेक्जिबिल भी है। यह सख्त है और इसे बदला भी जा सकता है। हमारा संविधान सभी अच्छी-अच्छी बातों को लेकर बनाया गया है। इसमें 'इमरजेन्सी' का भी प्राविजन है और 'इमरजन्सी' संविधान के प्राविधानों के आधार पर ही लायी गयी है।

मान्यवर, बहुत सी बातें आर्टिकल 31-डी पर कही गयी हैं कि इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब 1970 में चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था राष्ट्र विरोधी तत्व निर्वहन अधिनियम मेरे पास जो उसकी कापी है वह अंग्रेजी में है। श्रीमन्, अगर इसकी शब्दावली आप देखें तो वही है जो हमारे संविधान में है। अगर आप इजाजत दे तो पढ़ दूं। वह इस प्रकार है:—

"committing any act which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cessesion of a part of the territory of India from Union."

तो जब आप कोई कानून खुद पास करें तो उसकी शब्दावली ठीक और अगर हम उसको संविधान में ले लें तो ठीक नहीं, यह उचित बात नहीं प्रतीत होती है।

संविधान में जो संशोधन हुए हैं, वे पहली बार हुए हैं जिसमें बच्चों के लिए प्रयास किया गया है। उनको एक्सप्लाएटेशन से बचाया जाय, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाय। एजूकेशन इस प्रकार की हो कि जिससे देश प्रेम हो और इसी प्रकार से वर्कर्स पार्टिसीपेशन हो, फ्री लीगल एड हो। ये तमाम बातें इस प्रकार की हैं जिनसे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य मजबूत हो।

हमारे यहां पर फन्डामेन्टल राइट्स की बात कही गई लेकिन ड्यूटीज को हम भूल गए हैं, यह ठीक नहीं है। यदि हमें देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। हम चाहते हैं कि सारे संसार में हमारा नाम हो, अगर यहां के लोग अनुशासन में रहें, तो यह कोई गलत बात नहीं है। इनसे जिन लोगों को तकलीफ होती है, उनको आप स्वयं समझ सकते हैं। इसीलिए जब अनुशासन में रहने की बात की जाती है तो वे इसका विरोध करते हैं। इनमें लोक सभा का सत्र काल बढ़ाया गया है, इसे 6 साल कर दिया गया है।

[श्री अम्मार रिजवी]

जहां तक प्रविलेजेज का प्रश्न है सन् 1950 में हमारा संविधान बना। उस समय से हम हाउस आफ कॉमन्स का आदर्श अपने सामने रखते थे, उसको आइडियल समझकर अपने सामने देखते थे। हमारी स्वयं की परम्परायें हैं, हमारा अपना इतिहास है, हमारी अपनी कल्चर है हमारी अपनी तवारीख है। हम चाहते थे कि हम हाउस आफ कॉमन्स की परम्पराओं की ओर न देखें, 'मे' की किताबों के वर्कों को न देखें। हमने इसमें इस बात का प्रबन्ध किया है कि हम अपनी लोक सभा की ओर देखेंगे, हमारी जो प्रजातन्त्र की प्रणाली है, उसको देखेंगे। यह जरूर है कि जब तक हमें अच्छी बातें मालूम होती रहेंगी, हम उन्हें सीखते रहेंगे लेकिन जहां तक हाउस आफ कौमन्स की प्रोसीडिंग्स का सवाल है, आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने यहां की बातें ले सकते हैं। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। जिनका आज भी और कल भी असर मालूम होगा। संविधान में जो संशोधन किए गए हैं। वे तवारीखी अमेन्डमेन्ट हैं, जो मौजूदा हालात को देख कर और बहुत सी चीजों को सामने रखकर किए गए हैं। इसमें बहुत सी बातें तो वे ही हैं जिनको विरोधी दल के लोगों ने की थी और उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जैसा कि हमारे दोस्त माननीय गर्ग साहब ने कहा है यह संविधान किसी एक पार्टी का संविधान नहीं है और न एक व्यक्ति का, यह पूरी नेशन का पूरे राष्ट्र का है। इसका सम्बन्ध पूरे देश से है, हर व्यक्ति से है चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो।

जहां तक देश प्रेम का सवाल है, देश के प्रति कर्तव्य पालन का सवाल है इसमें भी किसी प्रकार का फर्क नहीं हो सकता है? इसमें सब एक हैं, तो फिर कौन सी वह बात है जिसका वे विरोध कर रहे हैं। कोई बात जब चौधरी साहब की ओर से आती है तो वह ठीक है, प्रदेश में कोई उनके जमाने में आर्डिनेन्स आता है तो वह ठीक है लेकिन जब हम उसे संविधान में रखते हैं तो उसे उचित नहीं बताया जाता है।

मैं आशा करता हूं जो सदन में संकल्प प्रस्तुत है, सारा सदन उसका समर्थन करेगा और सर्वसम्मति से इसे पास करेगा।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का 44वां संशोधन विधेयक के अन्तर्गत 59 संशोधन एक साथ आए हैं। यह मेरे ख्याल से भारतवर्ष ही नहीं जितने भी प्रजातान्त्रिक देश होंगे या लोकतान्त्रिक ढंग में विश्वास करने वाले देश हैं उनमें यह सब से बड़ा संशोधन है, उनके संविधान में कभी इतना बड़ा संशोधन नहीं किया गया होगा? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे देश का संविधान इतना सड़ गल गया है कि अगर उसमें इतने संशोधन न किए जायं, तो लोकतान्त्रिक और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। क्या हम इसके द्वारा समाजवादी लोकतन्त्रात्मक ढंग की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे? एसा नहीं है। माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, इस सदन के जब 1954 में विपक्ष के उपनेता थे तो उन्होंने ये शब्द कहे थे —

"आप जानते हैं श्रीमन्, कि किसी भी देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता बहुत ही कम पैदा करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विधान जिसको बने डेढ़ शताब्दी हो गयी, अभी तक केवल 21 संशोधन उसमें हुए हैं। वह भी एक फेडरल कांस्टीट्यूशन है, संघीय संविधान है। लेकिन डेढ़ सौ वर्ष में केवल 21 संशोधन उसमें हुए, तो अगर आज इस संकल्प द्वारा हम केवल 4 साल के ही भीतर अपने संविधान में तीसरा संशोधन करने जा रहे हैं तो आज इस सदन के लिए और हम सभी के लिए एक महत्व की बात है। श्रीमन्, आखिर यह संकल्प हमसे क्या कहता है? इस संकल्प द्वारा हम अपने इस राज्य के बहुत से अधिकारों को केन्द्र को देने जा रहे हैं।"

यह बस उस वक्त सही था, तो क्या उस वक्त गलत हो सकती है ? क्या 15 साल के अन्दर ही परिवर्तन हो गया इस तरफ से उस तरफ जाने में ? उनके जरिए और दृष्टिकोण में इतना आमूल-चूल परिवर्तन हो गया ? यह संविधान में संशोधन हमारे केन्द्र को सशक्त कर रहा है और जो सम्वर्ती सूची में और कांकरेन्ट लिस्ट में जो विषय थे वह भी केन्द्र को दे दिए गए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब परिवर्तन जो हो रहे हैं और यह सब हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर नसबन्दी और बहुत सी चीजें जो हो रही है वह सब अन्डर दि प्रिटेक्स्ट आफ इमर्जेन्सी, आपात्कालीन स्थिति के बहाने से किया जा रहा है। इस से बढ़िया अवसर कांग्रेस को शायद ही कभी मिलता। कहा जाता है कि हर तरफ जनता की खुली छूट दी गयी है कि अपने विचार प्रकट करे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े-बड़े विरोधी दल के नेता जेल में हों तो विचार-विमर्श करने का मौका क्या है ? जहां फैंक और फीयरलेस ओपीनियन भी नहीं दी जा सकती है वहां किसी को क्या अवसर है ? पी0 जी0 मावलंकर साहब एम0पी0 निर्दलीय ने संसद में कहा था —

"He asked the Congress Party to hold elections and obtain the necessary mandate. He maintained that the atmosphere in the Country was not conducive for a free national debate on the bill."

एक सदस्य—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री राज ब्रजराज सिंह—

यह संशोधन जो लाया गया है इसमें आप देखें कि जो हमारा मूल संविधान था वह 25 साल तक टेस्ट आफ टाइम्स की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसने 5-6 सशक्त सरकारें बनायीं वह एकाएक आज खराब हो गया और यह चलने के काबिल नहीं है, यह उचित नहीं मालूम होता है। यह जो संविधान में संशोधनों की बाढ़ आ रही है इसका तात्पर्य यही मालूम होता है कि आपातकालीन स्थिति का फायदा उठाकर आर्डिनेन्स के द्वारा ही शासन चलाना सम्भव हो जाय और अपना शासन शाश्वत रहे और चिरकाल तक राज करने के लिए वंश परम्परागत शासन कायम रखने के लिए ही केवल यह संविधान में संशोधन लाया गया है।

म आपके सामने डा0 शमीम अहमद शमीम एम0पी0 की तीन लाइनों को पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि "जब तक हर किसी को अपने विचार प्रकट करने की छूट न हो (जैसे जेल में बन्द जनता के लोग) तब तक 44वें संशोधन का क्रियान्वयन मालिक के सामने उसके खजाने को लूटने के समान है।"

यह स्थिति चल रही है देश की। फिर भी संविधान में यह संशोधन जो किया गया उसमें कहा गया कि उसकी प्रस्तावना में जिसमें कि विधेयक की मूल भावना होती है। उसमें दो शब्द जोड़ दिए गए "डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म"। क्या हमारा संविधान डेमोक्रेटिक नहीं था ? क्या सोशलिस्टिक नहीं था ? क्या हम सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करते थे ? क्या यह प्रस्तावना में जोड़ना अनावश्यक नहीं था ? इसके पीछे क्या उद्देश्य निहित है ? नेहरू जी ने अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी ढांचे को बनाने का निर्णय लिया था। अगर चाहते तो उस वक्त संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज समाजवाद की पूरे विश्व में सर्वमान्य परिभाषा कोई नहीं है। समाजवाद जिसका जैसा नजरिया है उसको वैसा ही दिखायी देता है। डिसिप्लन्ड डेमोक्रेसी की बात कही जाती है। यह बात मेरे ख्याल में इस देश में गुलामी से बढ़ कर और कुछ भी नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर मैं, 2-3 मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

2 मिनट में आप समाप्त करें।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

जहां तक सेक्यूलरिज्म की बात है, हमारा देश आज से सेक्युलर नहीं है, वह बहुत पहले से सेक्युलर था। अंग्रेजों के वक्त में भी सभी धर्मों की छूट थी। हम सभी धर्मों में सद्भाव ही नहीं समादर का भाव भी रखते हैं।

सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेन्ट का जहां तक सवाल है, उसका जीता जागता नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। यदि पार्लियामेन्ट ही सुप्रीम है तो उसका पास किया हुआ कानून राज्यों में रेटिफिकेशन के लिए लाने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेन्ट में कहा गया कि जनता सर्वोच्च है, पार्लियामेन्ट नहीं। जनता का यह अधिकार है कि एक नियत समय के बाद उससे पूछा जाय कि आपकी जो सरकार चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं और फिर जनता का विश्वास प्राप्त करे। जिस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया उसको क्या अधिकार है अधिक समय तक कायम रहने का?

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राजब्रजराज सिंह--

श्री पी0 जी0 मावलंकर, एम0 पी0 (निर्दलीय) ने कहा है कि --

Hold elections and obtain necessary mandate from the people for changing the Constitution. The present Lok Sabha has no right at all to pass the Constitution Amendment Bill.

वर्तमान लोक सभा को 6-7 साल हो रहे हैं। आप 5 साल तक सोते रहे? अगर आपने मैन्डेट सीक किया था और जनता से यह वायदा किया था कि आप संविधान में संशोधन करेंगे तो आज तक आप क्या करते रहे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो पूर्व वक्ता ने पूछ लिया।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं। जहां तक कांस्टीट्यूशन अमेन्ड करने का सवाल है इसमें कहा गया है कि कांस्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट अच्छी नी त से ही नहीं कभी-कभी बुरी नीयत से भी किया जाता है। अभी इलाहाबाद में सर तेजबहादुर सप्रू की जन्म शताब्दी पर एक विचार गोष्ठी हुई जिसमें श्री खन्ना साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे उन्होंने कहा कि सभी संविधान संशोधन अच्छाई के लिए ही नहीं किए जाते हैं। कभी-कभी इसके पीछे बुरी नीयत भी निहित होती है और बाद में उसका परिणाम भी बुरा दिखायी पड़ता है। मौजूदा संविधान संशोधन को जनता का कहां तक विश्वास प्राप्त है और भविष्य में यह कहां तक सब के लिये कल्याणकारी और उत्तम सिद्ध होगा यह आपको आने वाला समय बताएगा और ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि आप जनता के सामने जा कर एक नया मैन्डेट सीक करें। उसके बाद आपको अधिकार प्राप्त होगा संशोधन करने का, वरना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं चाहता हूं माननीय सदस्य 5-5- मिनट में ही अपने भाषण को समाप्त करें तो अच्छा है।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के प्रीएम्बिल में 3 शब्द जोड़े गए हैं-- "सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक"। इसी के साथ "यूनिटी आफ दि नेशन" के साथ शब्द "इन्टीग्रटी" और जोड़ दिया गया है। मान्यवर, आज की परिस्थितियों में यह जोड़ना बहुत आवश्यक था क्योंकि आज डेमोक्रेसी की आड़ में देश में पूंजीवादी व्यवस्था कायम करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की साजिश की जा रही थी। जो ताकतें प्रतिक्रियावादी थीं हमारे यहां, जिन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था, वे विदेशी ताकतों के साथ साजिश कर रही थीं। इसलिए इन शब्दों को जोड़ना आवश्यक था। यह सारा संसार जानता है कि अमेरिका अपने सी0 आई0 ए0 के जरिए सारी सोशलिस्ट ताकतों को पलट रहा था और पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहता था। इसलिए इस संशोधन को करने की आवश्यकता हुई। फन्डामेन्टल राइट्स का सहारा लेकर गलत काम करने शुरू कर दिए, उनका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे इस देश की एकता तक को खतरा हो चला था। मैं उन सारी चीजों में इस समय जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं अपने विरोधी पक्ष के नेता, अपने पुराने साथी, माननीय चौधरी चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं (व्यवधान) कि क्या हम लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी? लड़ी थी तो क्या देश की एकता को खंडित करने के लिए लड़ी थी? कल अपने बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी की बातों को सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे कोई पुराने आदर्श ही नहीं हैं। यह भी कहा कि हमारे कौन से आइडियल्स हैं। जो हमने फन्डामेन्टल राइट्स में संशोधन किए हैं उनको आप देखने की कृपा करें उससे साफ है कि हमारे आइडियल्स क्या थे, क्या हैं?

माननीय राममूर्ति जी की बातों को भी सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारा आइडियल है राष्ट्र की स्वतन्त्रता और अखंडता कायम रहे, हमारा आइडियल था कि देश के अन्दर गरीब जनता का शोषण न हो, हमारा आइडियल था पूज्य गांधी जी के स्वप्नों को साकार करें, आदि-आदि, यही तब थे और यही सब आज भी हैं। सन् 1934-35 में जब एग्रेरियन रिफार्म्स कमीशन बैठा था उसका यही उद्देश्य था कि जितने भी किसान हैं, जो भी खेती करने वाले लोग हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको ऊपर उठाया जाय। उनको ऊपर उठाने का ही तो उद्देश्य था। आज यह कहना कि कोई आइडियल नहीं है, हमारी कोई अच्छी प्रणाली नहीं है, यह बात गलत है। हो सकता है कि उन परम्पराओं को जिनके आधार पर उस रास्ते पर वह स्वयं नहीं चलना चाहते हैं। अहिंसा को छोड़ कर वह हिंसा के रास्ते पर आना चाहते हैं। राष्ट्र प्रेम को छोड़ कर वह हिंसात्मक राष्ट्र से मिलना चाहते हैं। इस देश में विरोधी दल जो संविधान की धारा 13, 19, 31 थीं, उनका नाजायज फायदा उठा रहे थे। मुझे एक बात सुन कर माननीय उपाध्यक्ष जी आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा राम मूर्ति जी ने कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से प्रेसीडेन्ट चलाया जायगा। सन् 1937-38 में माननीय उपाध्यक्ष जी केवल इसी बात पर कन्वेंशन हुआ था।

(इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मेरा कहने का मतलब यह है कि सन् 1937 से जिन परम्पराओं के लिए, जिन डिमाक्रेटिक कन्वेंशन्स के लिए हम लड़ते रहे हैं, आज उनका विरोध करना, यह अपने विचार और अपने चरित्र से बगावत करना है। यह सारी चीजें मैं आप से पूछता हूं कि जो धारा 74 में दिया गया है, संशोधन किया गया है, कि प्रेसीडेन्ट कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से कार्य करेगा, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो भी विधान में संशोधन लिए गए हैं वह उन कठिनाइयों को देख कर और जो यहां पर डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में जो कठिनाइयां आई हैं उनको दूर करने के लिए किए गए हैं। इन संशोधनों का विरोध करना मैं समझता हूं जनतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र का विरोध होना है। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि जो हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी संशोधन लाये हैं, विरोधी दल इस बात को ठंडे दिल से सोचें और उसका हार्दिक स्वागत करें और समर्थन करें।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचारों को रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कल इस सदन में

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

हमारे संविधान के 44वें संशोधन के सम्बन्ध में जो लोक सभा में पारित हुआ है, उसके समर्थन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मान्यवर, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मान्यवर, जो हमारा संविधान था आज से 30-35 साल पहले बना हुआ था, प्रस्तावना में यह था कि—"सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य"। इन शब्दों के स्थान पर इस समय जो संशोधन हुआ है, उसमें है—"सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य"। मान्यवर, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है इस मुल्क की तरक्की के लिए। मान्यवर, इसके लिए मैं भारत के संसद और राष्ट्र की नेता प्रधान मन्त्री जी को हार्दिक अभिनन्दन और बधाई देता हूं। मान्यवर, सही माने में समाजवादी विचारधारा के लोगों को इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती है क्योंकि जिस संघर्ष के लिए, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, आज हमारा वह समाजवाद का कार्य पूरा हुआ। जब हमारे संविधान में इस समाजवाद को शामिल कर लिया गया है तो निश्चित रूप से यह लगता है कि अब हमारा देश समाजवादी देशों में आगे खड़ा होगा। संविधान में संशोधन आज से नहीं बल्कि जब से संविधान बना है उसके कुछ ही दिन बाद से प्रारम्भ हो गया था। किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए, किसी भी प्रगतिशील मुल्क के लिए संविधान में संशोधन बहुत जरूरी हुआ करता है। जहां आज हमें इस देश में तरक्की के लिए लम्बी छलांग मारनी है वहां संविधान के जरिए जो रोड़े हैं उनको हटा कर फेंक देना होगा। आज जो संविधान संशोधन के विरोधी हैं, वे वही लोग हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं और जो देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। जो यह नहीं चाहते हैं कि देश समाजवादी बने, वही संविधान संशोधन का विरोध करते हैं। ये वही चेहरे हैं जो आज नहीं बल्कि जब-जब संविधान संशोधन का काम हुआ है, तब-तब इसका विरोध किया है। चाहे वह संगठन कांग्रेस के रूप में हो, चाहें वह जनसंघ के रूप में हो, चाहें लोकदल के रूप में हो, चाहे संयुक्त सोशलिस्ट के रूप में हो। ये चहुंमुखी दल—चारों मिल कर इसका विरोध कर रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ जब कुछ लोग यह कहते हैं कि इसमें समाजवादी भी शामिल हैं। मैं कभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

आज समाजवादी विचार धारा और प्रतिक्रियावादी विचारधारा का बंटवारा हो रहा है। आज संविधान में जो संशोधन हो रहा है उसका विरोध करने वाले निश्चित रूप से समाजवादी नहीं हैं बल्कि प्रतिक्रियावादी हैं। चौधरी चरण सिंह को कौन नहीं जानता कि वे घोर प्रतिक्रियावादी हैं। वे चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने पद से क्यों नहीं हट जातीं, वे क्यों इतने दिनों से प्रधान मन्त्री बनी हुई हैं? इस पर मैं कहता हूं कि आप क्यों इतने सालों से यहां बने हुए हैं। क्या आपके छपरौली में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उनका प्रतिनिधत्व कर सके। पर उपदेश, कुशल बहुतेरे। वे एसे ही लोग हैं जो दूसरों को उपदेश तो देते हैं और इमरजेन्सी का रोना रोते हैं। आखिर आपात स्थिति लागू करने का कारण क्या है? क्या इसी असेम्बली में नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह ने नहीं कहा था कि वोट के जरिए नहीं हुआ तो गोली के जरिए सरकार को बदल देंगे? जब वे गोली के जरिए ही सरकार बदलने का इरादा रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि वे यहां एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसके जरिए इस देश में न तो समाजवाद आने पावे, न गरीबी मिटे और न देश तरक्की कर सके। तो संविधान संशोधन में इस तरह के लोग जो रोड़े बने हुए हैं इनका निश्चित रूप से समाप्त करना पड़ेगा। चाहे इमरजेन्सी हो, चाहे कुछ हो। जनता समाजवाद चाहती है, जनता समानता चाहती है, और उस समानता के लिए ऐसे लोगों का सफाया करना जरूरी होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो चार मुद्दों पर ही बोलना है क्योंकि काफी बातों के ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझे इस बात पर बहुत ही अधिक आश्चर्य हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल ने तथा विरोधी दल के उपनेता और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पार्लियामेन्ट की जो सुप्रीमेसी है—उसके लिए विशेष रूप से यह कहा गया कि जनता की जो सुप्रीमेसी है—अगर पार्लियामेन्ट की सुप्रीमेसी को मान लिया गया तो जनता की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। बहस का एक विशेष दौर यह रहा।

दूसरी चीज यह कही गयी, खासतौर से माननीय नेता विरोधी दल श्री राममूर्ति जी ने कहा कि यह जो इतनी ज्यादा सावरनटी की बात कही जाती है पार्लियामेन्ट की, यह बात भी कोई बहुत उचित नहीं है। एक और माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि कांस्टीट्यूशन जो है उसी के अन्तर्गत सब कुछ है। पार्लियामेन्ट जो है वह कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत है। इस तरह के विषय को यहां पर उठाया गया है। हमारे देश का संविधान बना, एडल्ट फ्रेन्चाइज यानी कि बालिग मताधिकार के द्वारा लोग चुन कर आए। जो लोग चुनकर आए वह जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते रहें। अपने जन प्रतिनिधियों को भेजकर जनता ने पार्लियामेन्ट में अपनी आवाज को जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो कुछ संशोधन करना था वह जो जनता के द्वारा होना चाहिए था। अब क्या गलियों में और क्या चौराहों पर बैठकर संविधान संशोधन होता है। अब जब भी कोई पार्लियामेन्ट का फोरम होगा और जो हमारी अलग-अलग असेम्बलीज हैं वहां पर वोट होगा, तर्क पेश किए जायेंगे और तब अनुमोदन किया जायगा तो जो पार्लियामेन्ट चली आ रही है उसके द्वारा ही संशोधन किया जायगा।

जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशन का सवाल है, उसमें स्पष्ट है कि, कांस्टीट्यूशना बनाते वक्त ही यह बात आयी थी कि चेन्ज आफ टाइम के साथ-साथ इसमें परिवर्तन आ सकता है और आएगा। आरम्भ में ही पंडित नेहरू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिय था। मैं अंग्रेजी का एक छोटा सा कोटेशन पढ़े दे रही हूं :—

"If you make a constitution rigid and permanent you stop nations growth the growth of living vital organic people."

तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो जनता की एस्पिरेशन्स हैं, जनता की जो आकांक्षायें हैं उनकी पूर्ति करने के लिए समय-समय पर देश के संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है और स्वयं पंडित नेहरू के समय में कितने परिवर्तन हुए और संशोधन किए गए। संविधान बनाने के कुछ महीने बाद ही संशोधन किया गया था। तो पार्लियामेन्ट में इस तरह का संशोधन किया जा रहा है, प्रजातन्त्र के खिलाफ किया जा रहा है, यह कहना कुछ तर्क संगत नहीं मालूम पड़ता है।

अब दूसरी बात जो कही गयी है, नेता विरोधी दल ने खासतौर से कही और एक आध माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सन् 1971 में जो जनता का मैन्डेट मिला था, कांग्रेस पार्टी को, वह खत्म हो गया है और यह एक्सटेन्डेट पार्लियामेन्ट है इसलिये इस पार्लियामेन्ट के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए था और यह संशोधन नए चुनाव कराके ही कराने चाहए थे। तो सवाल इस बात का है कि क्या हमारे संविधान में यह नहीं है कि हम पार्लियामेन्ट को एक साल के लिए एक्सटेन्ड कर सकते हैं?. अगर हमारा संविधान यह कहता है तो हम कर सकते हैं। सन् 1971 का चुनाव जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने भाग लिया है, जो चुनकर आए हैं उनको याद होगा कि जनता के बीच में पब्लिक मीटिंग्स जिन्होंने एड्रेस किया था वह समझते हैं कि उस समय क्या हवा थी?

कांग्रेस के लोग जब जनता के बीच में जाते थे, तो लोग कहते थे कि बहन जी आपको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है? हम तो स्वयं कांग्रेस को वोट देने वाले हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

और देंगे। और उसके बाद 2/3 मेजारिटी से पार्लियामेन्ट में कांग्रेस के सदस्य चुनकर गए थे। तो आज यह कहना कि रेफ्रेन्डम होना चाहिए, यह कहना कि जो यह पार्लियामेन्ट है चुनी हुई उसका समय संवैधानिक तरीके से बढ़ा हुआ है। इसलिए 2/3 मेजारिटी को कोई चेलेन्ज नहीं कर सकता है और न संवैधानिक स्थिति को ही। ऐसी हालत में इस पार्लियामेन्ट को पूरी तरह से यह अधिकार है कि वह इस संविधान का विधिवत् परिवर्तन और संशोधन कर सकें। इसलिए इसको किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमारी कांग्रेस का जो मैन्डेट है उसमें भी नेता विरोधी दल ने यह कहा कि यह तो अपना समय पूरा कर चुकी इसलिए अब इसको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ए0 आई0 सी0 सी0 का मैनीफेस्टों है उसमें स्पष्ट लिखा गया था और वही पार्लियामेन्ट उसी मेनीफेस्टों पर चुनी हुई चली आ रही है। मेनीफेस्टों में यह लिखा हुआ है :

"14. However, as a result of certain recent judicial pronouncements, it has become impossible to effectively implement some of the Directive Principles of our Constitution"

तो आज इस मेन्डेट के द्वारा इसको पूरा करने के लिए डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राइरिटी देकर लाने की बात कही जा रही है। मेन्डेट हमारे दल के लिए, हमारी केन्द्रीय सरकार के लिए, हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट्स के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी का मैन्डेट हमारे मेनीफेस्टों के आधार पर अब भी उसी तरह लागू होता है। आगे यह भी लिखा है :—

"15. The nation's progress cannot be halted. The spirit of democracy demands that the Constitution should enable the fulfilment of the needs and urges of the people. Our Constitution has earlier been amended in the interests of economic development. It will be our endeavour to seek such further constitutional remedies and amendments as are necessary to overcome the impediments in the path of social justice"

इसलिए कहने का उद्देश्य यह है कि उस मैन्डेट के ऊपर आज भी हम और हमारी पार्लियामेन्ट सक्षम है कि वह संविधान में परिवर्तन करे और वह इक्झास्ट नहीं हुआ है।

एक सदस्य—

कुछ लिमिट भी तो होती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लिमिट होती है लेकिन उस मैन्डेट के आधार पर उस पार्लियामेन्ट का कार्यकाल होता है। यह कार्यकाल संवैधानिक तरीके से बढ़ाया गया है। इसका कार्यकाल 5 साल से 6–7 साल तक पार्लियामेन्ट के द्वारा बढ़ाया गया, 2/3 मेजारिटी से बढ़ाया गया, वह संविधान के अन्दर बढ़ाया गया तो उसका काल हो गया इसलिए यह मैन्डेट उस समय के लिए लागू होता है। फिर यह 5 और 6 साल के काल की एक पार्लियामेन्ट के लिए बात नहीं रखी बल्कि उस समय तक करते रहेंगे जब तक यह कार्य जनता के डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में कह जायेंगे। हमारे संविधान का जो चौथा अध्याय है उसमें स्पष्ट लिखा गया ह कि जनता की प्रगति की दिशा में तो बार-बार कदम उठाए जायेंगे। अब जैसा कि नेता विरोधी दल ने एक-एक करके नीति निदेशक तत्वों को पढ़कर सुनाया और कहा कि उसके अन्दर यह है कि 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजूकेशन करने की बात की है तो उसका कौन जिम्मेदार है। इस ऐमेन्डमेन्ट में एजूकेशन को कान्करेन्ट लिस्ट में लाया गया है और इस बात का इसमें जिक्र किया गया है कि शिक्षा की नीति किस प्रकार सारे देश को एक रूपता में बांध सकती है और किस तरह सारे देश को एक रुपता में डाल सकते हैं। शिक्षा को नीचे से ऊपर तक कैसे लायें।

आज हम समाजवादी व्यवस्था में, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आधारित है और एक नेशनल इन्टीग्रीटी की बात जो हम लाए हैं उस दिशा में हम अपनी शिक्षा की पद्धति को किस तरह से लागू कर सकते हैं। आपने देखा अभी हाल ही में शिक्षा पद्धति घोषित की गयी है उसमें प्लस दो प्लस तीन का फारमूला बनाया है जिसके द्वारा वे लोग जो प्लस दो के स्टेज में हों उन्हें काम में लगाया जा सके, उनको वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जायगी जिससे वे विद्यार्थी नौजवान अपने काम में लगाए जा सकें। इसी प्रकार जो प्लस तीन के स्टेज में हैं उसी हिसाब से हायर एजूकेशन में जायेंगे। तो यह बातें पहली बार कांस्टीट्यूशन में लायी गयी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि हमने जो संविधान में नागरिक के कर्तव्यों की बात कही है वह तो कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में लागू है और वहां रखी जाती हैं और कहीं नहीं रखी जाती हैं। उन्होंने भारतीय समाजवाद की बात भी कही। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह सही बात है कि जिन देशों में टोटलिटेरियन तर के से समाजवाद आया वह तरीका भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान के प्रिएम्बिल में बहुत स्पष्ट तरीके से यह लिखा है कि हम जो डेमोक्रटिक सोशलिज्म मानेंगे वह भारतीय तरीके से अपनायेंगे। साथ ही साथ आठ दस जो नागरिक के कर्तव्य हैं वह उसी प्रकार हैं जिस प्रकार की दस अंक हमारी बाइबिल में होती हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें नागरिकों को स्वीकार करना है। उनको बार-बार याद रखना चाहिए कि देश के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, राष्ट्रीय गान के प्रति उनका क्या कर्तव्य होता है।

हम सन् 1967 का वह दिन भूले नहीं हैं जब चुनाव के बीच में झंडे को जलाया जाता था। उस समय छोटे-छोटे बच्चों को विरोधी दलों द्वारा यह शिक्षा दी जाती थी कि वे तिरंगे झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस के ध्वज में अन्तर कर सकें और किस तरह से झंडा जला दिया जाता था। आज भी बच्चों को इतना अन्तर नहीं मालूम होता है कि राष्ट्रीय ध्वज में क्या अन्तर है। जो चक्र राष्ट्रीय ध्वज में है वही चक्र हमारे कांग्रेस के झंडे में में भी है और उसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को भी जला दिया गया। आज भी सारे देश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है और जलाया जाता है। मैं यह कह रही हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जो राष्ट्रीय गान है उसका हमें पूरा आदर करना चाहिए। साथ ही साथ इस देश के छोटे-छोटे बच्चों को जो यह शिक्षा दी जाती थी कि भगवा झंडे को प्रातः काल सलामी दी जाय, उनके अन्दर जो इस प्रकार की फीलिंग पैदा की जाती थी कि और दूसरे झंडे को सलामी न दी जाय, इस प्रकार की राष्ट्र के साथ एक दीवार पैदा करने की शिक्षा दी जाती थी वे सारी चीजें राष्ट्र की एकता को कमजोर करने वाली हैं। धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे उन सब के लिये ये बातें रखी गयीं।

नेता विरोधी दल ने एक और बात कही और वह यह कही कि जब कहा जाता है कि हम अपने जंगलों का, अपने रेलों का अपने पहाड़ों का, अपने झील और झरनों का, अपनी नदियों का और जंगली पशुओं का तथा चिड़ियों का संरक्षण करें तो इस पर उन्होंने कहा कि मांस खाने वाले लोग भी इसी तरह की बात कहते हैं। शायद माननीय नेता विरोधी दल को यह बात मालूम नहीं है कि अमेरिका में बहुत पहले ही यह चीज तय की गयी और कन्जर्वेशन की जो स्प्रिट है, भावना है, उसके लिए कानून बनाया गया और इसके अलावा सारे यूरोप में भी इस तरह की चीजे प्रिजर्व करने के लिए की गयी। तो क्या यह लोग मांसाहारी नहीं हैं? तो उन्होंने अपने अनुभव से सीखा इसी प्रकार आज पर्यावरण में जो शुद्धता नहीं रह गयी है उसको ठीक करना है। आज इस बात की जरूरत है कि हम समय रहते इन पर विचार करें और इनको ठीक करें। तो आज ऐसे कर्तव्यों को कान्स्टीट्यूशन के अन्दर रखा गया जिसको मैं समझती हूं कि हर बच्चे को सिखाया जायगा और हर नागरिक को बताया जायगा कि यह उसके कर्तव्यों के अन्दर शामिल है। यह एक अच्छी बात है। यह संशोधन राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए है इसके विरुद्ध कई तर्क नहीं है, केवल अपोजीशन के लिए, विरोध करने के लिए, विरोध किया जाय यह बड़े आश्चर्य की बात है।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि यह जो स्मगलर्स हैं इन्होंने कांग्रेस वालों को बड़ा भारी चन्दा दिया है तो इस तरह की बात मैं समझती हूं उन्हें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने यह नहीं कहा कि किस तरह से इन सब चीजों को करने से हम देश में जो मुद्रा स्फीति है उसको रोक सकते हैं। मुद्रा स्फीति को भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मुद्रा स्फीति के रेट को 35 परसेन्ट से घटाकर 0 तक ले आया है और जो इंग्लैन्ड जसा देश है जहां पर कि इकानामिक क्राइसिस मची हुई है वह भी बराबर इसक दूर करने की कोशिश कर रहा है। आज अनइम्प्लायमेन्ट की प्राब्लम यूरोप और दूसरे देशों में भी जिनको हम ऐडवान्स्ड कहते हैं, जो कि वह हल नहीं कर पाए जबकि मुद्रास्फीति को हमारी नेता ने और केन्द्रीय सरकार ने हल करने में सफलता प्राप्त कर ली है और एक नयी आर्थिक नीति और एक क्रेडिट पालिसी दी है और जिन स्मगलर्स को आज मीसा में बन्द कर दिया गया, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि स्मगलर्स के ऊपर भी आज हमदर्दी होती है और नेता विरोधी दल की ओर से यह कहना कि कांग्रेस वालों को चन्दा दिया जाता है यह अच्छी बात नहीं है।

मैं एक चीज और कह कर खत्म करूंगी वह यह कि यह जो कहा जाता है कि रिफरेन्डम होना चाहिए यह बहुत जल्दी में हुआ, जनता की पूरी राय नही ली गयी, तो एसी बात नहीं है। इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिये यह पंडित नेहरू जी के वक्त 1954 से ही चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि करीब करीब 22 साल हो गए हैं। तो यह जो सुझाव थे जब इस कांस्टीट्यूशन में एमेन्डमेंट हुआ तो एक कमेटी बनी कलकत्ता में, बम्बई में और दूसरी सब जगहों पर जो आल इन्डिया एक्सपर्ट्स थे उन सबकी राय ली गयी उसके बाद यह संशोधन किए गए और आज डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने की दशा में कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं जिसके द्वारा कि कुछ फन्डामेन्टल राइट और इस बात को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह देश की उस गरीब जनता के लिए है जिस जनता की आप बार-बार दुहाई दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि विरोध करने से मुझे कोई खुशी होती है।

श्री लोकपति—

किस चीज का विरोध कर रहे हैं माननीय दिघे जी, समाजवाद का अथवा सेक्युलरिज्म का ?

श्री मधुकर दिघे—

लोकपति जी का समाजवाद से जरा कम वास्ता रहा है। (व्यवधान) मैं उस संविधान संशोधन की तो तारीफ कर सकता हूं जो देश में वाकई गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहता है और जिससे देश का हित हो सके। लेकिन मैं यह भी आगाह करना चाहता हूं, उधर के लोगों को केवल यह समझ कर यह जो संविधान बनेगा यह ऐसे लोगों के हाथों में भी पड़ सकता है जो उसका ही फायदा उठा कर जो हथियार आज हमारे ऊपर आप चला रहे हैं वह हथियार वे आपके ऊपर चला दें। इस देश की राजनीतिक बदकिस्मती से कुछ नाबालिग लोगों के हाथ में चली गयी और उसका नतीजा यह हुआ। आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले देश के संविधान को खत्म करन की नीयत से ऐसे लोग पेशकश करने लगे थे। दो प्रकार के लोग थे। एक तो ऐसे थे जो संविधान में इसलिए संशोधन करना चाहते थे कि देश में समाजवाद लाया जाय और गरीबों की जिन्दगी को खुशहाल बनाया जाय। दूसरी तरह के वे लोग थे जो संविधान के जरिए देश में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे और ऐसा स्वप्न देख रहे थे जिससे ताकत एक हाथ में केन्द्रित हो जाय। बदकिस्मती से संविधान संशोधन का रास्ता आपने नहीं खोला जो अपने को कांग्रेसी कहते हैं। यह रास्ता नासमझी से विरोधियों ने खोला।

24वां संशोधन जब आया तब हमारे देश के एक माने जाने समाजवादी नेता नाथ पाई साहब ने इसका रास्ता खोला और वह उनकी नासमझी थी। उस समय देश के एक मात्र प्रहरी डा0 राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने यह चेतावनी दी थी कि जो लोग संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंन्ट को देने की बात कर रहे हैं वह यह समझें कि यह आगे चल कर बहुत खतरनाक साबित होगी। उन्होंने कहा था आज मैं भी कह देना चाहता हूं कि यह एक दिन सत्य हो कर रहेगा कि अगर इस तरह का अधिकार संसद को मिल गया तो उस रास्ते से चल कर देश में किसी न किसी दिन कोई महिला अथवा पुरुष इस देश का सर्वशक्तिमान डिक्टेटर हो कर देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। यह इसलिए नहीं कहा था कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी सर्वशक्तिमान हो जायं और इससे हमको कोई परेशानी है। इसलिए कहा था कि हो सकता है कि जिनको खतरनाक समझ कर आज आप उधर बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा निकल आए जो अपने हाथ में सत्ता ले कर इस देश में तानाशाही स्थापित करदे। यह जरूरी नहीं है कि सत्ता आपके हाथ में ही रहे। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की तारीफ करता हूं मैं उनको डायनेमिक नेता मानता हूं उनकी दृष्टि साफ है, उनके इरादे साफ हैं, मैं इसमें सन्देह नही करता। उन्होंने साफ दृष्टि से फैसला किया। एक के बाद एक संशोधन किए इस तरह से यह 44वां संशोधन अस्पष्ट है जो आज आपके सामने है। जैसा मैंने शुरू में कहा था जो अच्छी बातें हैं उनकी हम तारीफ करते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लिख दिया गया यह बहुत अच्छी बात है। इसकी तारीफ की जाएगी अनन्त काल तक की जाएगी। लेकिन नाम करोड़ी मल और जेब में धेला नहीं है। इधर समाजवादी लिख दिया और उधर प्राइवेट प्रोपर्टी रहेगी। क्यों नहीं प्राइवेट प्रापर्टी को खत्म किया, क्यों नहीं उसके लिए संशोधन लाये? क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो शायद जो कांग्रेस की सत्ता कल जाने वाली है वह आज न चली आय। (व्यवधान) मुझे खुशी होती है यदि ऐसी बात संशोधन के सम्बन्ध में आती अगर गलत तरीके से भी कोई अच्छी बात लाई जाती है तो मैं उन आदमियों में से हूं जो उसका समर्थन करता हूं। अगर गलत तरीके से अच्छी बात हो जाय तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं संविधान बदलने के विरोध में नहीं हूं। जनता की आकांक्षाओं के लिए उसे बदलना चाहिए। परिवर्तनशील युग में व्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे बदलती रहती हैं, कोई चीज शाश्वत नहीं है। लेकिन उसे कौन बदलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी बदलेगी या भारत की जनता? मैं मान्यवर, दो मिनट में समाप्त करता हूं। आपका आज जनता में विश्वास नहीं है। अगर आप जनता के दरवाजे से गए होते, जनता से कहे होते तो मधुकर दिघे जैसा आदमी जो 30 साल से सोशलिस्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहा है वह भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करता। लेकिन नहीं (व्यवधान) श्री रामपाल सिंह और श्री काशीनाथ मिश्र समझ नहीं पा रहे हैं अगर यह समझते तो मेरी तरह खड़े होते।

मैं विश्वास करता हूं कि इस कांस्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट से सारे अधिकार नष्ट हो गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वह समाप्त हो जायेंगे। क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा क्या वह दरोगा करेगा? मैं एक ही उदाहरण देकर मान्यवर, बैठ जाऊंगा। यहां पर एक मन्त्री थे थोड़े दिन पहले कान से कम सुनते थे। एक बार जब वह पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे तो उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे शिकायत की थी, कहा था "साहब पुलिस बहुत ज्यादती करती है" "गरीबों को परेशान करती है", "राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारती है। तो उन्होंने कहा नहीं पुलिस अच्छी है। कुछ दिन बाद गोरखपुर में एक घटना घटी। हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा हो गया और उस समय उनकी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी शिप खत्म हो गई थी, तो पुलिस ने उनकी खूब पिटाई की। मैं उनसे अस्पताल में मिला, सर फट गया था। कहने लगे पुलिस बहुत बदमाश है। मैंने कहा घर के दरवाजे पर पुलिस आ गई और टूट पड़ी तो अब याद आया था। अरे कांग्रेस के दोस्तों, मेरे मित्रों, जब यह कांस्टीट्यूशन का हथियार आप पर चलेगा। (व्यवधान) और तब लोकपति त्रिपाठी जी की पीठ पर डंडा पड़ेगा तो मुझे परेशानी होगी। भले ही आज उनको हमारे

[श्री मधुकर दिघे]—
पीठ पर डंडा पड़ने में खुशी होती हो। हम तो आदी हैं डंडे खाने के मधुकर दिघे तो बहुत दफा डन्डे खा चुका है (व्यवधान) हमारी पीठ तो डन्डे खाते खाते आदी हो गई है। परन्तु वह तो नरम पीठ के हैं सुकवार हैं, एक डन्डा पड़ जाएगा तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेसियों से और सभी लोगों से कि अगर देश की बहबूदी के लिए और समाजवाद लाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो हमारे जैसे लोग सदैव उसका समर्थन करेंगे। लेकिन वास्तव म ऐसा नहीं है, इसलिए इसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं, विरोध करने के लिए मजबूर हूं। मजबूर हूं कि नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संकल्प रखा ह मित्र होते हुए भी मैं उसका विरोध करूं और विरोध करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं जरा असमंजस म हूं कि अपनों के विरोध का क्या विरोध किया जाए। क्योंकि आज श्रीमन्, बड़ा प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्य हुआ। मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि वह संविधान का समर्थन कर रहे हैं, जो इसके विरोधी थे। जो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारे सामने बैठे हैं। जनसंघ के लोग तो इस संविधान की जो मान्यतायें हैं—सेक्युलर और धर्म-निरपेक्ष सम्बन्धी उसके वे बहुत पहले से ही विरोधी रहे हैं। वह भी आज समाजवाद का समर्थन कर रहे हैं।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

जनसंघ नहीं, लोक पक्ष से।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनसंघ समाप्त हो गया है क्या? जनसंघ ने, जिसने संविधान को स्वीकार नहीं किया, शुरू से ही जिन्होंने मौलिक परिवर्तन चाहा जिनकी राष्ट्रीयता की परिभाषा और उसकी कल्पना ही बिल्कुल भिन्न रही है, वे ही आज इसे स्वीकार कर रहे हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात है।

जहां तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं और हमारे भूतपूर्व दोस्त हैं, उनके विचारों को सुना, उन्होंने राइट आफ प्रापर्टी को एबालिश करना चाहा। लगता है कि वह अपने नेता से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कल ही मैंने नेता विरोधी दल को बहुत ही जोरों से कहते हुए सुना—राइट आफ प्रापर्टी को ही अब एबालिश करने की बात सोची जा रही है। जो वास्तव में नहीं है। इस राइट को कोई समाप्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतनी सम्पति भी नहीं रखी जाएगी जो अधिग्रहणकारी हो। इतना अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको अवश्य समाप्त किया जा रहा है। इसलिए राइट आफ प्रापर्टी का मानवीय सम्पत्ति के अधिकारों से समन्वय किया जा रहा है। यहां मैन्डेड की बहुत बात हुई। सन् 1971 में सभी पार्टियों ने संविधान को संशोधित करने का मैन्डेट मांगा था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मैनीफैस्टो मेरे पास है, उसमें लिखा है; यह मैं नहीं कह रहा हूं और न मैं उससे सहमत ही हूं, लेकिन उनका मैन्डेट क्या था, यह आप देखिए —

"The S. S. P. is committed to the convening of a Constituent Assembly on the basis of adult sufferage with a view to framing a new Constitution to replace the present one which is mainly" based on the Government of India Act of 1935.

1935 के गवर्नमेंट आफ इन्डिया के ऐक्ट के आधार पर बनाए गए इस संविधान को कि हम इसको बदल डालेंगे, लेकिन अब हमने पूरा नहीं थोड़ा ही बदला है, तो उस पर इनको एतराज है। इसमें आगे कहा गया है —

"The S. S. P. holds that right to property in the list of Fundamental Rights impeded the endeavour to Right to equality."

बराबर लाने की जो चेष्टा है, एस0 एस0 पी0 का यह कहना है, जो आधारभूत अधिकार हैं, इसमें वह एक रुकावट है। "It should be deleted from the list." इसको सूची से निकाल दिया जाना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि विरोधी दलों की अंधा इन्दिरा गांधी, विरोधी व अंधा कांग्रेस विरोधी नीति के कारण अपने ही विचारों में सामंजस्य नहीं रह गया है। केवल एक चीज सामने है कि कैसे इन्दिरा जी को हटाएं? (व्यवधान) दिघे साहब, मैं डिग जाऊं तो कैसे काम चलेगा? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का यह हुआ। अब जनसंघ का देखिए जनसंघ ने कहा अपने 1971 के मैनेफेस्टों में, जो मेन्डेट ह जनसंघ के लिए।

"It wants a national commission of expert to be set up to review the working of the Constitution in the light of the experience of past 20 years and to make recommendation in that regard. It does not regard the Constitution as a static document."

उनकी मान्यता है कि एक नैशनल कमीशन आफ एक्ससर्ट स बने जो कांस्टीट्यूशन की वर्किंग को देखें और जो बीस सालों का अनुभव हुआ है उसके प्रकाश में वह सिफारिश करेगा। स्वर्ण सिंह समिति ने यही काम किया। एक्सपर्ट्स थे उसमें, स्वर्णसिंह जैसे एक्सपर्ट्स कहां मिलेंगे? इसमें पार्टी का प्रश्न क्या है? स्वर्ण सिंह जी की विद्वता, उनकी योग्यता, उनकी संवैधानिक जानकारी में कोई शक नहीं। भले ही वह कांग्रेस के हों, लेकिन बिना राजनीतिक आधार पर, संविधान पर उन्होंने विचार किया और अपनी संस्तुति दी।

नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने कहा जुडीशियरी को रिडीक्युल किया जा रहा है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को रखने के लिए कहा, मेरे पास एक पुस्तक है, भारतीय क्रांति दल की "उद्देश्य एवं सिद्धान्त" है। उसमें "देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में दृष्टिकोण है' दिया गया है। यह बुनियादी पुस्तक है। मैनिफेस्टो से भी ज्यादा है क्योंकि उद्देश्य और सिद्धान्त बताती है। पेज 9 पर यह लिखा है।" भारतीय क्रान्ति दल न्याय व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में मौलिक परिवर्तन चाहती है क्योंकि इस ढांचे को हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों से उधार लिया है।" यहां हम क्या कहें,? थोड़े से ही अधिकार जो थे विधान मन्डल में हमारे अपने अधिकारों को स्पष्ट किया गया है? न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। वह कहते हैं कि अंग्रेजों से उधार ले कर न्यायपालिका बनायी गयी है। कौन किस को जलील कर रहा है? पढ़ लें। कहा गया कि रिट की ताकत को कमजोर किया जा रहा है, न्यायापालिका की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। इसी "सिद्धान्त और उद्देश्य" में यह लिखा हुआ है। पेज 10 पर है (आखिरी) "जमानत पर छूटने और रिट दायर करने का अधिकार जिसका भारी दुरुपयोग किया गया है विशेष रूप से कम किया जाएगा।" अब हमने श्रीमन्, विशेष रूप से कम नहीं किया थोड़ा किया, मर्यादित रूप में किया है। दूसरी चीज यही कही गयी कि बेसिक फीचर क्या है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। वोट का अधिकार रहना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। वोट पड़ने चाहिए।

यह बेसिक फीचर हमने कल ही सुना। अब श्रीमन् इस पुस्तिका म क्या बेसिक फीचर है? उसी किताब के पेज 9 पर है। पैराग्राफ 8 में है कि--"भारतीय क्रान्तिदल की यह मान्यता है कि वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार देश में स्थायी एवं सक्षम प्रशासन देन में विफल हो गयी है अत: इसके स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी गैर-संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की जाए जिसमें राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए चुन लिया जाता है। जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव या अन्य प्रकार से हटाए जाने की खतरे की तलवार सदा लटकती नहीं रहती है। नगरपालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों का गठन एवं प्रशासन भी गैर संसदीय ढंग से और प्रशासन भी गैर संसदीय ढंग पर किया जाएगा।" श्रीमन्, यह बेसिक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फीवर है। अब श्रीमन्, क्या कहा जाए ? केवल इन्दिरा जी को हटाना चाह रहे हैं और अपनी बात भूल गए हैं। दूसरी बात यह कही गयी कि हमें गलती करने का हक है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि इसकी कुछ मान्यतायें हैं। इसके पेज 7 पर है कि "भारतीय क्रान्ति दल कानून द्वारा प्रदत्त सरकार की सत्ता को विछिन्न करने वाले सभी प्रयासों के विरुद्ध दृढ़ता के साथ पेश आएगा। यह ऐसी सभी तोड़-फोड़ की विघटनात्मक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों को मजबूती के साथ दबायेगा चाहे वह किसी राजनैतिक विचार धारा, धर्म भाषा अथवा समुदाय, किसी के नाम पर क्यों न खड़ी हो।"

अब इसी विचार को कार्यान्वित करने का नाम इमरजेन्सी है। श्रीमन् मैं समझता हूं कि इमरजेन्सी में कीमतें घटी वही हैं। स्मगलिंग कम नही हुई है बल्कि वह घट रही थी। अगर इमरजेन्सी में कोई खासियत नहीं है तो इतना सरकार का विरोध क्यों है ? अब श्रीमन् बीजू पटनायक ने जेल से छूटते ही बयान दे दिया। वह भी लोक पक्ष के सम्मानित नेता नम्बर 2 के हैं। (हंसी) तो श्री बीजू पटनायक ने आते ही जनता को संदेश दिया कि इमरजेन्सी से जो देश में लाभ हुआ है, उससे हम आंखें बन्द नहीं कर सकते। यही नहीं तमाम नेता जो भी जेल से छूट रहे हैं, सभी ने 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्य क्रमों का सिद्धान्ततः विरोध नहीं किया है भले ही उनके लागू करने में कुछ गलितयों की ओर ध्यान दिलाया हो। किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि इमरजेन्सी से लाभ नहीं हुआ है। हमें मालूम ही है कि 3 महीने के अन्दर 1500 करोड़ ब्लैक मनी निकल गई। रुपए का मूल्य हांकान्ग और न्यूयार्क में 16 प्रतिशत बढ़ा है जबकि पौंड का मूल्य 20 प्रतिशत गिर गया। क्या यह कुछ भी नहीं हुआ है ? पहले स्कूलों और कालेजों में समय से परीक्षायें नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि बहुत समय तक ये बन्द पड़े रहते थे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सभी स्थानों पर समय से इम्तिहान हुए हैं।

आज हमारे यहां पर 2 करोड़ टन का बफर स्टाक गल्ले का है और वे कहते हैं हैं कि देश में कुछ हुआ ही नहीं है। आज यह घोषणा हुई है कि हम बाहर से अनाज इम्पोर्ट नहीं करेंगे जबकि पहले स्थिति यह थी कि जहाजों से सीधे फेयर प्राइस शाप्स पर या गोदामों में गल्ला जाता था, तो यह कहना कि कोई उपलब्धि नहीं हुई, कहां तक न्यायोचित है। क्या आज यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय एकता सुरक्षित हुई है। आज सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया है। नागालैन्ड के विद्रोहियों ने आत्म समर्पण कर दिया है। तामिलनाडु जो राष्ट्र से विच्छिन्न होना चाहता था, कि वे ताकतें भी आज कमजोर पड़ी हुई हैं, जो ऐसा करना चाहती थी। देश के कल और कारखानों में उत्पादन बढ़ा है, इन्डस्ट्रियल कास्ट आफ लिविंग कम हुआ है। आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो रही हैं, यह हो सकता है कि किसी समय किसी वस्तु की कीमत कुछ बढ़ी हो या कम हुई हो लेकिन जो कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स है, वह कम हुआ है। पिछले 1 1/4 वर्ष में देश में बिजली की प्रचुरता हुई है और सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। हमारे यहां पर जो वर्ल्ड बैंक की टीम आई हैं उसने भी कहा है कि भारत ने गत 1 1/4 वर्ष के अन्दर कितनी प्रगति की है। यह उनकी रिपोर्ट है जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे विरोधी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप वर्ल्ड बैंक की कितनी बातें मानते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जितनी आप मानते हैं, उतनी ही हम मानते हैं। वर्ल्ड बैंक में सभी ब्लाकों के लोग हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हर स्तर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं भारत की तारीफ करते हैं, चाहे कन्जर्वेटिव के श्री थेचर हों या माईकिल फुट हों, सभी यह कहते हैं कि भारत में इकोनामिक मिरेकिल हुआ है, आर्थिक चमत्कार हुआ है और यहां

पर इन्दिरा जी का इतना विरोध हो रहा है। आज उनको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं लेकिन कहा जाता है कि किराए के लोग बुलाए जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप तय कर लीजिए कि वे किसको सुनने के लिए आते हैं, इन्दिरा जी को या संजय गांधी के लिए बुलाए जाते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दोनों के लिए आते हैं। अगर आप हरिद्वार में अपने क्षेत्र में होते तो जरूर देखते। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि मैं आपसे विवाद में फंसना नहीं चाहता (व्यवधान) में माननीय सदस्य हरिद्वार से आग्रह करूंगा कि वे गंगा के किनारे से आते हैं, अपनी पवित्रता को बनाए रखें (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप कांग्रेस की मर्यादाओं को मिटा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप पाश्चात्य लोगों की राय भी सुनें। इंग्लैन्ड में आज वहां के प्रमुख नेता स्वयं कहते हैं कि काश, इंग्लैन्ड में इन्दिरा जैसी नेता होतीं। इंग्लैन्ड की हालत यह है। तो इस प्रकार की स्थिति आज हमारे देश की है। इस पृष्ठभूमि में यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। तो मैं आग्रह करूंगा विरोधी पक्ष के नेताओं और सदस्यों से कि कृपया वह राजनीतिक दल-दल में, जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं उनको वोट की दलदल में न घसीटें। आज इस विधान मन्डल के क्या अधिकार हैं ? क्या आप चाहते हैं कि अपने अधिकारों को हाई कोर्ट को दे दें ? जो पार्लियामन्ट के अधिकार हैं वह सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जायं। हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। जहां तक जुडीशियरी की शक्ति है, उसका आदर करते हैं लेकिन यह जो नहीं चाहते हैं कि जो प्रजातन्त्र की मूल भित्ति है और 10 करोड़ जनता द्वारा निर्वाचित जो सदन है उसकी विधायिका शक्ति लेकर, कानून बनाने की शक्ति लेकर दूसरी शक्ति को दे दें और दूसरी शक्ति हमारे लिए कानून बनाए, यह प्रजातन्त्र की अवहेलना तो इस प्रकार नहीं हो सकती (तालियां) इसी को दुरुस्त करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। अतः मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें। यह दलगत प्रश्न नहीं है, राजनीतिक प्रश्न नहीं है। जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का इस संविधान संशोधन विधेयक को एक सबल अस्त्र बनने का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि अपने देश के इतिहास के निर्माण में आप भी भागीदार बनें, हम भी बनें। इसका विरोध करके उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बढ़ावा न दें जो देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। ये शक्तियां देश की आन्तरिक शक्ति को कमजोर करना चाहती हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सदन के समवेत प्रतिनिधि स्वरूप, आपके माध्यम से मैं समस्त माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस ऐतिहासिक सदन में इस ऐतिहासिक संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें और एक नया मानखंड कायम करें। यह संविधान संशोधन विधेयक देश को एक रचनात्मक और समाजवादी धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की दिशा में संकेत करता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाय।

(श्री राज ब्रजराज सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। प्रश्न यह है कि—

(श्री राज ब्रजराज सिंह के पुनः खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक दम बैठ जाइये । मैं खड़ा हूं प्रश्न रख रहा हूं आपको संसदीय प्रथा का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। मुझे लज्जा आती है। यह चौराहा नहीं है। मैं संकल्प पर वोट लेने के लिए प्रश्न उपस्थित करने जा रहा हूं और आप इस तरह से बीच में खड़े हो जाते हैं। बेशक अगर आप कोई बात पूछना चाहते थे तो मुख्य मन्त्री जी खड़े थे उस समय उनसे सवाल कर सकते थे। वह बैठ गए, मैं वोट लेने के लिए खड़ा हूं और आप भी खड़े हो जाते हैं।

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के संविधान में उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 द्वारा, जिसका परिवर्तित संक्षिप्त नाम संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 है, प्रस्तावित है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के स्थगन का प्रस्ताव

(श्री नारायणदत्त तिवारी मुख्य मंत्री)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 49 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 दिसम्बर, 1976।

पी०एस०यू०पी०—एल० 267 वि० सभा 3-1-77(574)—8451 (ब्रांच प्रेस)